अनुक्रमणिका

भूमिका

विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों का सही नियमन व निर्वाह योजनावद्ध माध्यमों से संभव हो सकता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग किस तरह, किसके द्वारा और किसके लिए किया जाता है—ये प्रश्न मनुष्य और प्रकृति के मध्य संवर्धों के अनेक आयाम भी प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक संसाधन व्यक्ति और समुदाय, व्यक्ति और परिवार, व्यक्ति एव क्षेत्र एवं व्यक्ति व प्रकृति से संवंधों के अनेक स्वरूप प्रदान करता है।

परम्पराओं में सिंचाई के साधन व सामुदायिक उपयोग के मान्य व स्थापित आधार रहे हैं। तात्कालिक अनुकूलता के आधार पर उनका नियमन व संचालन होता रहा था। तकनीकी विकास जनसंख्या वृद्धि, आवश्यकताओं में आशातीत वढ़ोतरी व भौतिक मूल्यों के प्रति लोक समर्पण ने खेती में भी वैज्ञानिक तरीकों से विकास के स्वरूप को परिवर्तित किया। तकनीकी साधनों का विवेकयुक्त उपयोग हो, उसके संभावित खतरों व जीवन शैली, संरचना व संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों को पूर्व अनुमानित कर, योजना वनाना नितान्त आवश्यक हैं।

सिंचाई परियोजनाओं में नदी के जल के उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। देश में अनेक नदियों में हर मौसम में पर्याप्त पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली

जो नदियां पंजाव-हरियाणा से गुजरती हैं, उनका लाभ भी राजस्थान को मिलता रहा है। स्वतन्त्रता के पहले गंगनहर का निर्माण किया गया था। इन्दिरा गांधी नहर एक विशाल योजना के रूप में आजादी के वाद आरम्भ की गयी। इसी प्रकार चंवल नदी के पानी के उपयोग की भी योजना तैयार की गयी है।

सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह वात सामने आई कि पानी की सुविधा करा देना ही पर्याप्त नहीं है। इससे संवंधित अनेक ऐसे तकनीकी, सामाजिक व प्रशासकीय आयाम हैं, जिनको ध्यान में रख कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। भूमि की मेडवंदी, भूमि की सतह को तैयार करना, जल मार्ग, व्यक्तिगत खेतों में पानी पहुँचाने वाली नालिकाओं का निर्माण, अनावश्यक जल की निकासी के लिए ड्रेनों का निर्माण, उपज, विपणन हेतु सड़कों का निर्माण, लोगों को स्थापित करने की योजना, पर्यावरण की रक्षा आदि आयामों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन में ग्यारह अध्याय हैं। पृष्टभूमि, उद्धेश्य एवं अध्येयन पद्धति पहले अध्याय में ; कमांड क्षेत्र, कार्य विस्तार एवं क्षेत्र परिचय, दूसरे अध्याय में ; सर्वेक्षित गाँव एवं परिवार तीसरे अध्याय में ; फसल चक्र एवं उत्पादन, सिंचाई सुविधा की स्थिति जल एवं भू-संरक्षण का कार्यक्रम चौथे, पाँचवें व छटे अध्यायों में वर्णित हैं। सातवें एवं आठवे अध्यायों में आय के स्रोत व उपयोग के स्तर ; नवे व दसवें अध्यायों में कृषि साधन, पद्धति, पशुपालन, रोजगार, आवास, भूमि की खरीद विक्री का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में सारांश व सुक्षाव प्रस्तुत किये गए हैं।

चम्वल कमांड एरिया डवलपमेंट का आरम्भ 1953 में हुआ था। यह मूलतः सिंचाई एवं विद्युत परियोजना के रूप में आरम्भ की गयी योजना थी। इस योजना में चार वांध शामिल किए गए हैं। जिनसें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन होता हैं। ये वाँध निम्नांकित किए गए है: गाँधी सागर वान्ध, राणाप्रताप सागर वान्ध, जवाहर सागर वान्ध, एवं कोटा वान्ध।

प्रस्तुत अध्ययन इस योजना के आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन के प्रमुख विन्दुओं के अन्तरगत योजना के प्रभावों को वर्गो के स्तर पर विश्लेपित करना, लाभाविन्ततों की कठिनाइयों को आंकना, कृषि पद्धति में आए परिवर्तनों को स्पष्ट करना, कमांड क्षेत्र एवं गैर कमांड क्षेत्र के विकास की तुलनात्मक स्थिति का अवलोकन सम्मिलित हैं। यह योजना वूंदी की दो व कोटा जिले की चार

तहसीलों को प्रभावित करती है। कुल 745 गाँव इस योजना से प्रभावित हैं। सर्वेक्षण 1983-84 में किया गया हैं।

सर्वेक्षित गाँवों में उत्पादन एवं फसल चक्र में परिवर्तन होता पाया गया है। नयी फसलों की खेती भी प्रारम्भ की गयी है। ओ. एफ. डी. से प्रभावित गाँवों में गन्ना, धान, सोयावीन की नई फसेलें वोई जाने लगी है। मसूर एवं आलू की खेती भी की जाने लगी हैं। धान, गन्ने की खेती के वारे में किसानों की प्रतिकूल राय उपलव्ध हुई। प्रति हेक्टर उत्पादन वढ़ा हैं। नालियों की मरम्मत की कमी है, भूमि का समतलीकरण ठीक से नहीं हुआ है। पानी का विकास नाली के निर्माण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। निकास की व्यवस्था ठीक न होने से रास्तों में कीचड़ हो जाता है। प्रमुख योजना के साथ जव तक उसके क्रियान्वयन संवंधी आयामों को गुणवत्ता के आधार पर नहीं देखा जाऐगा, तव उसके प्रभावी होने में वाधाऐं आयेगी।

प्रभावी किसानों का काम ठीक से हुआ है, जवकि कमजोर किसान उपेक्षित रहा है। सभी किसानों को समान रूप से पानी नहीं मिलता। पारिवारिक आय में संतोपजनक वृद्धि नहीं हुई हैं। आय व व्यय का संवंध उपभोग तथा कृपि कार्यो से भी जुड़ा है। उच्च जाति में व्यय का स्तर प्रायः अधिक है। रासायनिक खाद का उपयोग वढ़ा है। प्राकृतिक खाद के उपयोग में कमी आई है। इससे भू-संरचना में वदलाव आया है। योजना में पशुपालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। नए रोजगार बने हैं। पक्के मकान वनने लगे हैं। अनुसूचित जाति के पास कच्चे मकान है। सामान्यतः किसान स्वयं खेती करते है। बड़े किसान मजदूर रख कर खेती कराते पाये गए।

विकास की अवधारणा, कार्यक्रम व क्रियान्वयन को प्रभावों के आधार पर परिवर्तित करना आवश्यक है। स्थानीय सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में विकास की प्रक्रिया का नियोजन व निष्पादन होना चाहिए। सिंचाई के क्रियान्यवन में लोगों की भागीदारी के अनेक स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास के लाभ कमजोर वर्गो तक पहुँचे, यह इस अवधारणा का केन्द्रिय आधार होना चाहिए।

विकास के माध्यम से असमानता को रोकना चाहिए, शोपण के नए स्वरूप उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेप उपाय करने चाहिए। रासायनिक खाद के कुप्रभावों को रोकने के लिए व्यापक कृपि संवंधी शिक्षा को सभी स्तरों पर प्रसारित करना आवश्यक हैं।

स्थानीय परिवेश के लोक ज्ञान को नकारना नहीं चाहिए, अपितु उसके सार्थक आयामों को विकास की प्रक्रिया व प्रसार में समन्वित करना चाहिए। दूरगामी पर्यावरण संवंधी सोच को विकास से जोड़कर तात्कालिक लाभ के आवेश को नियंत्रित करना चाहिए।

पशुधन, खेती, जीवन शैली व सामुदायिक भावना को समुचित पोषण मिलना चाहिए, विकास के सभी कार्यक्रमों में गुणात्मक पक्ष को महत्त्व देना चाहिए व गरीव व दलित लोगों की सुरक्षा-लाभ को प्राथमिकता देकर वर्ग भेद को मिटाने का प्रयास आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र को संकुचित कर लोगों के अधिकार क्षेत्र का विकास करना चाहिए। विकास लोगों द्वारा व लोगों के लिए हो व मध्यस्थ तन्त्र द्वारा सत्ता, शक्ति के प्रदर्शन व उपयोग को दूर कर, आम जीवन को वेहत्तर वनाना इसका प्रमुख उद्धेश्य होना चाहिए।

डॉ. अवधप्रसाद ने प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों से इस अध्ययन में उपरोक्त आयामों का विद्वातापूर्ण विश्लेषण किया है। गुणात्मक आंकड़ों के उपयोग से इस अध्ययन की गुणवत्तता में वृद्धि हो सकती थी, पर परोक्ष रूप से समग्र आयामों का विश्लेषण किया गया है।

यह अध्ययन समान वैज्ञानिकों, प्रशासकों, गैर सरकारी संगठनों व आम पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नरेन्द्र सिंघी
मानक सिनियर फेलो,
विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर

प्रारंभिक

चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बारह महीनों बहने वाली नदी है। आजादी के पहले इस नदी के जल का सिंचाई के लिए कोई उपयोग नहीं किया गया। 1953 में भारत सरकार ने राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यों के सहयोग से एक विशाल चम्बल सिंचाई तथा बिजली परियोजना का श्री गणेश किया, जिसके अन्तर्गत गांधी सागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बराज का निर्माण हुआ। सिंचाई के लिए इस योजना में राजस्थान के बूंदी और कोटा जिलों की 4.85 लाख हैक्टर भूमि शामिल की गई, जिसमें 2.29 लाख हैक्टर जमीन चम्बन कमांड क्षेत्र में है। इसमें 1148 गांव है जो छः तहसीलों में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 7 लाख है, इनमें से 5 लाख कृषि से संबंधित हैं जो 95 हजार परिवारों में बंटे हुए हैं। जोत-संख्या लगभग 69 हजार है।

1960 में इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई का काम शुरू हुआ, पर इस योजना की इतनी कमियां सामने आई कि 1966 में एक सहायक योजना भूमि तथा जल के उपयोग तथा प्रबंध की तैयार की गई और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से इसे लागू किया गया। यह यू.एन.डी.पी. एवं एफ.ए.ओ. योजना 1974 में पूरी हुई तब भी इस चम्बल

सिंचाई क्षेत्र की सारी समस्याओं तथा कठिनाइयों का पूरा समाधान नहीं हुआ। अतः 1974 में एक व्यापक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी. प्रोग्राम) हाथ में लिया गया ताकि सिंचाई के तैयार किये गये तथा उपयोग में लाये गये साधनों के बीच के अन्तर को जमीन तथा पानी की समुचित व्यवस्था के द्वारा कम किया जा सके।

यह विशाल आयोजन गत 25 वर्षों से कोटा और बूंदी जिलों में चल रहा है और यहां के लगभग बारह सौ गांवों की सात लाख जनता के सामाजिक-आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि इस योजना के क्रियान्वयन का इस प्रदेश की जनता पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया जाय ताकि इस योजना द्वारा निर्मित संभावनाओं तथा जनता द्वारा उपयोग में लाये जा सके साधनों की जानकारी तथा उनके अन्तर को समझा जा सके। इस साधनों के निर्माण तथा इनके उपयोग में जो कमियां और दोष रह गये हैं उन्हें भी जाना जा सके और उन्हें सुधारा जा सके। इनके उपयोग से जो लाभ जनता को हुए उन्हें देखा जा सके और उपयोग में जो कठिनाइयाँ और अपर्याप्ताएं रहीं हैं उन्हें समझा जा सके और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाये जा सके।

इस दृष्टि से संस्थान द्वारा चम्बल क्षेत्रीय विकास योजना-सामाजिक-आर्थिक प्रभाव–इस शीर्षक से एक अध्ययन योजना तैयार की गई और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भेज दी गई। परिषद् के आर्थिक सहयोग से यह अध्ययन पूरा किया गया तथा प्रकाशन के लिए भी परिषद् से सहायता प्राप्त हुई।

अध्ययन कार्य में जिन लोगों का सहयोग मिला उसके लिए संस्थान उन सबका आभारी है। चम्बल कमांड कार्यालय, कोटा के उप-आयुक्त ने संबंधित विभागों से सम्पर्क करके तथा विभागीय तथ्यों का उपलब्ध कराया इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। कमांड कार्यालय के परियोजना अर्थशास्त्री तथा उनके सहयोगियों ने प्रारंभ से ही इस कार्य में रूचि ली तथा सहयोग किया इसके लिए हम उनके भी आभारी है।

राजकीय महाविधालय, कोटा के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डा. मानमल जैन ने सर्वेक्षण कार्य एवं स्थानीय स्तर पर सक्रिय सहयोग किया, उनकी देखरेख में अर्थशास्त्र विभाग के छात्रों का भी सहयोग मिला। डा. मानमल जैन तथा उनके साथियों के सहयोग के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। कमांड परियोजना के अधिशासी सिंचाई

अभियन्ता, सहायक आयुक्त से विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ और उन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी तथा सुझाव दिये उसके लिए वे भी हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान
जयपुर

जवाहिरलाल जैन
मन्त्री-निदेशक

1

पृष्ठभूमि : उद्देश्य एवं पद्धति

1:1—कृषि के लिए सिंचाई की उपादेयता एवं अनिवार्यता को देखते हुए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में सिंचाई परियोजनाओं का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। नेशलन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर (1976) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 करोड़ हैक्टर मीटर औसत पानी गिरता है जिसमें 10 करोड़ 50 लाख हैक्टर मीटर पानी सीधी सिंचाई एवं पेयजन आपूर्ति के लिए उपलब्ध हो सकता है। शेष या तो भाप वनकर उड़ जाता है या समुद्र में वहकर गिर जाता है। इसमें से वर्तमान में 3 करोड़ 80 लाख हैक्टर मीटर पानी का जल स्रोत्रों के विकास माध्यम से सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है।

1970-71 में भारत के कुल 32 करोड़ 80 लाख हैक्टर भौगोलिक क्षेत्र में से 14 करोड़ हैक्टर भूमि में खेती होती थी और कुल 16 करोड़ 50 लाख हैक्टर फसली क्षेत्र था। आगामी 50 वर्षों में भूमि उपयोग के संबंध में जो परिवर्तन होंगे, उसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र बढ़कर 15 करोड़ 50 लाख हैक्टर और फसली क्षेत्र 21 करोड़ हैक्टर होने का अनुमान हैं। इसमें सिंचाई साधनों का पूरा विकास होने पर 11 करोड़ हैक्टर फसली क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। वर्तमान में केवल 4 करोड़ 20 लाख हैक्टर फसली क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

इसी रिपोर्ट में 1901 में वनाये गये प्रथम सिंचाई आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख

करते हुए बताया गया है कि उस समय तत्कालीन बर्मा, आसाम और पूर्वी बंगाल को छोड़कर शेष भारत में 14 करोड़ 40 लाख हैक्टर मीटर पानी गिरने का अनुमान था जबकि 1972 में सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में विभिन्न नदियों में 18 करोड़ हैक्टर मीटर जल की उपलब्धि आंकी गई है।

योजनागत विकास की प्रक्रिया जारी होने के पहले (1950-51) 2 करोड़ 26 लाख हैक्टर फसली क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जिसमें विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप बढ़ोतरी होकर अब यह स्थिति है।

1955-56	2 करोड़ 51 लाख हैक्टर
1960-61	2 करोड़ 59 लाख हैक्टर
1968-69	3 करोड़ 59 लाख हैक्टर
1973-74	4 करोड़ 23 लाख हैक्टर

सिंचाई साधनों के उत्तरोत्तर विकास को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई सुविधायें निम्न प्रकार उपलब्ध होने का अनुमान है*—

वर्ष	अनुमानित सिंचित क्षेत्र
1990	6 करोड़ 90 लाख हैक्टर
2000	8 करोड़ 40 लाख हैक्टर
2010	9 करोड़ 80 लाख हैक्टर
2020	10 करोड़ 70 लाख हैक्टर
2025	11 करोड़ हैक्टर

योजना आयोग ने देश की सिंचाई योजनाओं को निम्न चार भागों में विभाजित किया है—

1. बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं

* स्रोत—रिपोर्ट ऑफ द नेशलन कमीशन: एग्रीकल्चर, 1976, भाग—5, रिसोर्स डवलवमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली पृष्ठ 6, 15 और 4

2. छोटी सिंचाई योजनाएं
3. कमांड एरिया विकास एवं जल संसाधन परियोजना
4. वाढ़ नियंत्रण

सिंचाई परियोजनाओं में नदी जल के उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। देश में ऐसी नदियों की संख्या काफी है जिनमें हर मौसम में पर्याप्त पानी रहता है। राजस्थान में इनमें चम्बल नदी प्रमुख है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां पंजाव-हरियाणा से गुजरती हैं उनका लाभ भी राजस्थान को मिलता रहा है। आजादी के पूर्व वीकानेर रियासत में गंगनहर का निर्माण इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। बाद में इस परियोजना को आगे वढ़ाया गया और राजस्थान नहर की विशाल योजना तैयार की गई जिसे अब इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। यह आशा रखी गई है कि इससे रेगिस्तानी क्षेत्र हरा-भरा हो जायगा। इसी प्रकार चंवल नदी के पानी के उपयोग की भी योजना तैयार की गई है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की संभावनाओं व सिंचाई का लक्ष्य एवं प्राप्ति की स्थिति इस रूप में प्रस्तुत की गई है—

सारणी 1:1

सिंचाई क्षमता और उपयोग 1950-80*

(10 लाख हैक्टर में)

विवरण	सिंचाई	1950-51		1977-78		1979-80	
	क्षमता कुल	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भूतल जल	73.5	16.1	16.1	32.3	28.7	34.6	30.6
2. वड़े एवं मध्यम सिंचाई कार्य	58.5	9.7	9.7	24.8	21.2	26.6	26.6
3. लघु सिंचाई इकाई	15.0	6.4	6.4	7.5	7.5	8.0	8.0
4. भूमिगत जल	40.0	6.5	6.5	19.8	19.8	22.0	22.0
योग	113.5	22.6	22.6	52.1	48.5	56.6	56.6

* छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 योजना आयोग, भारत सरकार पृष्ठ 148-9

राजस्थान में 1970-71 में 25 लाख हैक्टर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जो विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वन के बाद सन् 2025 में बढ़कर 48 लाख हैक्टर क्षेत्र के लिए उपलब्ध होने की आशा है। इस प्रकार इस अवधि में 23 लाख हैक्टर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने का अनुमान है जिसमें 18 लाख हैक्टर क्षेत्र में बांधों एवं नहरों के माध्यम से तथा 5 लाख हैक्टर क्षेत्र में कुओं आदि से सिंचाई सुविधा मिलने वाली है।*

1:3 – सिंचाई परियोजना की क्रियान्वति के दौरान यह बात सामने आई कि केवल पानी की सुविधा उपलब्ध करा देना ही कृषि विकास के लिये पर्याप्त नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में (1980-85) के मसविदे में कमांड एरिया डवलपमेंट के संबंध में लिखा हैं कि सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (कमांड एरिया) पानी की अधिकतम आपूर्ति एवं उसका अधिकतम लाभ लेने के लिए पूर्णतः तैयार रहे। इसीलिए ऐसा कमांड एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें भूमि की मेड़बंदी, वैज्ञानिक ढंग से भूमि की सतह तैयार करना, जल मार्ग एवं और हर व्यक्तिगत खेत के लिए पानी पहुंचाने वाली नालिकाओं का निर्माण, फालतू जल की निकासी के लिए ड्रेनों का निर्माण और ऐसी सड़कों का निर्माण जो किसान को अपनी उपज विपणन हेतु बाजार में ले जाने में सक्षम बताये आदि मुख्य हैं। इसके अलावा समय पर पर्याप्त मात्रा में कृषि में प्रयुक्त होने वाले साधनों की आपूर्ति भी की जानी चाहिये ताकि किसान उपलब्ध भूमि एवं जल से अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम हो सके। सिंचाई कृषि विकास का प्रमुख संसाधन है लेकिन इसके साथ-साथ अन्य संसाधनों का विकास भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम-स्वरूप जो अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं, जैसे जल का रिसाव, नालियों की व्यवस्था, पानी का सही तथा पूरा उपयोग आदि, इनकी व्यवस्था भी बहुत जरूरी है।

सिंचाई परियोजना की तकनीकी मूल्यांकन समिति के सामने कई कठिनाइयां उपस्थित हुई जिनके समाधान के बारे में योजना आयोग ने विस्तार से विचार किया।

---

* स्रोत, कृषि आयोग (खण्ड5) पृष्ठ 45

इनमें मुख्य कठिनाठयां निम्न हैं *—

(क) नहर की सही ढंग से देखभाल एवं मरम्मत की कमी।

(ख) खेत में जाने वाली नालियों की खरावी, उसकी मरम्मत तथा देखभाल की कमी।

(ग) खेत में पानी देने के लिए वारावन्दी का अभाव।

(घ) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल चक्र के सही विकास का अभाव।

(च) नालियों का न होना।

(छ) जन भागीदारी क़ी कमी।

1:4—सिंचाई परियोजनाओं का जनता को अधिकतम लाभ मिले और उपर्युक्त कठिनाइयां दूर हों, इसीलिए साधन विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इसे 'कमांड एरिया डवलपमेंट' (सी. ए. डी) नाम से जाना जाता है। इस परियोजना में कृषि विकास की समग्र दृष्टि रखी गई है। पानी उपलव्ध कराने के साथ-साथ भूमि सुधार, नाली निर्माण, फसल चक्र में यथोचित परिवर्तन, जल व्यवस्था, सड़क तथा कृषि उपज का विपणन आदि की व्यवस्था भी इस कार्यक्रम के मुख्य अंग हैं—

कमांड एरिया डवलपमेंट में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया हैं–

1. कृपकों की जोत को देखते हुए सिंचाई की अधिकतम सुविधा उपलव्ध कराने की दृष्टि ने नालियों का निर्माण करना।
2. खेतों में नालियों का निर्माण।
3. भूमि को समतल करना।
4. भू-जल का अधिकतम उपयोग करना।
5. उपयुक्त फसल-चक्र का प्रसार।
6. सवको पानी मिले, इसके लिए वारावंदी लागू करना।
7. कृषि संसाधनों की आपूर्ति करना—पूंजी, वीज, खाद, दवा आदि की आपूर्ति।
8. संसाधनों की शीघ्र एवं समय पर आपूर्ति की व्यवस्था करना।

---

* स्रोत—छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85, पृष्ठ 156

9. किसानों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की सुविधा देना।
10. जल के रिसाव को रोकना, आदि

छठी पंचवर्षीय योजना में देशभर में कुल 19 कमांड एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं। उनमें 18 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश गोवा दमन द्वीप में चल रही है। इस कार्यक्रम पर कुल 856, 27 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में कमांड एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम पर छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 94.26 करोड़ रूपयों के व्यय का प्रावधान किया गया है। सिंचाई की विभिन्न स्तर की योजनाओं पर छठी पंचवर्षीय योजनाए में जो प्रावधान है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

सारणी 1:2

छठी योजना (1980-85) में सिचाई कार्यक्रम*

विवरण	देशभर में (करोड़ रूपयों में)	राजस्थान में (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1. बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजना	8448.36	375.00
2. छोटी सिंचाई	1810.30	34.00
3. बाढ़ नियंत्रण	1045.10	17.75 पुर्नवास सहित
4. कमांड एरिया डवलपमेंट	856.27	84.26
योग—	12160.03	521.01

राजस्थान की छठी पंच-वर्षीय योजना के अनुसार राज्य में कमांड एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं पर विकास कार्य चल रहे हैं—

1. राजस्थान नहर (इंदिरा नहर)
2. चम्वल नहर

* राजस्थान का ड्राफ्ट, सिक्सथ फाइव ईयर प्लेन (1980-85) प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान

3. गंगनहर

चम्बल कमांड एरिया डवलपमेंट का प्रारंभ 1953 में हुआ। इस परियोजना को मूलतः चंवल सिंचाई एवं विद्युत परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। चंवल नदी मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान में आती है और राजस्थान होते हुए आगे उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। इस परियोजना का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। चंवल परियोजना से सिंचाई के लिए पानी 1960 में मिलना प्रारंभ हो गया और 1971 तक वांध एवं विद्युत परियोजना का कार्य पूरा हो गया।

चंवल परियोजना में चार वांध शामिल किये गये हैं जिनसे सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन होता है।

1. गांधी सागर बांध

690 वर्ग कि. मी. में फैले इस वांध से सिंचाई की सुविधा के साथ-साथ विद्युत भी प्राप्त होता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 120 मे. वा. है।

2. राणा प्रताप सागर बांध

इस वांध का मुख्य उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यहां की विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मे. वा. है। यह रावतभाटा अणु विद्युत परियोजना का मुख्य केन्द्र है। यहां के अणु विद्युत केन्द्र की क्षमता 420 मे. वा. मानी गई है।

3. जवाहर सागर बांध

यहां की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मे. वा. है।

4. कोटा बांध

सिंचाई सुविधा के लिये वनाया गया यह प्रमुख वांध है। इसी वांध से नहरों को पानी दिया जाता है।

कोटा वांध से दो मुख्य नहरें निकाली गई हैं (1) वांई मुख्य नहर (Left main

canal) और (2) दाहिनी (Right main canal) यह नहर राजस्थान में 130 किलो मीटर तथा आगे मध्य प्रदेश में 242 किलो मीटर तक जाती है। इन दो मुख्य नहरों से राजस्थान को कोटा एवं बूंदी जिलों की 2,29000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की गई है।*

1:6—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सिंचाई परियोजनाओं का व्यापक प्रभाव बड़े तथा कृषि का समग्र विकास हो सके, इस दृष्टि से देश के कुछ क्षेत्रों में कमांड एरिया डवलपमेंट परियोजना का प्रारम्भ किया गया। चंबल कमांड एरिया डवलपमेंट इसी प्रकार की एक परियोजना है। स्पष्ट है कोटा एवं बूंदी जिले के कमांड परियोजना से प्रभावित गाँवों के किसानों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। यहां कृषि पद्धति, पानी का उपयोग, वाजार की सुविधा, कृषि तकनीक आदि में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। 1947 में कमांड परियोजना का प्रारंभ हुआ तथा प्रथम चरण मार्च, 1982 में पूरा हुआ। इस वीच प्रभावित क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चले। इस सिलसिले में किये गये कार्यों को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया गया है—

1. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
2. ओ. एफ. डी. कार्यक्रम का विस्तार।
3. सड़क एवं वाजार की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. कृषि प्रसार सेवा।**

1:7—उपरोक्त पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए चंवल कमांड एरिया डवलपमेंट परियोजना के सामाजिक, आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जोत श्रेणियों एवं सामाजिक श्रेणियों के कृषकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है, इसके साथ-साथ इस परियोजना की बाधाओं एवं कठिनाइयों को भी देखने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है—

(क) सामाजिक-आर्थिक परिपेक्ष में परियोजना के खासकर ओ. एफ. डी. कार्यक्रम के

* कमांड एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट 2 : आयुक्त, कमांड एरिया डवलपमेंट, कोटा, 1981; पृष्ठ 1.

** आयुक्त कमांड एरिया डवलपमेंट, कोटा

प्रभावों को देखना।

(ख) परियोजना द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ समाज का कौन-सा वर्ग किस सीमा तक उठाता है, इसे स्पष्ट करना।

(ग) कमांड क्षेत्र तथा गैर कमांड क्षेत्र में कृषि विकास, जीवनस्तर तथा विकास की तुलनात्मक स्थिति का अवलोकन।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति में लाभान्वितों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट करना।

(च) कृषि पद्धति में आये परिवर्तनों को स्पष्ट करना तथा आगे के लिए सुझाव देना।

1:8 अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति

चंवल परियोजना वूंदी जिले की दो तथा कोटा जिले की चार तहसीलों को प्रभावित करती है। इन क्षेत्रों में प्रभावित गावों की संख्या इस प्रकार है—

जिला		तहसील	प्रभावित गाँव
1		2	3
1. वूंदी	1.	वूंदी	140
	2.	केशोराय पाटन	139
2. कोटा	1.	लाडपुरा	73
	2.	दीगोद (सुलतानपुर पं. सं.)	131
	3.	पीपलदा (इटावा पं. सं)	145
	4.	मंगरोल (अन्ता पं. स.)	117
योग—2			745

नोट : क्षेत्र परिचय एवं अन्य जानकारी के लिए अगला अध्याय देखें।

इस अध्याय में दो तहसीलों को शामिल किया गया है—

(1) केशोरायपाटन (वूंदी) और (2) दीगोद (कोटा)

1:9—(क) अध्ययन हेतु दो प्रकार के गावों का चयन किया गया है (1) चंबल कमांड परियोजना से प्रभावित गांव और (2) गैर प्रभावित गाँव। (ख) सर्वेक्षण के लिए चंबल परियोजना से प्रभावित गाँवों का चयन करते समय निम्नलिखित आधार माने गये हैं—

1. ओ. उफ. डी. के अन्तर्गत आये हुये गांव
2. केवल सिंचाई कार्यक्रम से प्रभावित गाँव

सर्वेक्षण के लिए चयनित गाँवों के नाम एवं चयन के आधार की स्थिति इस प्रकार है—

सारणी 1:3

चयन के आधार एवं गाँव

तहसील	आधार	गाँव का माम
1	2	3
केशोरायपाटन (बूंदी)	ओ. उपा. डी. के गांव	1. अरनेठा
		2. भीया
	सिंचाई प्रभावित	1. दहीखेड़ा
	गैर योजना के गाँव	1. गेन्डोली खुर्द
दीगोद (कोटा)	ओ. उफ. डी	1. कल्याण पुरा
		2. वमौरी
		3. मोरपा
	सिचांई प्रभावित	1. कोडसुआ
	गैर योजना गाँव	1. भांडाहेड़ा
योग		9

योजना से प्रभावित एवं गैर प्रभावित सर्वेक्षित गाँवों में चयनित परिवारों की स्थिति अग्रलिखित रूप मे है—

सारणी 1:4
सर्वोक्षित ग्राम एवं परिवार

	ग्राम समूह	कुल परिवार	सर्वेक्षित परिवार	सर्वेक्षित परिवार कुल परिवारों के प्र. श. रूप में
	1	2	3	4
	समूह—I			
1.	अरनेठा	452	53	11.73
2.	भींया	280	39	13.93
3.	कल्याणपुरा	131	25	19.08
4.	वम्बौरी	277	34	12.27
5.	मोरपा	558	42	16.28
	योग	1398	193	13.81
	समूह II			
1.	दहीखेडा	364	36	9.89
2.	कोडसुला	204	19	9.45
	योग	568	55	9.73
	समूह III			
1.	गेन्डोली खुर्द	242	29	11.98
2.	भाण्डाहेडा	218	27	12.17
	योग	460	56	12.17
	कुल योग	2423	304	12.55

नोट : ग्राम समूह I ओ. एफ. डी. के गाँव जहां सिंचाई के साथ विकास के प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ।

ग्राम समूह II नहरी सिंचाई की सुविधा प्राप्त गाँव

ग्राम समूह III गैर योजना के गाँव (परंपरागत सिंचाई वाले गाँव)

1:10 तथ्य संग्रह

विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संग्रह इस कार्य के लिए तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। परिवार सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रश्नावली तैयार की गई थी—

1. परिवार गणना प्रश्नावली

इस संक्षिप्त प्रश्नावली के माध्यम से सभी परिवारों की सूची तैयार की गई तथा परिवार की सदस्य संख्या, भूमि, रोजगार आदि से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई।

2. परिवार जनुसूची

परिवारों के संदर्भ में व्यापक जानकारी एकत्र करने के लिए परिवार अनुसूची तैयार की गई थी। पहले परिवार गणना प्रश्नावली के आधार पर सभी परिवारों को जोत श्रेणी एवं सामाजिक श्रेणी के अनुसार विभाजित किया गया और इस वर्गीकरण के बाद विभिन्न श्रृंखलाओं में आने वाले परिवारों की संख्या को ध्यान में रखकर नमूने के अध्ययन के लिये परिवारों का चयन किया गया और उसके बाद परिवार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई।

3. गाम अनुसूची

ग्राम स्तर की जानकारी एकत्र करने के लिये ग्राम एकत्र करने के लिये ग्राम अनुसूची तैयार की गई थी।

4. संस्थागत अनुसूची

सरकारी एवं अर्ध-सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से जानकारी करने के लिए अलग प्रश्नावली तैयार की गई थी। इसके माध्यम से सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से जानकारी एकत्र की गई।

योजना निदेशक एवं शोध अधिकारी ने गांवों में सीधा संपर्क किया तथा विभिन्न

मुद्दों पर गांव के लोगों से चर्चा की। गाँव के लोगों से हुई चर्चा के आधार पर अलग नोट तैयार किये गये जिनका उपयोग तथ्यों के विश्लेषण के समय किया गया।

विविध— सर्वेक्षण वर्ष 1983-84 है। वर्ष की दृष्टि से यह सामान्य वर्ष माना जा सकता है यद्यपि इस साल वर्षा औसत वर्षा से कुछ मामूली कम हुई है।

□

2

कमाण्ड क्षेत्र : कार्य विस्तार एवं क्षेत्र परिचय

2:1—चंवल परियोजना सिंचाई एवं विद्युत शक्ति उत्पादन की दृष्टि से देश की वड़ी परियोजनाओं में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद तैयार की गई योजनाओं में इसका प्रमुख स्थान है। परियोजना का अणु विद्युत से जुड़ाव होने के कारण यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कृपि विकास की दृष्टि से चंवल सिंचाई परियोजना तथा कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम अधिक महत्व के हैं। इस अध्याय में राजस्थान में चंवल कमाण्ड से प्रभावित क्षेत्र तथा वहाँ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के वारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, शुरू में केवल सिंचाई योजना हाथ में ली गई। वाद में कृपि का समग्र विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। सिंचाई के लिए वांध निर्माण कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ और 1960 में नहरों में पानी देना प्रारंभ हो गया। हालांकि नहरों के निर्माण आदि का कार्य 1971 तक चलता रहा। इसके वाद क्षेत्रीय विकास का अगला चरण प्रारंभ होता है। सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति में कई कठिनाईयां आई। जिन क्षेत्रों में नहरें गई थी, वहाँ के अनुभव के आधार पर कृपि एवं सिंचाई की समग्र दृष्टि अपनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। सिंचाई कार्यक्रम में कई प्रश्न सामने आये । जैसे (1) पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाना (2) खेतों में पानी विखरना। (3) सभी खेतों तक पानी का नहीं पहुँच

पाना - अर्थात् गांव के सभी कृपकों को समान रूप से इसका लाभ नहीं मिलना। (4) पानी का रिसाव। (5) नहर नालियों की सफाई की समस्या। (6) पानी लेने में कृपकों के आपसी विवाद। (7) कृषि पद्धति में सुधार की आवश्यकता। (8) फसल चक्र में परिवर्तन की आवश्यकता। ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर विचार करना आवश्यक था। योजना आयोग एवं राज्य सरकार ने उस पर विचार कर कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम तैयार किया, जिनके वारे में प्रथम अध्याय में चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम को स्थानीय प्रचलित भापा में कैचमेट कहा जाता है।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है :

(क) सिंचाई सुविधा एवं क्षमता विकास

1. पानी का रिंसाव रोकना
2. क्षमता में वृद्धि - जिन क्षेत्रों में पानी पहुँच सकता हो वहाँ पर पहुँचाया जाय।
3. नहर एवं नालियों की सुरक्षा
4. सड़क एवं रास्तों का निर्माण
5. नहर नालियों की सफाई—इनमें घास एवं झाड झंझाड आदि उगती हो उसे निकालना।
6. उपयुक्त नालियों का विस्तार

(ख) ओ.एफ.डी.

सभी खेतों में पूरा पानी पहुँचे, उसके लिये भूमि का समतलीकरण इस कार्य का केन्द्र विन्दु है। इसके अन्तर्गत भूमि की चकवंदी का कार्य भी आता है।

(ग) सड़क एवं रास्तों का निर्माण

(घ) कृषि प्रसार सेवा

2:2—प्रभाव क्षेत्र—कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम राजस्थान के दो जिलों- कोटा एवं वूंदी की 6 पंचायत समितियों को प्रभावित करती है। इस कार्यक्रम से प्रभावित कृषि

योग्य कुल कमाण्ड क्षेत्र 2.29 लाख हेक्टर है। यह क्षेत्र कोटा जिले की (1) लाडपुरा (2) अन्ता (3) सुल्तानपुर (4) इटावा तथा बूंदी की (1) केशोरायपाटन एवं (2) तालेड़ा पंचायत समितियों में है। इस पूरे क्षेत्र में कुल 1148 गाँव हैं जहाँ जोत की संख्या 94925 है। इन पंचायत समितियों के 745 गाँव कमाण्ड परियोजना मे प्रभावित हैं जिनमें कृपक परिवारों की संख्या 68715 है। इस क्षेत्र में जोत का क्षेत्र सामान्यत: 2 हेक्टर पाया जाता है। लेकिन औसत की दृष्टि से देखे तो जोत क्षेत्र का औसत 3-5 हेक्टर है। कमाण्ड परियोजना में विश्व वैंक ने औसत जोत का क्षेत्र 4.0 हेक्टर माना है।

कमाण्ड क्षेत्र में जोत क्षेणी, सिंचाई सुविधा एवं भूमि के उपयोग की स्थिति इस प्रकार है—

सारणी 2:1

जोत श्रेणी एवं सिंचाई की स्थिति

जोत श्रेणी	कुल कृपकों का प्र.श.	मिल्कियत की भूमि का प्र.श.	अपने नियंत्रण की भूमि प्र.श.	सिंचित भूमि का प्र.श.
1	2	3	4	5
1. सीमान्त 0-1 हैक्टर	6.02	0.92	0.87	1.04
2. लघु 1-2 हैक्टर	15.96	4.96	4.71	5.8
3. मध्यम 2-4 हैक्टर	31.93	19.80	20.07	22.63
4. वड़े 4 हैक्टर से अधिक	46.09	74.32	74.35	70.75
योग	100	100	100	100

चंवल नहर परियोजना से प्रभावित पंचायत समितियों में सिंचित भूमि की जो स्थिति है उसकी जानकारी सारणी 2:2 में दी जा रही है—

सारणी से स्पष्ट है कि सवसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र केशोरायपाटन है- जहां लेफ्ट कैनाल से सिंचाई होती है। लेफ्ट कैनाल तालेडा, केशोरायपाटन, लाडपुरा में जाती है, जवकि राईट कैनाल का प्रभाव क्षेत्र कोटा जिले की लाडपुरा, अन्ता, सुल्तानपुर एवं इटावा पंचायत समितियां एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं।

सारणी 2:2
विभिन्न पंचायत समितियों में सिंचाई की स्थिति

(हैक्टर में)

पंचायत समिति	कृषि भूमि में सिंचाई			
	राईटमेन कैनाल I	राइटमेन कैनाल II	लेफ्ट कैनाल	कुल
1	2	3	4	5
1. तालेड़ा	–	–	42756	42765
2. केशोरायपाटन	–	–	56935	56935
3. लाडपुरा	14909	–	2828	17737
4. अन्ता	–	29700	–	29700
5. सुल्तानपुर	39201	358	–	39559
6. इटावा	–	42387	–	42387
योग	54110	72445	102528	229083

2:3 जनसंख्या

1981 की जनगणना के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र की पंचायत समितियों की कुल जनसंख्या 669094 है। इसमें बूंदी जिले की दोनों पंचायत समितियों की (तालेडा एवं केशोरायपाटन) की जनसंख्या 264772 तथा कोटा जिले की चार पंचायत समितियों की जनसंख्या 404322 है। जनसंख्या संबंधी जानकारी सारणी 2:3 में है।

इस क्षेत्र में पुरुष-महिला अनुपात 874 से 916 के बीच है। तालेडा एवं केशोरायपाटन में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे क्रमशः 874 एवं 897 है। कोटा जिले की इटावा एवं सुल्तानपुर पंचायत समितियों में यह अनुपात क्रमशः 907 एवं 904 है जबकि इसी जिले की अन्ता एवं लाडपुरा पंचायत समिति में क्रमशः 916 एवं 899 है।

सारणी 2:3
कमाण्ड क्षेत्र की जनसंख्या

(प्रतिशत)

	जिला एवं पंचायत समिति	कुल आवादी	अ.जा.	अ.ज.जा.
	1	2	3	4
	(क) बूंदी			
1.	तालेडा	165621	32733	42344
			19.76	25.57
2.	केशोरायपाटन	99151	19671	27524
			19.84	27.76
	योग	264772	52404	69868
			19.65	26.39
	(ख) कोटा			
1.	इटावा	120857	28815	27625
			23.84	22.86
2.	सुल्तानपुर	99052	22534	19211
			22.75	19.39
3.	अन्ता	99374	20673	17999
			20.80	18.11
4.	लाडपुरा	85039	14686	14213
			17.27	16.71
	योग	4044322	86708	79048
			21.45	10.55
	कुल योग	669094	139112	148916
			20.79	22.26

स्रोत—जनगणना 1981, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, जयपुर

2:4 साक्षरता

कमाण्ड क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति इस प्रकार है—

जनगणना 1981

सारणी में से यह वात सामने आती है कि साक्षरता की दृष्टि से वूंदी जिले की तुलना में कोटा की स्थिति अधिक अच्छी है। तालेडा एवं केशोरायपाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 15 से 19 प्रतिशत है जवकि कोटा क्षेत्र में प्रभावित पंचायत समितियों में यह 20 से 25 प्रतिशत के वीच है। महिला साक्षरता के संदर्भ में भी कोटा जिले के कमाण्ड प्रभावित क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। जहां वूंदी में महिला साक्षरता 4.63 से 5.16 प्रतिशत के वीच में है, कोटा क्षेत्र में वह 6.63 से 9.33 प्रतिशत तक है।

सारणी 2:4

साक्षरता की स्थिति (ग्रामीण क्षेत्र)

(संख्या/ प्रतिशत)

	पंचायत समिति	कुल साक्षरता	पुरुष	महिला
	1	2	3	4
1.	तालेडा	25719	22146	3573
		15.54	25.08	4.63
2.	केशोरायपाटन	19341	16922	2419
		19.49	32.36	5.16
3.	इटावा	25318	21507	3811
		20.95	33.94	6.63
4.	सुल्तानपुर	23560	19878	3682
		23.83	38.28	7.84
5.	अन्ता	23669	20322	3347
		23.93	39.38	7.08
6.	लाडपुरा	21435	17684	3751
		25.22	39.50	9.33

सड़कें

कमाण्ड परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। कोटा से केशोरायपाटन की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण इस परियोजना के तहत किया गया है। इसके साथ-साथ मुख्य सड़क से गावों को जोड़ने वाली सहायक सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। यथा कोटा लाखेरी रोड से अरनेठा ग्राम तक की सड़क कमाण्ड क्षेत्र में कोटा जिले में सड़कों की लम्बाई 1373 किलोमीटर है जबकि बूंदी में इसकी लम्बाई 863 किलोमीटर है। बूंदी में 210 किलोमीटर सड़कें मुख्य सड़क से गावों को जोड़ती है। इन्हें कच्ची सड़क भी कह सकते हैं। इस प्रकार की सड़कें कोटा में 174 किलोमीटर हैं।

2:5 वर्षा

कृषि अब भी एक बड़ी सीमा तक वर्षा पर निर्भर करती है। बिना वर्षा के खेती संभव नहीं, यह धारणा आज भी सही है। इस क्षेत्र में भी वर्षा के उतार-चढ़ाव का खेती पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चंबल नहर आने के पूर्व तो यहां की खेती सामान्यतः वर्षा पर ही निर्भर थी।

गाँव के लोगों से चर्चा करने पर यह बात भी सामने आई कि नहर आने के पूर्व सिंचाई की सुविधा प्रायः नहीं के बराबर थी और किसान आमतौर पर कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे। यही कारण है कि उस समय किसान ऐसी फसलें बोते थे जिनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। पहले चना, देसी गेहूँ, ज्वार तथा मक्का की खेती अधिक होती थी।

इस क्षेत्र में वर्षा का मौसम जून का अंतिम पखवाड़ा, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर का प्रथम सप्ताह है। वर्षा जून में प्रारंभ हो जाती है। वर्षा में उतार-चढ़ाव होता रहता है। लेकिन पिछले 30 वर्षों का औसत देखने पर प्रति वर्ष औसत वर्षा 850 मिलीमीटर पाई गई ही। इसमें से 90 प्रतिशत (765 मी.मी.) वर्षा खरीफ की फसल के मौसम में होती है।

विभिन्न् वर्षों में वर्षा की स्थिति इस प्रकार पाई गई—

सारणी 2:5

विभिन्न वर्षों में वर्षा

वर्ष	वर्षा (मी.मी.)
1	2
1975	948
1976	826
1977	815
1978	728
1979	636
1980	482

2:6 भूमि

कमाण्ड क्षेत्र की भूमि प्राय: सभी क्षेत्रों में एक ही किस्म की देखने में आई। वैसे विभिन्न क्षेत्रों में भू-संरचना, भूजल, समुद्र तल से ऊंचाई आदि में अन्तर है। फिर भी इस क्षेत्र की भूमि को भूरी चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। इसमें कई क्षेत्रों में कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। कमाण्ड से प्रभावित क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाई जाती है। कहा जा सकता है कि कोटा एवं वूंदी जिलों में कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम से प्रभावित क्षेत्रों में भूरी एवं काली मिट्टी है जिसमें कंकड़ एवं रेत का मिश्रण भी पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि के लिये अनुकूल है। यही कारण है कि पानी की सुविधा होने के वाद इस क्षेत्र में कृषि का विकास तेजी से हुआ है। भूमि की वनावट इस प्रकार की है कि वर्षा होने के वाद जव भूमि सूखने लगती है, तव वह काफी कड़ी हो जाती है।

2:7 कार्य प्रगति

कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी सारणी 2:6 में दी गई है।

सारणी 2:6
कार्य की भौतिक प्रगति 1983-84 तक

विवरण		इकाई	परियोजना के प्रथम चरण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां			वर्ष 1982-83	
			मूल	संशोधित	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां जून 82
	1	2	3	4	5	6	7
सिंचाई व्यवस्था							
(अ)	नहर पक्की करने का कार्य	कि.मी.	21.00	50.00	58.03	15.90	12.11
(व)	नहरी क्षमता वढ़ाने का कार्य	कि.मी	854.00	900.00	924.54	41.81	41.45
(स)	नहर नियंत्रण ढांचें	संख्या	157	157	157	49	24
(द)	ए.पी.एम. आउटलेट्स	संख्या	–	4000	1027	511	271
	(य) विविध कार्य :						
1.	विविध ढांचें	संख्या	278	278	219	44.50	31
2.	नहरी सड़क निर्माण	कि.मी.	114.14	114.14	78.76	10.94	8.55
(र)	वारावन्दी (संचयी)	हैक्टर	–	15000	13882	40000	40230
जलोत्सरण (ड्रेनेज) कार्य							
(अ)	सर्वेक्षण	हैक्टर	229000	229000	203000	–	–
(व)	योजना	हैक्टर	167000	167000	167000	–	–
(स)	निर्माण	हैक्टर	167000	167000	167000	–	–
ड्रेन्स का निर्माण							
1.	मेनड्रेन । मेनड्रेन सव ड्रेन	कि.मी.	–	–	873	25.60	18.49
2.	कैरियर ड्रेन	कि.मी.	–	–	724.47	70.07	66.57
3.	सीपेज ड्रेन	कि.मी.	–	–	1012.48	131.80	124.78
4.	स्लैव टाईप वी.आर.वी. इनलेट्स काजवे । टेल स्ट्रक्चर्स	संख्या	–	–	427.95	55	33.40

Contd...

Contd...

5.	पाईप टाईप वी.आर.वी. इनलेट्स	संख्या	–	–	2960	994	884
भूमि विकास कार्य							
(अ)	सर्वेक्षण	हैक्टर	47000	47000	79635	6000	3788
(ब)	योजना एवं चक फायल प्रस्तुतिकरण	हैक्टर	48500	46500	46000	96000	5903
(स)	निर्माण.	हैक्टर	50000	33000	33503	8000	6250
सड़क निर्माण		कि.मी	247	300	292.08	15.67	11.87
वृक्षारोपण							
(अ)	मिट्टी की अग्रिम तैयारी	हैक्टर	1000	2300	2285	–	–
(ब)	पौधारोपण	हैक्टर	1000	2300	2110	175	175
(स)	नहर किनारे वृक्षारोपण	हैक्टर	–	–	–	8	11

परियोजना का कृषि उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है, इसका अन्दाज प्रति हैक्टर उत्पादन से लगाया जा सकता है। यहां पूरे कमाण्ड क्षेत्र में प्रति हैक्टर उत्पादन की स्थिति दर्शाई गई है। विभिन्न वर्षों में इस क्षेत्र में होने वाली फसलों का प्रति हैक्टर औसत उत्पादन निम्न प्रकार है—

सारणी 2:7

मुख्य फसलों का प्रति हैक्टर औसत उत्पादन

(क्विंटल में)

वर्ष	धान	ज्वार	चना	गेहूँ
1	2	3	4	5
1975-76	33.51	4.02	7.49	22.67
1976-77	36.06	6.63	9.37	21.12
1977-78	43.60	8.30	7.16	23.06

Contd...

रिपोर्टकमांड एरिया डवलपमेंट, कोटा (राज.)

Contd...

1978-79	61.66	07.23	8.63	22.81
1979-80	34.93	7.58	6.9	20.64
1980-81	43.56	8.49	7.44	21.08
1981-82	37.50	14.84	10.77	24.88

कृषि विकास की दृष्टि से कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध कराने एवं उन्नत वीज वितरण का कार्य किया जाता रहा है। विभिन्न वर्षों में उन्नत वीज वितरण की स्थिति इस प्रकार रही—

सारणी 2:8

उन्नत वीज वितरण

(क्विटल में)

वर्ष	धान	ज्वार	सोयावीन	गेहूँ
1	2	3	4	5
1975-76	461	–	–	1433
1976-77	491	4	51	1339
1977-78	856	52	24	1143
1978-79	982	113	68	1184
1979-80	1340	135	798	1636
1980-81	1519	405	822	810

उपरोक्त विवरण से यह वात सामने आती है कि उन्नत वीजों के वितरण के संदर्भ में इस क्षेत्र में सोयावीन की खेती में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गेहूँ एवं धान की उन्नत किस्मों में खेती भी वढ़ी है। उपरोक्त दोनों सारणियों से यह भी स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में धान एवं गेहूँ की मुख्य फसलों में प्रति हैक्टर उत्पादन में खास वृद्धि नहीं हुई है जवकि उन्नत वीज के वितरण की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

रिपोर्टकमांड एरिया डवलपमेंट, कोटा (राज.)

वर्ष 1983-84 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में कृषि विकास का कार्य व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की दृष्टि से उन्नत बीज वितरण का कार्य मुख्य रहा। इसके साथ-साथ रासायनिक खाद उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया। इस वर्ष रासायनिक खाद के रूप में नत्रजन 9450 टन, फासफोरस 6150 टन तथा पोटास 995 टन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1983-84 में उन्नत बीज एवं खाद वितरण की स्थिति इस प्रकार रही—

सारणी 2:9

कृषि संसाधनों की आपूर्ति

क्र.सं.	सत्र/मद	इकाई	लक्ष्य	83-84 में उपलब्धि
1	2	3	4	5
	(1) अधिक सिंचाई-अधिक उत्पादन			
	रवी 1983-84			
	अन्न उत्पादन			
1.	क्षेत्रफल	हैक्टर	147000	137000
2.	संकर उन्नत वीज के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हैक्टर	118600	121050
3.	संकर उन्नत वीज वितरण	क्विंटल	2600	3451
4.	उर्वरक वितरण	टन	14300	14259.50
5.	पौध संरक्षण	हैक्टर	158000	82395
6.	प्रदर्शन (मिनी किट गेहूँ)	संख्या	360	359
	(2) दलहन दुगुनी-तिलहन तिगुनी			
	(अ) दलहन उत्पादन			
1.	क्षेत्रफल	हैक्टर	80000	82530
2.	वीज वितरण	क्विंटल	400	577.19

Contd...

Contd...

3.	राईजोवियम कल्चर का उपयोग	संख्या	2000	7734
4.	पौध संरक्षण	हैक्टर	21000	20382
5.	उर्वरक वितरण	टन	134.75	598.50
6.	प्रदर्शन चना	संख्या	295	226
7.	मिनीकिट चना	संख्या	2000	2124
8.	मिनीकिट मसूर	संख्या	30	30
	(य) तिलहन उत्पादन			
1.	क्षेत्रफल	हैक्टर	28000	40400
2.	बीज वितरण	क्विंटल	100	143
3.	उर्वरक वितरण	टन	304	953
4.	पौध संरक्षण	हैक्टर	10000	17513.60
5.	प्रदर्शन सरसों	संख्या	40	40
6.	मिनीकिट सरसों	संख्या	260	88
7.	मिनीकिट कुसुम	संख्या	105	105
8.	मिनीकिट अलसी	संख्या	10	10

स्रोत—कमांड एरिया डवलपमेंट, कोटा (राज.)

3

सर्वेक्षित गांव एवं परिवार : परिचय

इस अध्ययन में जिन गांवों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अध्याय के दूसरे भाग में नमूने के अध्ययन के लिए चयनित परिवारों की जनसंख्या, भू-स्वामित्व, शिक्षा आदि की जानकारी दी गई है। सर्वेक्षित परिवारों से संबंधित जानकारी हमारे सर्वेक्षक दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर है जबकि गांव संबंधी जानकारी के स्रोतों में जनगणना 1981 को भी शामिल किया गया है। ग्राम स्तर की जनसंख्या, मूलभूत सुविधायें तथा भूमि के उपयोग से संबंधित जानकारी जनगणना प्रतिवेदन से ली गई है। सर्वेक्षित गांवों को मुख्य तीन समूहों में विभाजित किया गया है। प्रथम समूह में सिंचाई एवं ओ॰फ॰डी. से प्रभावित गावों को शामिल किया गया है। इस प्रकार के गावों की संख्या 5 है। दूसरे समूह में ऐसे गांव हैं, जहाँ केवल नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे गांवों की संख्या 2 है। तीसरे समूह में दो ऐसे गांव हैं जहां आज भी परम्परागत ढंग से सिंचाई होती है। यहाँ नहर नहीं गई है। हां, सामान्य कृषि विकास योजना के फलस्वरुप पहुँचने वाले विकास कार्यक्रम यहां भी पहुँचे हैं।

तालिका संख्या 3:1 ग्राम समूहवार सर्वेक्षित गांवों की जनसंख्या तथा पुरुषों, महिलाओं एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अनुपात को दर्शाती

है। तालिका सं. 3:2 सर्वेक्षित गांवों में साक्षरता की स्थिति, तालिका सं. 3:3 कार्यशील आबादी एवं तालिका सं. 3:4 मुख्य रोजगार की स्थिति दर्शाती है।

तालिका सं. 3:5 भूमि के उपयोग का विवरण है तो तालिका सं. 3:6 कृषि क्षेत्र एवं सिंचित-असिंचित क्षेत्र की स्थिति दर्शाती है।

तालिका सं. 3:1

सर्वेक्षित गांवों की जनसंख्या

ग्राम समूह	पुरुष	महिलायें	योग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जातियां	योग
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम समूह (I)						
1. अरनेठा	1370	1212	2582	35	783	818
2. मींया	933	806	1739	228	497	725
3. कल्याणपुरा	411	392	803	41	201	242
4. वमोरी	793	704	1497	84	318	402
5. मोरपा	908	855	1763	41	359	400
योग	4415	3969	8384	429	2158	2587
ग्राम समूह (II)						
1. दईखेडा	956	916	1972	951	230	1181
2. कोडसुआ	684	627	1311	213	212	425
योग	1640	1543	3183	1164	442	1606
ग्राम समूह (III)						
1. गेंडोली खुर्द	816	740	1556	98	463	561
2. भांडाहेडा	682	686	1368	12	265	277
योग	1498	1426	2924	110	728	838

स्रोत—जनगणना रिपोर्ट 1981, जिला हैण्ड बुक, कोटा एवं बूंदी—भारतसरकार

तालिका संख्या 3:2

साक्षरता

ग्राम समूह	पुरुष	प्रतिशत	महिलायें	प्रतिशत	योग	साक्षरता प्रतिशत
ग्राम समूह (I)						
1. अरनेठा	656	47.88	123	10.15	779	30.17
2. भी या	381	40.84	83	10.30	464	26.68
3. कल्याणपुरा	218	53.04	28	7.14	246	30.64
4. बमोरी	326	41.11	86	12.22	412	27.52
5. मोरपा	463	50.90	108	12.62	571	32.39
योग	2044	46.30	428	10.70	2472	29.40
ग्राम समूह (II)						
1. देईखेडा	326	34.10	42	4.59	368	19.66
2. कोडसुआ	216	31.38	21	3.35	237	18.08
योग	532	33.05	63	4.08	605	19.01
ग्राम समूह (III)						
1. गेंडोली खुर्द	253	31.00	31	4.10	284	18.25
2. भांडाहेडा	296	43.40	66	9.62	362	26.40
योग	549	36.65	97	6.80	646	22.09

विभिन्न ग्राम समूहों एवं ग्रामों में कार्यशील आवादी संवंधी जानकारी नीचे तालिका सं. 3:3 में दी गई है—

तालिका सं. 3:3

	पूर्णकालीन रोजगार			आंशिक कार्यशील			अकार्यशील		
ग्राम समूह	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्राम समूह (I)									
अरनेठा	753	84	837	8	52	60	609	1076	1685
भीया	487	13	500	–	82	82	446	711	1157

Contd...

Contd...

कल्याणपुर	192	43	235	11	76	87	208	273	481
बमोरी	408	85	493	–	–	–	385	619	1004
मोरपा	471	84	555	–	46	46	437	725	1162
योग	2311	309	2620	19	256	275	2085	3404	5489
ग्राम समूह (II)									
दईखेडा	509	12	521	–	–	–	447	904	1351
कोडसुआ	324	14	338	–	–	–	360	613	973
योग	833	26	859	–	–	–	807	1517	2324
ग्राम समूह (III)									
गेंडोलीखुर्द	403	20	423	8	62	70	405	658	1063
भांडाहेडा	344	87	431	–	27	27	338	572	910
योग	747	107	854	8	89	97	743	1230	1973

सर्वेक्षित गांवों में भूमि के उपयोग की स्थिति इस प्रकार है—

तालिका सं. 3:5

भूमि का उपयोग

(है.)

ग्राम समूह	जंगल	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कृषि योग्य बंजड़ (बाग शामिल है)	कृषि के लिये अनुपलब्ध बंजड़	योग
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम समूह (I)						
अरनेठा	–	1122	252	31	131	1536
भींया	–	794	313	35	105	1247
कल्याणपुरा	–	254	353	15	70	692
बमोरी	–	803	105	52	134	1094
मोरपा	21	427	216	63	47	774
योग	21	3400	1239	196	487	5343

Contd...

तालिका सं. 3:4

मुख्य रोजगार

ग्राम समूह	कृपक			कृपक मजदूर			गृह कुटीर उद्योग			अन्य		
	पुरूप	महिला	योग	पुरूप	महिला	योग	पुरूप	महिला	योग	पुरूप	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ग्राम समूह (I)												
अरनेठा	385	24	409	150	48	198	32	2	34	186	10	196
भींया	383	6	289	31	5	36	19	–	19	54	2	56
कल्याणपुरा	89	10	99	55	30	85	7	–	41	3	44	
नमोरी	168	3	171	133	73	206	10	2	12	97	7	104
मोरपा	180	5	185	164	70	234	5	1	6	122	8	130
योग	1205	48	1253	533	226	750	73	5	78	500	30	530
ग्राम समूह (II)												
दईखेड़ा	291	4	295	76	2	73	15	1	16	127	5	132
कोडसुआ		155	2	157	112	9	121	41	3	44	16	–
योग	446	6	452	188	11	199	56	4	60	143	5	148
ग्राम समूह (III)												
गेंडोलीखुर्द	173	–	173	36	7	43	43	1	64	151	12	163
भांडाहेड़ा	221	27	248	40	16	56	3	–	8	75	44	119
योग	394	27	421	76	23	99	51	1	52	226	56	282

Contd...

ग्राम समूह (II)						
दईखेडा	–	862	52	12	88	1014
कोडसुआ	–	374	335	152	145	1006
योग	–	1236	387	164	233	2020
ग्राम समूह (III)						
गेंडोलीखुर्द	206	60	635	30	414	1345
भांडाहेडा	–	30	1406	51	72	1559
योग	206	90	2041	81	486	2904

तालिका संख्या 3:6 सर्वेक्षित ग्रामों एवं ग्राम समूह में कुल कृषि क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र एवं असिंचित क्षेत्र की स्थिति दर्शाती है—

तालिका सं. 3:6

कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र

ग्राम समूह	सिंचित	असिंचित कृषि क्षेत्र	कुल कृषि क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
ग्राम समूह (I)				
अरनेठा	1122	252	1374	1536
भींया	794	313	1107	1247
कल्याणपुरा	254	353	607	692
वमोरी	803	105	908	1094
मोरपा	427	216	643	774
योग	3400	1239	4639	5343
ग्राम समूह (II)				
दईखेडा	862	52	914	1014
कोडसुआ	374	335	709	1006
योग	1236	387	1623	2020
ग्राम समूह (III)				
गेंडोलीखुर्द	60	635	695	1345
भांडाहेड़ा	30	1406	1436	1559
योग	90	2041	2131	2904

सर्वेक्षित गावों की सामाजिक-आर्थिक संरचना–1984 में सर्वेक्षण दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न ग्राम समूहों में परिवारों को सामाजिक रचना का जो स्वरुप सामने आया, उसे तालिका सं. 3:7 में देख सकते हैं।

तालिका सं. 3:7

सर्वेक्षित गांवों में सामाजिक संरचना (जाति समूह वर्ग)

परिवार संख्या

गांव का नाम	अ.जा.	अ.ज.जा.	मध्य जाति	अन्य जाति	उच्च जाति	योग
1	2	3	4	5	6	7
अरनेठा	146	32	174	68	32	452
	(32.30)	(07.08)	(38.50)	(15.04)	(7.08)	(100)
भींया	73	39	39	37	92	280
	(26.07)	(13.93)	(13.93)	(13.21)	(32.86)	(100)
कल्याणपुरा	36	6	47	27	15	131
	(27.48)	(4.58)	(35.88)	(20.61)	(11.45)	(100)
बमोरी	69	20	106	46	36	277
	(24.91)	(7.22)	(38.27)	(16.61)	(13.00)	(100)
मोरपा	46	9	94	76	33	258
	(17.83)	(3.49)	(36.43)	(29.46)	(12.79)	(100)
योग	370	106	460	254	208	1398
	(26.47)	(7.58)	(32.90)	(18.17)	(14.88)	(100)
दईखेडा	31	250	32	29	22	364
	(8.52)	(68.68)	(8.79)	(7.97)	(6.04)	(100)
कोडसुआ	33	22	45	90	14	204
	(16.18)	(10.78)	(22.06)	(44.12)	(6.86)	(100)
योग	64	272	77	119	36	568
	(11.27)	(47.89)	(13.56)	(20.95)	(6.34)	(100)

Contd...

Contd...

गेंडोलीखुर्द	88	9	43	79	23	242
	(36.36)	(3.72)	(17.77)	(32.64)	(9.50)	(100)
भांडाहेड़ा	46	3	123	27	19	218
	(21.10)	(1.38)	(56.42)	(12.39)	(8.72)	(100)
योग	134	12	166	106	42	460
	(29.13)	(2.61)	(36.09)	(23.04)	(9.13)	(100)
महायोग	569	390	703	479	286	2426
	(23.41)	(16.08)	(28.98)	(19.74)	(11.79)	(100)

यह तालिका दर्शाती है कि प्रथम ग्राम समूह (I) में उच्च जाति वर्ग से संबंधित परिवारों का अनुपात सर्वाधिक है कुल संख्या का 14.88 प्रतिशत और सबसे कम द्वितीय ग्राम समूह (II) में केवल 6.34 प्रतिशत है। तृतीय समूह (III) में ऐसे परिवारों की संख्या कुल परिवार संख्या का 9.13 प्रतिशत है।

मध्यम जाति वर्ग के सर्वाधिक परिवार ग्राम समूह (III) में है कुल परिवार संख्या का 36.09 प्रतिशत है। ग्राम समूह (II) में इस वर्ग के परिवारों की संख्या सबसे कम कुल का केवल 13.56 प्रतिशत है। जबकि ग्राम समूह (I) में ऐसे परिवार 32.90 प्रतिशत है।

अनुपात की दृष्टि से अनुसूचित जाति के सर्वाधिक 29.13 प्रतिशत परिवार ग्राम समूह III में और सबसे कम 11.27 प्रतिशत ग्राम समूह II में निवास करते हैं।

ग्राम समूह II में अनुसूचित जनजातियों के 47.87 प्रतिशत परिवार निवास करते हैं। इस दृष्टि से ग्राम समूह का स्थान दूसरा है। ग्राम समूह III में केवल 2.61 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के परिवार निवास करते हैं।

अन्य जाति वर्ग में सर्वाधिक 23.04 प्रतिशत परिवार ग्राम समूह III में और सबसे कम 18.17 प्रतिशत ग्राम समूह I में निवास करते हैं।

आर्थिक संरचना

जोत श्रेणी के संदर्भ में देखें तो तालिका संख्या 3:8 स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकती है। सर्वाधिक भूमिहीन परिवार ग्राम समूह I में हैं। कुल परिवारों का 29.83 प्रतिशत । सबसे कम भूमिहीन परिवार ग्राम समूह II में निवास करते हैं कुल का 22.54 प्रतिशत।

तालिका सं. 3:8

सर्वेक्षित गांवों में जोत श्रेणी के आधार पर परिवार विभाजन

परिवार संख्या

गांव का नाम	भूमिहीन	सीमांत कृषक	लघु	मध्यम श्रेणी	बड़े किसान	योग
1	2	3	4	5	6	7
अरनेठा	112	78	95	96	71	452
	(24.78)	(17.26)	(21.02)	(21.24)	(15.71)	(100)
भींया	60	46	35	87	52	280
	(21.43)	(16.43)	(12.50)	(31.07)	(18.57)	(100)
कल्याणपुरा	13	29	21	35	33	131
	(9.92)	(22.14)	(16.03)	(26.72)	(25.19)	(100)
बमोरी	135	35	32	37	38	277
	(48.74)	(12.64)	(11.55)	(13.36)	(13.72)	(100)
मोरपा	97	41	43	46	31	258
	(37.60)	(15.89)	(16.67)	(17.83)	(12.02)	(100)
योग	417	229	226	301	225	1398
	(29.83)	(16.38)	(16.17)	(21.53)	(16.09)	(100)
दईखेड़ा	91	58	80	81	54	364
	(25.00)	(15.93)	(21.98)	(22.25)	(14.84)	(100)
कोडसुआ	37	34	29	65	39	204
	(18.14)	(16.67)	(14.22)	(31.86)	(19.12)	(100)

Contd...

Contd...

योग	128	92	109	146	93	568
	(22.54)	(16.20)	(19.19)	(25.70)	(16.37)	(100)
गेंडोलीखुर्द	76	35	53	56	22	242
	(31.40)	(14.46)	(21.90)	(23.14)	(9.09)	(1000)
भांडाहेडा	40	27	23	52	76	218
	(18.35)	(12.39)	(10.55)	(23.85)	(34.86)	(100)
योग	116	62	76	108	98	460
	(25.22)	(13.48)	(16.52)	(23.48)	(21.30)	(100)
महायोग	661	383	411	555	416	2426
	(27.25)	(15.78)	(16.94)	(22.88)	(17.15)	(100)

जहाँ तक बड़े कृषकों का सवाल है, सबसे अधिक संख्या 21.30 प्रतिशत ग्राम समूह III में है और सबसे कम ग्राम समूह I में कुल परिवारों का केवल 16.09 प्रतिशत।

सीमांत कृषक परिवारों की संख्या ग्राम समूह I में ज्यादा है- कुल परिवारों का 16.38 प्रतिशत और सबसे कम सीमान्त परिवार ग्राम समूह III में है- कुल परिवारों का 13.48 प्रतिशत।

सर्वाधिक लघु किसान ग्राम समूह II में निवास करते हैं। कुल का 19.19 प्रतिशत और सबसे कम 16.17 प्रतिशत ग्राम समूह I में हैं।

मध्यम जोत श्रृंखला में परिवारों की संख्या ग्राम समूह II में सबसे ज्यादा 25.77 प्रतिशत और ग्राम समूह I में सबसे कम 21.53 प्रतिशत है।

वमोरी में सबसे अधिक भूमिहीन परिवार हैं– कुल परिवारों का 48.74 प्रतिशत। दूसरे स्थान पर मोरपा है और तीसरे स्थान पर गैरयोजना क्षेत्र का गेंडोलीखुर्द। ओ.एफ.डी. क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या मे वड़े किसान कल्याणपुरा में है और गैरयोजना क्षेत्र में भांडाहेड़ा में।

मध्यम श्रेणी के किसानों में सर्वाधिक संख्या कोडसुआ में है और दूसरा स्थान

ओ.एफ.डी. के भीया ग्राम का है। लघु किसान सर्वाधिक संख्या में सिंचित सुविधा युक्त दईखेड़ा ग्राम में हैं तो सबसे कम गैर योजना क्षेत्र के ग्राम भांडाहेड़ा में हैं।

सर्वेक्षित परिवारों की आवादी

तालिका सं. 3:9 जाति श्रेणी के अनुसार विभिन्न ग्रामों (ग्राम समूहों) में सर्वेक्षित परिवारों की जनसंख्या दर्शाती है। ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों की कुल आवादी 1442 है जिसमें 383 उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। ग्राम समूह II में कुल आवादी 383 हैं जिनमें उच्च जाति के लोगों की संख्या 47 और ग्राम समूह III में 375 में से 68 हैं। तीनों ग्राम समूह में सर्वेक्षित परिवारों की कुल आवादी 2200 है जिसमें 498 उच्च जाति वर्ग के लोग हैं।

तालिका सं. 3:9

जाति श्रेणी के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या

गांव का नाम	उ. जाति	मध्यम	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
अरनेठा	071	148	77	5	96	397
भींया	143	75	88	28	42	376
कल्याणपुरा	45	15	25	9	66	160
वमोरी	42	101	37	31	32	343
मौरपा	82	140	37	7	–	266
योग	383	479	264	80	236	1442
दईखेड़ा	36	19	25	126	37	243
कोडसुआ	11	23	16	40	50	140
योग	47	42	41	166	87	383
गेंडोलीखुर्द	23	56	66	9	45	199
भांडाहेडा	45	76	40	–	15	176
योग	68	132	106	9	60	375
महायोग	498	653	411	255	383	2200

ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक जनसंख्या मध्यम वर्ग की है। कुल 1442 में से 479। ग्राम समूह II में सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 166 है। ग्राम समूह III में भी ग्राम समूह I की तरह ही सर्वाधिक आवादी मध्यम जाति वर्ग के लोगों की है।

304 सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या 2200 है अर्थात् प्रति परिवार औसतन 7 सदस्य हैं।

तालिका सं. 3:10 सर्वेक्षित परिवारों की कुल आवादी में पुरुषों, महिलाओं एवं वच्चे-वच्चियों के अनुपात को दर्शाती है। ग्राम समूह III में पुरुषों का अनुपात 31.47 प्रतिशत है। जवकि ग्राम समूह I में 28.02 प्रतिशत। इसी प्रकार ग्राम समूह III में महिलायें भी अन्य ग्राम समूहों की सर्वेक्षित आवादी में तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है।

लेकिन ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों में वच्चों का अनुपात 23.79 प्रतिशत है जो अन्य ग्राम समूहों की अपेक्षा अधिक है। ग्राम समूह III में बच्चों का अंश 20.27 प्रतिशत है। वच्चियों का अनुपात भी ग्राम समूह III में सवसे कम केवल 19.73 प्रतिशत है, जवकि ग्राम समूह I में वह 21.22 प्रतिशत है।

तालिका सं. 3:10

सर्वेक्षित परिवारों में–पुरूष, महिलायें, लड़के-लड़कियां

गांव का नाम	पुरूष	महिला	लड़के	लड़कियाँ	योग
1	2	3	4	5	6
अरनेठा	111	107	101	78	397
भींया	102	101	94	79	376
कल्याणपुरा	52	45	30	33	160
अमोरी	65	63	56	59	243
मोरया	74	73	62	57	266
योग	404	389	343	306	1442
	(28.02)	(26.98)	(23.79)	(21.22)	(100)
दर्हखेड़ा	71	69	57	46	243
कोडसुआ	39	35	34	32	140

Contd...

Contd...

योग	110	104	91	78	343
	(28.72)	(27.15)	(23.76)	(20.37)	(100)
गेंडोलीखुर्द	58	49	46	46	199
भांडाहेड़ा	60	58	30	28	176
योग	118	107	76	74	375
	(31.47)	(28.53)	(20.27)	(19.73)	(100)
महायोग	632	600	510	458	2200
	(28.73)	(27.27)	(23.18)	(20.82)	(100)

जोत श्रेणी के संदर्भ में देखें तो ग्राम समूह I में सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों की कुल आवादी केवल 12.69 प्रतिशत है जवकि ग्राम समूह II में 21.67 प्रतिशत अर्थात् ग्राम समूह की तुलना में लगभग पौने दो गुनी। सर्वेक्षित सीमान्त कृपक परिवारों में आवादी का सर्वाधिक कम अनुपात ग्राम समूह में दृष्टिगोचर हुआ है—ग्राम समूह II के 11.49 प्रतिशत के मुकावले में केवल 8.27 प्रतिशत। लेकिन लघु कृपक वर्ग की कुल आवादी ग्राम समूह II में कुल आवादी का केवल 4.96 प्रतिशत है। जवकि ग्राम समूह III में 18.93 प्रतिशत। सर्वेक्षित मध्यम किसान वर्ग में ग्राम समूह II में 37.60 प्रतिशत आवादी है जवकि ग्राम समूह III में 20.27 प्रतिशत। वडे. किसान परिवारों की आवादी का अनुपात ग्राम समूह I में सवसे ज्यादा है।

तालिका सं. 3:11

सर्वेक्षित परिवारों में जोत श्रेणी के अनुसार जनसंख्या

गाँव का नाम	भूमिहीन	सीमांत	लघु	मध्यम	वड़े	योग
1. अरनेटा	41	27	61	129	139	397
2. भींया	19	37	56	121	143	376
3. कल्यागपुरा	3	9	19	26	103	160
4. वमोरी	76	42	16	8	101	243
5. मोरपा	44	34	31	48	109	266

Contd...

Contd...

योग	183	149	183	332	595	1442
प्रतिशत	(12.69)	(10.33)	(12.69)	(23.02)	(41.26)	(100)
6. दर्हखेड़ा	44	26	12	139	22	243
7. कोडसुआ	39	18	7	5	71	140
योग	83	44	19	144	93	383
प्रतिशत	(21.67)	(11.49)	(4.96)	(37.60)	(24.28)	(100)
8. गेंडोलीखुर्द	28	20	13	32	83	176
योग	71	31	71	76	126	375
प्रतिशत	(18.93)	(8.27)	(18.93)	(20.27)	(33.60)	(100)
कुल योग	337	224	273	552	814	2200
कुल का प्रतिशत	(15.32)	(10.18)	(12.41)	(25.09)	(37.00)	(100)

विभिन्न ग्राम समूहों में जोत श्रृंखला के आधार पर सर्वेक्षित परिवारों के अनुपात का विश्लेषण किया जाय तो प्रति परिवार आबादी का अन्तर स्पष्ट दिखाई दे सकता है। (तालिका 3.12) ग्राम समूह में I में सर्वेक्षित भूमिहीन परिवार कुछ परिवार संख्या का 17.62 प्रतिशत है लेकिन आवादी केवल 12.69 प्रतिशत है। इसी प्रकार वड़े किसान परिवारों का अनुपात ग्राम समूह I में 34.20 प्रतिशत है लेकिन आबादी का अनुपात 41.26 प्रतिशत है। ग्राम समूह II में बड़े किसान परिवारों का अनुपात 18.18 प्रतिशत है लेकिन आबादी का अनुपात बढ़कर 24.28 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार ग्राम समूह III में जवकि मध्यम जाति के परिवारों का अनुपात 34.55 प्रतिशत है, आबादी का अनुपात 37.60 प्रतिशत है।

ग्राम समूह III में भूमिहीन परिवार अनुपात में 23.21 प्रतिशत है लेकिन आवादी का अनुपात 18.93 प्रतिशत ही है।

जोत श्रृंखला के आधार पर सर्वेचित परिवारों का विभाजन करके उनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों से संबंधित परिवारों का विश्लेषण तालिका सं. 3:13 में दर्शाती है। कुल भूमिहीन परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का अंश 31.15 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 8.20 प्रतिशत, लेकिन वड़े

किसानों में उनका अंश 27 क्रमश 4.30 प्रतिशत और 9.68 प्रततिशत है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग में वड़े किसान प्रायः नहीं के वरावर हैं। मध्यम कृपक वर्ग के संदर्भ में स्थिति वेहतर है क्योंकि मध्यम जोत वर्ग के सर्वेक्षित परिवारों में अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार 16.44 है और अनुसूचित जनजाति के 20.55 प्रतिशत।

तालिका सं. 3:12

जोत श्रेणी के अनुसार, सर्वेक्षित परिवार

गांव का नाम	भूमिहीन	सीमान्त 0-1 है.	लघु 1-2 है.	मध्ययम 2-5 है.	वड़े किसान 5 से अधिक है.	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. अरनेडा	6	5	9	16	17	53
2. भींया	3	5	6	12	13	39
3. कल्याणपुरा	2	3	4	5	11	25
4. वमोरी	13	6	2	2	14	34
5. मोरपा	10	6	5	7	14	42
योग	34	25	26	42	66	193
	(17.62)	(12.95)	(13.47)	(21.76)	(34.20)	(100)
6. दईखेडा	8	5	2	18	3	36
7. कोडसुआ	6	3	2	1	7	19
योग	14	8	4	19	10	55
	(23.21)	(7.14)	(17.86)	(21.43)	(30.36)	(100)
महायोग	61	37	40	73	93	304
	(20.07)	(12.17)	(13.16)	(24.01)	(30.50)	

जोत श्रेणा विपयक नोट—

	भूमिहीन	= भूमि नही
1.	सीमांत	= 1 हैक्टर तक
2.	लघु	= 1-2 हैक्टर
3.	मध्यम	= 2-5 हैक्टर
4.	वड़े किसान	= 5 हैक्टर से अधिक

सारिणी सं.3:13

सर्वेक्षित परिवारों की जोत एवं सामाजिक श्रेणी

गांव का नाम	भूमिहीन				सीमांत कृषक				लघु कृषक				मध्यम कृषक				बड़ी जोत के कृषक			
	एससी	सटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अरनेठा	4	–	2	6	1	–	4	5	3	–	6	9	1	1	14	16	1	–	16	17
भींया	–	–	3	3	1	–	4	5	3	1	2	6	5	–	7	12	–	3	10	13
कल्याणपुरा	–	–	2	2	1	–	2	3	2	–	2	4	2	–	3	5	–	1	10	11
बमोरी	3	3	7	13	2	-5	4	6	-5	–	2	2	1	1	5	7	–	–	9	11
मोरपा	4	–	6	10	1	–	5	6	1	–	2	2	1	1	–	2	–	2	14	14
दईखेड़ा	2	2	4	8	1	3	1	5	1	1	0	2	–	12	6	18	–	–	3	3
कोडसुआ	2	–	4	6	–	–	3	3	–	–	2	2	–	–	1	1	–	3	4	7
गेंडोलीखुर्द	4	–	5	9	1	–	1	2	3	–	4	7	1	–	5	6	2	-5	3	5
भांडाहेडा	–	–	4	4	2	–	–	2	2	–	1	3	1	–	5	6	1	–	11	12
योग	19 (31.15)	5 (8.20)	37 (60.65)	61 (100)	10 (27.03)	3 (8.11)	24 (64.86)	37 (100)	15 (37.50)	2 (5.0)	23 (57.50)	40 (100)	12 (16.44)	15 (20.55)	46 (63.01)	73 (100)	4 (63.01)	4 (4.30)	9 (9.68)	80 (86.02)

तालिका सं. 3:14
जाति श्रेणी एवं कृषि जोत श्रेणी

जाति श्रेणी	भूमिहीन	सीमान्त	लघु	मध्यम	वड़े किसान	योग
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित	19	10	15	12	4	60
जाति	(31.67)	(16.67)	(25.00)	(20.00)	(6.66)	(100)
अनुसूचित	5	3	2	15	9	34
जनजाति	(14.71)	(8.82)	(5.88)	(44.12)	(26.47)	(100)
अन्य	37	24	23	46	80	210
	(17.62)	(11.43)	(10.95)	(21.90)	(38.10)	(100)
योग	61	37	40	73	93	304
	(20.07)	(12.17)	(13.16)	(24.01)	(30.59)	(100)

तालिका सं. 3:14 इस स्थिति के वारे में अधिक स्पष्ट प्रकाश डाल सकती है।

सर्वेक्षित 60 अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों में यह प्रतिशत 14.71 है और अन्य जातियों में 17.62 प्रतिशत। इसी प्रकार अनुसूचित जातीय परिवारों में केवल 4 अर्थात् 6.66 प्रतिशत परिवार वड़े किसान वर्ग में आते हैं जवकि यह अनुपात अनुसूचित जनजाति वर्ग से परिवारों में 26.47 प्रतिशत और अन्य जाति वर्ग के संदर्भ में 38.10 प्रतिशत है। अर्थात् उनसे 6 गुना अधिक है।

मध्यम कृषक श्रृंखला में भी अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति सवसे गिरी हुई है। जहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के 44.12 प्रतिशत परिवार मध्यम कृषक वर्ग की श्रृंखला में आते हैं, वहीं अनुसूचित जातियों के केवल 20 प्रतिशत परिवार इस श्रेणी में आते हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में कितने प्रतिशत पुरूष एवं महिलायें कार्यशील की श्रेणी में हैं, उसकी जानकारी तालिका सं. 3:15 से मिल सकती है।

इस तालिका से देखा जा सकता है कि ग्राम समूह III में आवादी में कार्यशील पुरूषों एवं महिलाओं का अनुपात सवसे ज्यादा है। जहां ग्राम समूह II में केवल 44.28 प्रतिशत पुरूष कार्यशील हैं, वहीं ग्राम समूह III में यह अनुपात 50.52 प्रतिशत

है। इसी प्रकार ग्राम समूह I में जहां केवल 29.50 प्रतिशत महिलायें कार्यशील हैं वहीं ग्राम समूह III में यह अनुपात 45.86 प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह में पुरूष एवं महिलायें अधिक संख्या में कार्यशील रहने के लिए विवश हैं।

तालिका सं. 3:15

सर्वेक्षित परिवार एवं कार्यशील

संख्या/ प्रतिशत

	पुरूष		महिला		योग	
गाँव का नाम	कुल सं.	कार्यशील	कुल सं.	कार्यशील	कुल सं.	कार्यशील
1	2	3	4	5	6	7
अरेनेठा	212	83 (39.15)	185	30 (16.22)	397	113 (28.46)
भींया	196	87 (44.39)	180	, 42 (23.33)	376	129 (34.31)
कल्याणपुरा	882	44 (53.66)	78	41 (52.56)	160	85 (53.13)
वमोरी	121	61 (50.41)	122	48 (29.34)	243	109 (44.86)
मोरपा	136	63 (46.25)	695	205 (29.50)	1442	543 (37.66)
योग	747	338 (45.25)	695	205 (29.50)	1442	543 (37.66)
दईखेडा	128	59 (46.09)	115	54 (46.96)	243	113 (46.50)
कोडसुआ	73	30 (41.10)	67	26 (38.81)	140	56 (40.00)
योग	201	89 (44.28)	182	80 (43.96)	383	169 (44.13)

Contd...

Contd...

गेंडोलीखुर्द	104	46 (44.23)	95	43 (45.26)	199	89 (44.72)
भांडाहेड़ा	90	52 (57.78)	86	40 (46.51)	176	92 (52.27)
योग	194	98 (50.52)	181	83 (45.86)	375	181 (48.27)
महायोग	1142	525 (45.97)	1058	368 (34.78)	2200	893 (40.59)

समग्र दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि ग्राम समूह I में केवल 37.66 प्रतिशत आवादी कार्यशील है, लेकिन ग्राम समूह III में यह प्रतिशत वड़कर 48.27 प्रतिशत हो गया है। ग्राम समूह II में वीच की स्थिति है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ओ. उफ. डी. के ग्राम समूह में लोगों की आर्थिक हैसियत में अपेक्षाकृत अधिक वेहतरी आई है जिससे कम लोगों के कार्यशील रहने पर भी उनका भरणपोषण हो जाता है जवकि नहरी सिंचाई से वंचित ग्राम समूह III में भरण-पोपण के लिए अधिक प्रतिशत लोगों को कार्य करना पड़ता है।

सर्वेक्षित परिवारों में वच्चों का अनुपात--तालिका सं. 3:16 विभिन्न ग्रामों के सर्वेक्षित परिवारों में 0-15 वर्ष तक की उम्र वाले वच्चे-वच्चियों का जातीय संदर्भ दर्शाती है। इस तालिका के अनुसार ग्राम समूह I में 649 वच्चे में उच्च जाति वर्ग के वच्चों की संख्या 169 है और ग्राम समूह II में 169 वच्चों में से केवल 25, ग्राम समूह III में 150 वच्चे जिनसे उच्च जाति के 21 हैं। कुल आवादी में वच्चों का अनुपात क्रमशः 45, 44.13 और 40 प्रतिशत है। लेकिन इस तालिका से यह जानकारी भी मिलती है कि उच्च जाति वर्ग के वच्चों का अनुपात इस वर्ग की कुछ आवादी में जहां ग्राम समूह II में 53.19 प्रतिशत है, वहीं वह ग्राम समूह III में केवल मात्र 30.88 प्रतिशत है। लेकिन मध्यम जाति वर्ग के संदर्भ में इस स्थिति में भारी अन्तर दिखाई देता है। यथा ग्राम समूह II में जहां वच्चों का अंश कुल आवादी में केवल मात्र 30.95 प्रतिशत है, वहीं ग्राम समूह I में यह 49.06 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति वर्ग के संदर्भ में वच्चों की सर्वाधिक अनुपात ग्राम समूह II में है 45.28

प्रतिशत। लेकिन ग्राम समूह II में यह सबसे कम लेकिन 34.15 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की आवादी में वच्चों का अनुपात ग्राम समूह III में सवसे ज्यादा 55.56 प्रतिशत है और ग्राम समूह I में केवल 45 प्रतिशत। अन्य जातियों में वच्चों का अनुपात ग्राम समूह III में सवसे कम 36.67 प्रतिशत है और ग्राम समूह II मं 48.28 प्रतिशत सबसे ज्यादा।

तालिका सं. 3:16

सर्वेक्षित परिवारों में वच्चे-वच्चियों का जातीय संदर्भ

गाँव का नाम	उच्च जाति वर्ग	मध्यम जाति वर्ग	ज. जाति	अ. जन.	अन्य जा.	योग
1	2	3	4	5	6	7
अरनेठा	30	69	32	3	45	179
भींया	64	40	35	16	18	173
कल्याणपुरा	19	6	10	3	25	63
वमोरी	19	52	18	12	14	115
मोरपा	37	68	12	2	–	119
योग	169	235	107	36	102	649
कुल आवदी का प्रतिशत	(44.13)	(49.06)	(40.54)	(45.00)	(43.22)	(45.00)
दईखेड़ा	20	5	11	53	14	103
कोढसुआ	5	8	3	22	28	66
योग	25	13	14	75	42	169
कुल आ. का प्र. श.	(53.19)	(30.95)	(34.15)	(45.18)	(48.28)	(44.13)
भांडाहेड़ा	12	25	19	–	2	58
गेडोलीखुर्द	9	29	29	5	20	92
योग	21	54	48	5	22	150
कु. जा. का प्र. श.	(30.88)	(40.91)	(45.28)	(55.56)	(36.67)	(40.00)
महायोग	215	302	169	116	166	968
कु. आ. का प्र. श.	(43.17)	(46.25)	(41.12)	(45.49)	(43.34)	(44.00)

तालिका सं. 3 : 17

6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे-बच्चियों के स्कूल जाने की स्थिति

गांव का नाम	लड़के			लड़कियां			महायोग		
	संख्या	स्कूल जाते	प्रतिशत	संख्या	स्कूल जाती	प्रतिशत	संख्या	स्कूल जाते	प्रतिशत
अरनेठा	80	65	81.25	48	20	41.67	128	85	66.41
भीया	62	45	72.58	39	28	71.79	101	73	72.28
कल्याणपुरा	27	20	74.07	19	10	52.63	46	30	65.22
चमोरी	37	28	75.68	39	17	43.59	76	45	50.21
मोरपा	50	40	80.00	38	22	57.89	88	62	70.45
योग	256	198	77.34	183	97	53.01	439	295	67.20
दईखेड़ा	46	35	76.09	26	13	50.00	72	48	66.67
कोडसुआ	23	17	73.91	28	13	46.43	51	30	58.82
योग	69	52	75.36	54	26	48.15	123	78	63.41
गेंडोलीखुर्द	38	31	81.58	32	19	59.37	70	50	71.43
भांडाहेड़ा	21	17	80.95	14	12	85.71	35	29	82.86
योग	59	48	81.36	46	31	67.39	105	79	75.24
महायोग	384	298	77.20	283	154	54.42	667	452	67.77

शिक्षा

तालिका सं. 3:17 दर्शाती है कि सर्वेक्षित परिवारों के स्कूल जाने योग्य उम्र के बच्चे-बच्चियों में (उम्र श्रेणी 6-15) स्कूल जाने वाले बच्चों की कितनी संख्या है। इस तालिका से ज्ञात होता है कि गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह III पढ़ने योग्य 75.24 प्रतिशत बच्चे-बच्चियां स्कूल जाते हैं जबकि ग्राम समूह II में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत बच्चे-बच्चियां इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि ग्राम समूह III में सिंचाई की कमी के कारण कृषि कार्य में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इसलिये यहां अधिक अनुपात में बच्चे-बच्ची स्कूल में जाते हैं जबकि सिंचाई के फलस्वरूप कृषि कार्यों में हुई बढ़ोतरी का कुछ असर बच्चे-बच्चियों का शिक्षा पर भी पड़ा है। स्कूल जाने योग्य उम्र के बच्चों को स्कूल भेजने की जगह कुछ बच्चों को कृषि कार्यों में लगा दिया जाता है ताकि परिवार को मजदूरी की बचत हो सके।

इस तालिका से यह भी जानकारी मिलती है कि ग्राम समूह III में जहां स्कूल जाने योग्य उम्र की 67.39 प्रतिशत बच्चियां स्कूल जाती हैं, वहीं ओ. एफ. डी. वाले ग्राम समूह में 53.01 प्रतिशत बच्चियां स्कूल जातीं हैं और अधिक आय वाले क्षेत्र ग्राम समूह II की केवल 48.15 प्रतिशत बच्चियां ही स्कूल जाती पाई गई हैं।

समग्र दृष्टि से देखें तो सर्वेक्षित परिवारों के स्कूल जाने योग्य उम्र के 67.77 प्रतिशत बच्चे-बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनमें सबसे ऊंचा स्थान ग्राम समूह III के भांडाहेड़ा ग्राम का है और सबसे नीचा स्थान ग्राम समूह II के कोड़सुआ गांव का। सबसे अधिक अनुपात में स्कूल जाने वाली लड़कियां भी ग्राम समूह III के भांडाहेड़ा ग्राम की हैं तो सबसे कम ओ. एफ. डी. के सबसे अधिक लाभान्वित गाँव अरनेठा की।

□

4

फसल चक्र एवं उत्पादन

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। चम्बल कमांड परियोजना के प्रथम चरण में कृषकों को सिंचाई की सुविधा दी गई जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ फसल चक्र में भी परिवर्तन आया। कालान्तर में प्रसार सेवा के माध्यम से भी उत्पादन को नया आयाम मिला। क्षेत्र में सोयाबीन, धान की खेती तो प्रारम्भ हुई ही, साथ ही साथ उन्नत वीज का भी प्रयोग वड़ा। इस प्रयासों से प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि हुई। ओ.एफ.डी. कार्यक्रम से कृषि एवं भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन आया इसका भी फसल चक्र पर प्रभाव पड़ा। पानी के उत्तम उपयोग तथा सभी खेतों में पानी पहुंचाने के प्रयास के कारण कृपकों ने नई फसलें बोनी प्रारम्भ की।

इस अध्याय में सर्वेक्षित गांवों तथा सर्वेक्षित परिवारों द्वारा अपनाये जा रहे फसल चक्र तथा प्रति हेक्टर उत्पादन पर विशेप रूप से विचार किया गया है। इसी क्रम में कृषि आय, प्रति हेक्टर शुद्ध आय आदि मुद्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है। तथ्यात्मक दृष्टि से नहर न जाने के पूर्व की स्थिति तथा वर्तमान स्थिति के वीच तुलना करने का प्रयास किया गया है। नहर आने के पूर्व की जानकारी करते समय इस वात का अनुमान लगाया गया है कि उस समय क्या स्थिति थी। इसमें कृपकों द्वारा व्यक्त राय को विश्वसनीय माना गया है। आर्थिक अनुमान लगाते समय आज के मूल्य को

आधार माना गया है।

1. मुख्य फसल

(क) ओ.एफ.डी. से प्रभावित गांव—ओ.एफ.डी. से प्रभावित सर्वेक्षित गांवों-अरनेठा एवं भींया में नई फसलों में गन्ना, धान, सोयाबीन की फसलें पैदा की जाने लगी हैं और गेहूँ के रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। कल्याणपुरा एवं मोरपा में धान एवं सोयाबीन की नई फसलें ली जाने लगी हैं। लेकिन गन्ने की खेती को उल्लेखनीय महत्व नहीं मिला है। बमोरी में सोयाबीन के साथ मसूर एवं आलू की खेती को बढ़ावा मिला है। सरसों की खेती भी पूर्वापेक्षा अधिक क्षेत्र में की जाने लगी है।

(ख) सर्वेक्षित गांवों में दईखेड़ा एवं कोडसुआ दोनों ही ऐसे गांव है जो चम्बल की नहरों से तो लाभान्वित हुए हैं लेकिन वहां ओ.एफ.डी. कार्य नहीं हुआ है। इन गांवों में से दईखेड़ा में एक सीमा तक गन्ने, सोयाबीन एवं धान की नई फसलें लेने का सिलसिला चला है लेकिन कोडसुआ में केवल सोयाबीन की नई फसल उल्लेखनीय मानी जी सकती है।

(ग) गेंडोलीखुर्द एवं भांडाहेड़ा दोनों ही सर्वेक्षित गांव ऊंचाई पर होने के कारण चम्बल ही नहरों से लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। यहां जो फसलें आज से 25 साल पहले पैदा की जाती थीं, लगभग वे ही फसलें आजकल भी पैदा की जाती है। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से फसल चक्र में भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है।

पंजाबी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने राजस्थान के गंगानगर जिले में कृषि में तकनीकी परिवर्तन शीर्षक अध्ययन में बताया कि वहां बहुसंख्यक किसान गेहूँ के उन्नत बीज का इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ के अलावा कपास, गन्ना तथा चावल का क्षेत्र भी बढ़ा है। चम्बल कमांड क्षेत्र में कपास का उत्पादन बढ़ने की जगह घटा है लेकिन गन्ने एवं चावल का उत्पादन बढ़ा है और गेहूँ के उन्नत बीज का उपयोग बढ़ा है। पहले यहां काठा गेहूँ बोया जाता था लेकिन अब फार्मी, शरबती एवं सोना कल्याण गेहूँ अधिक मात्रा में बोया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती बढ़ी है जबकि गंगानगर में अभी सोयाबीन की खेती का उतना प्रचलन नहीं हुआ है।

2. फसल चक्र

चम्बल योजना के वाद फसल चक्र में मुख्य परिवर्तन यह आया है कि नहरों से पानी मिलने की अनिश्चितता के कारण धान की खेती का रकवा, जिसमें नहरी पानी आने के वाद काफी वढ़ोतरी हो गई थी, अव पूर्वापेक्षा घट गया है। इसी प्रकार केशोरायपाटन सुगर मिल्स द्वारा गन्ने की खरीद में होने वाली अव्यवस्था एवं गन्ने की कीमत के भुगतान में किये जाने वाले विलम्व के कारण गन्ने की फसल के रकवे में कमी आई है लेकिन कम पानी वाली सरसों एवं सोयावीन की व्यापारिक फसलों का क्षेत्र वढ़ा है। खरीफ की फसल के लिए नहरी पानी प्रायः न मिलने अथवा कम मात्रा में मिलने के कारण धान एवं गन्ने की खेती किसानों के लिए कई वार नुकसान का सौदा वन गई है।

3. प्रति हेक्टर उत्पादन

चम्बल योजना के पूर्व एवं वर्तमान में विभिन्न फसलों के प्रति हैक्टर उत्पादन की स्थिति निम्न प्रकार है—

तालिका सं. 4:1

उत्पादन वृद्धि की दिशा

(क्विंटल प्र.हैक्टर)

फसल का नाम	चम्बल योजना के पहले	वर्तमान उत्पादन	वृद्धि/कमी
1	2	3	4
1. गेहूँ	12	25-30	+ 13-17
2. जौ	7	12	+ 5
3. चना	10-12	8-10	- 2
4. मक्का	12	12	–
5. मूंग	5-7	5-7	–
6. धनिया	7	6	- 1
7. गन्ना	उत्पादन नहीं	300	–

Contd....

Contd....

8. अलसी	7	7	–
9. तिल	7	7	–
10. मूंगफली	20	20	–
11. सोयाबीन	उत्पादन नहीं	5-7	–
12. कपास	4	–	–
13. धान	उत्पादन नहीं	40	–
14. मसूर	5-7	5-7	–

स्रोत—सर्वेक्षण के आधार पर

विभिन्न ग्राम समूहों के सर्वेक्षित परिवारों में प्रति बीघा कृषि उत्पादन एवं कृषि आय की निम्न स्थिति पाई गई—

तालिका सं. 4:2

कृषि भूमि एवं कृषि आय (1983-84)

विवरण	कृषि भूमि (बीघा में)	परिवार संख्या	कृषि आय (रुपयों में)	प्रति बीघा कृषि आय (रुपयों में)
1	2	3	4	5
ग्राम समूह I (ओ.एफ.डी.)	5498	193	1365885	248
ग्राम समूह II (नहर प्रभावित गैर ओ.एफ.डी.)	940	55	313805	334
ग्राम समूह III (गैर योजना)	1826	56	315875	173
योग	8264	304	1995565	241

उक्त तालिका यह दर्शाती है कि यद्यपि नहरों से प्रभावित गांवों में ग्राम समूह I एवं II में प्रति बीघा कृषि उत्पादन एवं कृषि आय ग्राम समूह III से अधिक है

लेकिन कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके दो मुख्य कारण देखने में आये : (1) सर्वेक्षित साल में वर्षा कुछ कम होने के कारण जमीन में आद्रता में कुछ कमी एवं विभिन्न फसलों में कृषि क्षेत्र में कमी तथा नहरों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से पैदावार में गिरावट और (2) भावों में हुई घटा-वढ़ी अर्थात फसल के अवसर पर माल की आवक वढ़ने के कारण मण्डी में किसान को भाव कम मिला।

अव धीरे-धीरे गेहूँ इस क्षेत्र की मुख्य कृषि फसल वनती जा रही है। गेहूँ के क्षेत्र में लगभग 80-100 प्रतिशत वढ़ोतरी हुई है। गेहूँ की फसल लेने पर नहरों से लाभान्वित दोनों ग्राम समूहों में प्रति हेक्टर कृषि आय की निम्न स्थिति देखी गई—

तालिका संख्या 4:3

गेहूँ उत्पादन में वृद्धि की दिशा

प्रति हेक्टर आय (रुपयों में)

विवरण	नहर से पहले	नहरी पानी मिलने के वाद		वृद्धि
1	2	3		4
गेहूँ की विक्री से	1125	3000	+	1875
भूसे की विक्री से	280	750	+	470
योग	1405	3750	+	2345

उत्पादन आय में वढ़ोतरी 167 प्र.श.

सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्य पर नहर आने के वाद की स्थिति 1983-84 की है।

तालिका सं. 4:4 दर्शाती है कि नहरी पानी आने के पहले इस क्षेत्र में वर्षा पर आधारित गेहूँ की फसल ली जाती थी और इसलिए सिंचाई पर प्रायः कोई व्यय नहीं था। ऐसे खेतों की संख्या वहुत कम थी जहां कुओं से सिंचाई करके गेहूँ पैदा किया जाता हो। इस क्षेत्र में पैदा होने वाला गेहूँ 'काठेड़ा' कहलाता था जो लाल होता था एवं शरवती अथवा फार्मी गेहूँ से 20 से 30 प्रतिशत तक कम भावों पर विकता था। सिंचाई के अलावा खाद पर वहुत कम व्यय किया जाता था। नहरी पानी मिलने के वाद गेहूँ की पैदावार में वृद्धि के उद्देश्य से रासायनिक खाद का उपयोग वहुत वढ़ा है। प्रारंभ में जहां प्रति हेक्टर एक कट्टा रासायनिक खाद डाला जाता था, अव उतने क्षेत्र में अच्छी फसल लेने के लिये 5-6 कट्टे तक रासायनिक खाद की आवश्यकता

पड़ती है क्योंकि यदि कम मात्रा में खाद डाला जाय तो पूरी पैदावार नहीं मिलती। इसका अर्थ यह भी है कि क्रमशः भूमि की अपनी उत्पादन शक्ति कम होती जा रही है।

तालिका संख्या 4:4

प्रति हेक्टर गेहूँ उत्पादन पर व्यय

(रुपयों में)

	विवरण	नहर से पूर्व व्यय	नहरी पानी मिलने के वाद व्यय		प्रति हेक्टर व्यय में वृद्धि
	1	2	3		4
1.	जुताई एवं वुआई	400	600	+	200
2.	खाद	100	1200	+	1100
3.	वीज	150	250	+	100
4.	सिंचाई	–	90	+	90
5.	कटाई	200	200	+	–
6.	विविध	75	375	+	300
	योग	925	2715	+	1790

(193 प्र.श. वढ़ोतरी)

गेहूँ की खेती से प्रति हेक्टर शुद्ध कृषि आय की निम्न स्थिति पाई गई—

तालिका संख्या 4:5

गेहूँ उत्पादन एवं शुद्ध आय

(रुपयों में)

	विवरण	नहरी पानी आने से पूव	नहरी पानी आने के वाद		वृद्धि
	1	2	3		4
1.	प्रति हेक्टर उत्पादन आय	1405	3750	+	2345
2.	प्रति हेक्टर उत्पादन व्यय	925	2715	+	1790
	शुद्ध आय	480	1035	+	555

आय में वढ़ोतरी 115.6 प्र.श.

उक्त तालिका के संदर्भ में तालिका सं. 4:3 यह दर्शाती है कि जहां गेहूँ की खेती से प्रति हेक्टर सकल कृषि आय में 167 प्रतिशत वढ़ोतरी हुई है वहीं शुद्ध कृषि आय में केवल 115.6 प्रतिशत वढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट है कि किसान नहरी पानी आने से पहले जितनी शुद्ध आय लेता था, उससे दुगुनी से अधिक आय अभी प्राप्त रहा है। डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने अपने अध्ययन 'टेक्नालाजीकल ट्रांसफार्मेशन इन एग्रीकल्चर' में वताया है कि उन्नत वीज एवं अन्य उन्नत साधनों के उपयोग से फसलों के उत्पादन में तो वृद्धि आई ही है लेकिन फसल उत्पादन पर हुए व्यय को घटाने के वाद शुद्ध उत्पादन आय भी वड़ी है। यही स्थिति इस अध्ययन क्षेत्र की भी है।

प्रति हैक्टर कृषि उत्पादन एवं शुद्ध कृषि आय मापने के लिए 5 हैक्टर से अधिक भूमिधारक 93 परिवारों का विशेष अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन के परिणाम नीचे की तालिका में दर्शाये गये हैं—

तालिका सं. 4:6

प्रति हैक्टर शुद्ध आय (वड़े किसान)

(रुपयों में)

विवरण	परिवार संख्या	प्रति हैक्टर कृषि उत्पादन	प्रति हैक्टर कृषि व्यय	प्रति हैक्टर शुद्ध आय
1	2	3	4	5
ग्राम समूह I	66	2165.38	792.61	1372.77
ग्राम समूह II	10	2304.31	962.94	1341.37
ग्राम समूह III	17	1738.19	525.56	1012.63
योग	93	2040.00	751.00	1289.00

उक्त तालिका यह दर्शाती है कि जहां वड़े किसानों को ओ.एफ.डी. के ग्रामों में प्रति हैक्टर 1372.77 रुपये प्रति हैक्टर शुद्ध कृषि आय हुई है, वहीं नहरों से लाभान्वित

सुरेन्द्रसिंह; टेकनोलाजिकल ट्रांसफार्मेशन इन एग्रीकल्चर, (राजस्थान का अध्ययन), अरीअन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1984

न होने वाले ग्राम समूह III में यह केवल 1012.63 रुपये ही है।

उक्त विश्लेषण के अनुसार वड़े किसान प्रति हैक्टर उत्पादन एवं आय की दृष्टि से अन्य किसानों की तुलना में वहुत अधिक सुविधाजनक स्थिति में हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रति हैक्टर कृषि उत्पादन एवं आय उन किसानों को अधिक हुई है एवं होती है जिन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

4. फसल चक्र की दिशा

अध्ययन से पता चला है कि खरीफ की फसल के दौरान आवश्यकता होने पर नहरी पानी सुनिश्चित ढंग से मिल जाये तो किसान गन्ना एवं धान की फसल के साथ मक्का की खेती करना अधिक लाभप्रद समझते हैं लेकिन इस वारे में पूर्णतः आश्वस्त न होने के कारण धान के कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। गन्ने की खेती में भी वढ़ोतरी हो सकती है यदि गन्ना उत्पादक किसानों का गन्ना समय पर खरीदने की सही व्यवस्था स्थापित हो सके और गन्ना मिल गन्ने का क्रय मूल्य किसान को समय पर दे। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे हैं कि नहरी पानी से लाभान्वित हुए वूंदी जिले के किसान अन्य फसलों की तुलना में गन्ने की फसल लेने के प्रति अधिक दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि यह नकदी वाली फसली है और गन्ने की विक्री के लए गन्ना मिल की सुविधा उपलव्ध है। रवी की फसल में गेहूँ के साथ-साथ चना, सरसों आदि के कृषि क्षेत्र में वढ़ोतरी की और गुंजाइस है । यदि गेहूँ एवं चने की सिंचाई के लिए नहरी पानी की उपलव्धि सुनिश्चित की जा सके एवं पानी की समय पर उपलव्धि के लिए नहर विभाग के अधिकारियों एवं किसानों में अधिक निकटता लाई जा सके।

व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में विस्तार के लिए किसानों में अनुकूलता का भाव विद्यमान है। इसमें यदि कोई वाधा है तो वह नहरी अधिकारियों के साथ उनकी पटरी सही ढंग से न वैठने की है। दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर जितना कम होता जायेगा, उतना ही फसल चक्र अधिक संतुलित वनता जायेगा और कृषि उत्पादन एवं कृषि आय में वढ़ोतरी होती जायेगी।

गांव के वृद्ध किसानों और मुखियाओं ने विभिन्न फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि के वारे में (सिंचाई के प्रारंभ के पूर्व और सिंचाई प्रारंभ होने के वाद) अपनी राय

व्यक्त की है। वह राय यद्यपि तालिका सं 4:1 में दिये गये ऑकड़ों से पूर्णतः मेल नहीं खाती फिर भी उस राय को महत्वपूर्ण मानते हुए हम उनके द्वारा वताये गये ऑकड़ों का समन्वित स्वरुप नीचे की तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करना उपयोगी मानते हैं—

गांव के वुजुर्गों की राय में चम्बल से नहरी सिंचाई प्रारंभ होने के पहले और सिंचाई के वाद कृषि उत्पादन में वृद्धि इस प्रकार है—

तालिका सं. 4:7

सिंचाई के पूर्व एवं वाद में उत्पादन वृद्धि

(उत्पादन क्विंटल में)

	कृषि उपज का विवरण	नहरी सिंचाई की सुविधा के पहले औसत कृषि उत्पादन प्रति है.	नहरी सिंचाई की सुविधा के याद प्रति हैक्टर औसत कृषि उत्पादन	कितनी गुना वढ़ोतरी
1	2	3	4	
1.	गेहूँ	7.5	20	2.67
2.	ज्वार सफेद	5.0	20	4.00
3.	ज्वार लाल	5.00	15	3.00
4.	तिल	2.5 से 3.75	2.5 से 3.75	फर्क नहीं
5.	सोयावीन	उत्पादन नहीं	10 से 12.5	—
6.	धान	उत्पादन नहीं	40	पानी की कमी से तीन साल से उत्पादन वंद
7.	अलसी	2.5 से 3.75	2.5 से 3.75	फर्क नहीं
8.	चना	10 से 12.5	१० से 12.5	फर्क नहीं
9.	धनिया	2.5	2.5	फर्क नहीं
10.	गन्ना	—	300	विक्री की उचित व्यवस्था के अभाव में वुआई क्षेत्र में कमी

फसल चक्र एवं प्रति हैक्टर उत्पादन के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि नहर से प्रभावित एवं ओ.एफ.डी. कार्यक्रम से लाभान्वित गांवों में गैर योजना के गांवों की तुलना में प्रति हैक्टर उत्पादन तथा शुद्ध आय अधिक है। नहर से प्रभावित ग्राम समूह की दृष्टि से देखे तो ओ.एफ.डी. तथा सिंचाई कार्यक्रम से लाभान्वित गांवों में खास अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट है कि प्रथम कुछ वर्षों में ओ.एफ.डी. कार्यक्रम का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव देखने में नहीं आया। इसके कारणों की तलाश में यह बात सामने आई कि इस कार्यक्रम में भूमि समतलीकरण तथा अन्य कार्यों के कारण भू-संरचना में पूर्णतः अनुकूल परिवर्तन नहीं पाया है। इस कारण शुरू के 3-4 वर्षों तक उत्पादन में खास वृद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि किसानों की धारणा है कि यदि भविष्य में ओ.एफ.डी. कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू किया जाय तो प्रति हैक्टर उत्पादन वढ़ेगा।

☐

5

सिंचाई सुविधा : स्थिति एवं कठिनाइयां

अध्ययन के दौरान इस बात की जानकारी प्राप्त की गई कि सिंचाई के परम्परागत एवं नये साधनों की क्या स्थिति है ? विभिन्न ग्राम समूहों में किन साधनों से कितनी सिंचाई होती है तथा हाल के वर्षों में सिंचाई साधनों में क्या परिवर्तन आया है। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई कि गैर योजनागत एवं कमांड कार्यक्रम से प्रभावित गावों में सिंचाई के साधन तथा सिंचित-असिंचित भूमि का अनुपात क्या है ? इस अध्याय में इस बात पर भी विचार करने का प्रयास किया गया है कि नहर एवं ओ.एफ.डी. से प्रभावित गांवों में सिंचाई से संबंधित क्या कठिनाइयां हैं ?

ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों के पास 87.36 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है और केवल 12.64 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है। लेकिन ग्राम समूह II के सर्वेक्षित परिवारों ने 94.39 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधा बताई है। ग्राम समूह III में असिंचित क्षेत्र ज्यादा है। केवल 42.50 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और 57.50 क्षेत्र असिंचित है। तालिका सं. 5:1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि चम्बल योजना के फलस्वरुप सिंचित क्षेत्र में भारी बढ़ोतरी हुई है। गैर योजना क्षेत्र में जितने क्षेत्र में सिंचाई होती है, उससे दुगुने से भी अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उन ग्रामों में उपलब्ध हो गई है जहां नहरें पहुँची है। यद्यपि ओ.एफ.डी. में आये परिवारों में सिंचित

क्षेत्र का प्रतिशत उन परिवारों की तुलना में कम बताया है जो ओ.एफ.डी. से वंचित रहने के वावजूद सिंचाई का उचित सीमा में लाभ उठा रहे हैं। यह तथ्य इस ओर ध्यान दिलाता है कि ओ.एफ.डी. कार्यक्रम की क्रियान्विति में होने वाली गड़बड़ियों के कारण सभी खेतों में पानी नहीं पहुँचता है, जवकि लक्ष्य सभी खेतों को पानी देने का रखा गया था।

तालिका सं. 5:1

सर्वेक्षित परिवारों में सिंचाई सुविधा

(हैक्टर में)

गांव का नाम	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	कुल
1	2	3	4
ग्राम समूह I			
1. अरनेठा	215.36	0.48	215.84
2. भीया	147.04	5.76	152.80
3. कल्याणपुरा	106.56	86.66	193.44
4. वमोरी	203.20	14.72	217.92
5. मोरपा	144.00	10.24	154.24
योग	816.16	118.08	934.24
	(87.36)	(12.64)	(100)
ग्राम समूह II			
6. दईखेड़ा	88.64	5.12	93.76
7. कोडसुआ	86.40	5.28	91.68
योग	175.04	10.40	185.44
	(94.39)	(5.91)	(100)
ग्राम समूह III			
8. गेंडोलीखुर्द	39.20	54.24	93.44
9. भांडाहेड़ा	84.96	113.76	198.72
योग	124.16	168.00	292.16
	(42.50)	(57.50)	(100)

तालिका सं. 5:2

सर्वेक्षित परिवारों में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई

सिंचित क्षेत्र (हेक्टर में)

गांव का नाम	नहर	तालाब	इंजिन पम्प	लाव-चडस	योग
1	2	3	4	5	6
ग्राम समूह I					
1. अरनेठा	209.60	–	5.44	0.32	215.36
2. भीया	146.96	–	–	0.08	147.04
3. कल्यांणपुरा	106.30	–	–	0.26	106.56
4. बमोरी	167.52	27.68	8.00	–	203.20
5. मोरपा	138.88	–	0.80	4.32	144.00
योग	769.26	27.68	14.24	4.98	816.16
	(94.25)	(3.39)	(1.75)	(0.61)	(100)
ग्राम समूह II					
6. दईखेड़ा	85.76	–	2.88	–	88.64
7. कोडसुआ	86.40	–	–	–	86.40
योग	172.16	–	2.88	–	175.04
	(98.35)	–	(1.65)	–	(100)
ग्राम समूह III					
8. गेंडोलीखुर्द	5.60	8.80	2.72	22.08	39.20
9. भांडाहेड़ा	–	32.80	14.88	37.28	84.96
योग	5.60	41.60	17.60	59.36	124.16
	(4.51)	(33.50)	(14.18)	(47.81)	(100)

उक्त तालिका दर्शाती है कि ग्राम समूह I के सर्वेक्षित परिवारों के अनुसार 94.25 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहरें हैं जबकि 3.39 प्रतिशत क्षेत्र में तालाब है और 2.36 प्रतिशत क्षेत्र में कुओं से सिंचाई की जाती है। ग्राम समूह II के सर्वेक्षित

परिवारों के अनुसार 98.35 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहरें हैं तो 1.65 प्रतिशत क्षेत्र में कुएं।

सिंचाई की परम्परागत व्यवस्था

नहरी पानी आने के पहले ग्राम समूह सं. I एवं II में मुख्यतः कुओं से सिंचाई होती थी। ग्राम समूह I के ग्राम बमोरी में तालाब भी सिंचाई का उल्लेखनीय स्रोत है जहां 14 प्रतिशत क्षेत्र में अब भी तालाब से सिंचाई होती है। ग्राम समूह III में सिंचाई का मुख्य साधन कुएँ एवं तालाब ही थे और आज भी उन्हीं साधनों से कृषि होती है जिसकी झलक तालिका संख्या 5:2 से मिल सकती है। इस ग्राम समूह के सर्वेक्षित गांव गेंडोलीखुर्द के सर्वेक्षित परिवारों ने बताया कि 22.45 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई तालाबों से और 77.55 प्रतिशत क्षेत्र की कुओं से की जाती है। इस प्रकार भांडाहेड़ा गांव के सर्वेक्षित परिवारों ने बताया कि 39 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई का स्रोत तालाब हैं और 61 प्रतिशत का स्रोत कुएं हैं।

2. सिंचाई के नये साधन

ग्राम समूह I एवं II में सिंचाई के नये साधनों में नहरों का मुख्य स्थान है जो परिवार सिंचाई के लिए कुओं का उपयोग करते हैं, वे भी अब लाब-चड़स के जरिये कुओं से पानी खींचने की जगह इंजिन पम्पों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तालिका संख्या 5:2 में जहा 47.81 प्रतिशत क्षेत्र में लाब-चड़स से पानी निकाला जाता है वहीं 14.18 प्रतिशत क्षेत्र में इंजिन पम्पों के जरिये पानी खींचा जाता है।

3. नहरी क्षेत्र एवं ओ.एफ.डी. के गावों में सिंचाई समस्याएँ

ओ.एफ.डी. में आये सर्वेक्षित गावों के सर्वेक्षित परिवारों ने बताया है कि उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। खरीफ की फसल के लिए तो पानी मिलता ही नहीं क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले नहरी पानी नहीं दिया जाता। अनेक किसानों ने तो यह शिकायत भी की है कि वर्षा के दिनों में नहर के पानी को चम्बल में तो डाल दिया जाता है लेकिन खरीफ की सूखती फसल को वचाने के लिए किसानों को नहरी पानी नहीं दिया जाता। खेतों में पानी पहुँचाने के लिए जो धोरे वने

हैं, उनमें से अनेक निचाई पर हैं और कृषि की जमीन ऊंचाई पर है जिससे खेत में पानी नहीं पहुँचता। सिंचाई के लिए जो घोरे वनाये गये हैं वे लम्बे भी अधिक हैं फलस्वरुप पानी टेल (अंतिम सिरा) तक नहीं पहुँच पाता।

अनेक किसानों ने यह शिकायत की है कि चने की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, फिर भी सिंचाई शुल्क वसूल कर लिया जाता है।

किसानों की यह भी शिकायत है कि क्षेत्र के वारे में नहरी ओवरसियरों की जानकारी अपूर्ण एवं अधूरी है जिसके कारण एक ओर पानी अनावश्यक रूप से वेकार रहता है और दूसरी ओर सिंचाई के लिए पानी न पाने के कारण किसान आर्थिक क्षति के शिकार हो जाते हैं।

अनेक किसानों ने यह भी शिकायत की है कि माइनर खराव हो गई हैं। उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था का अभाव है। किसानों को यह भी शिकायत है कि नहर वन्द करने की पूर्व सूचना किसानों को नहीं मिलती जिससे वे सचेत नहीं हो पाते। अचानक नहर बन्द हो जाने से पिलाई कार्य अधूरा रह जाता है जिससे फसल को भारी क्षति पहुँचती है।

4. पानी का रिसाव एवं जमाव और नाली व्यवस्था एवं संबंधित समस्याएँ

ग्राम समूह I के 193 सर्वेक्षित परिवारों में से 62.12 प्रतिशत की राय है कि नाली व्यवस्था से लाभ हुआ है अर्थात पानी का दुरुपयोग कम हुआ लेकिन 12.44 प्रतिशत परिवारों के मुखियाओं का कथन है कि नाली वनाने से उन्हें लाभ नहीं पहुँचा है। इसी प्रकार 55.76 प्रतिशत परिवार मानते हैं कि ओ.एफ.डी. के अन्तर्गत वनाई गई नालियों से पानी का रिसाव कम हुआ है। लेकिन 20.20 प्रतिशत परिवारों की राय है कि पानी के रिसाव में कोई कमी नहीं आई है।

इस संवंध में सर्वेक्षित गांवों के मुखियाओं एवं अन्य लोगों से हुई चर्चा से सामने आया निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

1. पानी की निकासी के लिए नालियां तो वना दी गई हैं लेकिन पाइप नहीं लगाये गये हैं जिससे पानी लेने में परेशानी होती है।
2. नालियों की सही ढंग से खुदाई नहीं हुई है जिसके कारण पानी त्वरित गति से नहीं वह पाता।

3. सही ढंग की नालिया न होने के कारण पानी का स्तर ऊपर आ गया है। कई जगह तो पानी की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि 2-3 फुट की खुदाई करने पर ही पानी आ जाता है। पानी के भराव के कारण अनेक स्थानों पर भूमि में खारापन आ गया है।
4. पानी की निकासी के लिए जो नालियां बनाई हैं उनसे पानी के उपयोग की व्यवस्था न होने के कारण एक ओर उनमें पानी बेकार पड़ा रहता है और दूसरी ओर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता।
5. पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रास्तों में कीचड़ एवं पानी भरा रहता है जिससे ट्रेक्टरों एवं बेलगाड़ियों को तथा पैदल आने-जाने वालों सबको असुविधा होती है। कहीं-कहीं तो कीचड़ में इतने गहरे गड्ढे पड़ गये हैं कि साइकिल चलाने वाले उनमें फंस कर गिर जाते हैं।
6. अनेक खेतों में सिंचाई की नालियां नीचे हैं और पानी निकालने की ड्रेन अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बना दी गई है। इन ड्रेनों के कारण भी भूमि में खारापन बढ़ने का खतरा है।
7. पुलिया सही ढंग से नहीं बांधी गई है। वे वर्षा में टूटती रहती हैं और आवागमन में कठिनाई पैदा हो जाती है।
8. बमोरी में नाली के पानी एवं वर्षा के पानी ने मिलकर तालाब की शक्ल ग्रहण कर ली है।
9. अधिकांश नालिया कच्ची हैं। उन्हें पक्का नहीं किया गया है।

□

6

ऑन फार्म डेवलपमेंट (OFD)
(जल एवं भू-संरक्षण समग्र कार्यक्रम)

(क) जल एवं भू-संरक्षण (On Farm Development) कमांड एरिया डेवलपमेंट का प्रमुख कार्यक्रम है। यह आशा रखी गई थी कि इससे कृषि का समग्र विकास तो होगा ही, साथ ही ग्रामीण जीवन को भी नई दिशा मिलेगी। इस कार्यक्रम से फसल चक्र, भूमि सुधार, भूमि के उपयोग, पानी का अधिकतम उपयोग, वाजार का विकास, कृषि तकनीक आदि में गुणात्मक परिवर्तन आयेगा, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। सर्वेक्षण के दौरान इस कार्यक्रम के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के वारे में अविश्वास का वातावरण भी देखने को मिला। कार्यक्रम के कुछ मुद्दे ऐसे भी सामने आये जिनके कारण गांवों में कार्यक्रम विरोधी वातावरण वना और इस कारण इसकी क्रियान्विति नीति में भी परिवर्तन करना पड़ा।

इस वारे में जो तथ्य सामने आये उन पर इस अध्याय में विचार किया गया है।

इस कार्यक्रम के निम्न लक्ष्य माने गये हैं—

(क) जल का अधिक निपुण ढंग से उपयोग करके सिंचाई की मात्रा वढ़ाना एवं अधिकाधिक कृषि क्षेत्र को दुफसली एवं तफसली क्षेत्र में परिवर्तन।

(ख) जल के अधिक सामयिक उपयोग और पर्याप्त जल निकासी सुविधाओं द्वारा अधिक पैदावार लेना।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित करने की अपेक्षा रखी गई है—

1. अधिक वैज्ञानिक ढंग की सिंचाई, जल निकास एवं सड़क प्रणाली की स्थापना के लिए खेतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण।
2. सिंचाई और जल निकासी नालियों का निर्माण।
3. खेतों में आवागमन के लिए सड़कों एवं रास्तों का निर्माण।
4. फसलों की एक समान सिंचाई की दृष्टि से कृषि भूमि का समतलीकरण।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 20000 हैक्टर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई सुविधा खड़ी करना भी शामिल था और उस क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई के साथ-साथ भूमि के समतलीकरण, जल निकास नालियों का निर्माण तथा फार्म सड़कें एवं रास्ते बनाने का कार्य भी पूरा किया जाना था। क्षेत्र में सिचाई के खालों एवं नालियों को स्थान-स्थान पर पक्का करना भी इस कार्यक्रम की सफलता की दृष्टि से आवश्यक माना गया था।

इन कार्यक्रमों पर प्रति हैक्टर 3280 रुपये निम्न ढंग से व्यय किये जाने की परिकल्पना है—

		रुपये
(क)	सिंचाई की नालियों एवं खालों का निर्माण आदि	406
(ख)	पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण	730
(ग)	भूमि का समतलीकरण, खेतों की सीमा का पुन: निर्धारण एवं फार्म सड़कों एवं रास्तों का निर्माण	2.144
	योग—	3,280

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का वित्तीय दायित्व राजस्थान भूमि विकास कारपोरेशन को दिया गया है जो किसानों से 9.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मूल कर्ज राशि 15 साल में किश्तों में वसूल करेगा। राजस्थान भूमि विकास कारपोरेशन की सिफारिश पर व्यापारिक बैंक कर्जे की दरख्वास्तें मंजूर करके उसके माध्यम से रुपया

सी.ए.डी. को सीधा सौंप देते हैं। चक में कार्य शुरू होने पर कर्जे की राशि का 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर 30 प्रतिशत, 75 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर, 25 प्रतिशत और कार्य पूरा होने की घोषणा पर 12.50 और कार्य पूरा होने की पुष्टि होने पर, शेष 12.50 प्रतिशत कर्जा दिया जाता है। भारत सरकार 1 हैक्टर भूमिधारी सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत, 1 से 2 हैक्टर भूमिधारी लघु कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान देती है। इस श्रंखला के अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत जिन किसानों की कृषि भूमि समतलीकरण एवं अन्य कार्यों के लिए कब्जे में ली जाती है उनमें से 80 प्रतिशत को 1200 रुपये प्रति हैक्टर फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है।

(ख) कार्यक्रमों का जिस ढंग से क्रियान्वयन किया गया है और प्रभावित लोग लाभान्वित हुए हैं, उस संबंध में ग्राम समूह I में सर्वेक्षित 193 परिवारों की राय तालिका सं. 6:1 में दर्शित है। तालिका संकेत देती है कि 29.01 परिवारों का कथन है कि पानी उनके सभी खेतों तक नहीं पहुँचता और 23.84 की राय है कि पहले की और आज की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है।

पानी खेत के सभी हिस्सों में पहुँचता है या नहीं, इस संबंध में 32.12 प्रतिशत परिवारों का कथन है कि पानी खेतों के सभी हिस्सों तक पहुँचता अर्थात् कुछ हिस्सों में तो पानी पहुँच जाता है और कुछ हिस्से पानी से वंचित रह जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वे हिस्से पानी के स्तर से अधिक ऊंचाई पर रह गये हैं और इसलिए पानी उन हिस्सों तक नहीं पहुँच पाता। 23.84 प्रतिशत परिवारों की राय में पानी उपलब्ध होने की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है। केवल 44.04 प्रतिशत परिवार ही यह मानते हैं कि पानी खेतों के सभी हिस्सें तक पहुँचता है।

सर्वेक्षित गांवों के मुखियाओं, बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न श्रेणी के प्रतिनिधि किसानों से हुई चर्चा से ओ.एफ.डी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी निम्न प्रतिक्रिया प्राप्त हुई—

1. अरनेठा ग्रामवासियां ने यह मत व्यक्त किया है कि ओ.एफ.डी. के वाद विभिन्न फसलों का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन नहीं वढ़ा है। इसके विपरीत कहीं-कहीं तो प्रति हैक्टर उत्पादन में कमी आई है। अनेक खेतों में जल निकासी व्यवस्था में

तालिका सं. 6:1

कार्यक्रम से लाभ के बारे में सर्वेक्षित परिवारों की राय

(संख्या एवं प्र. श.)

गांव का नाम	सर्वेक्षित परि. संख्या	क			ख			ग			घ		
		हां	नहीं	विशेष नहीं	हां	नहीं	विशेष नहीं	हां	नहीं	विशेष नहीं	हां	नहीं	विशेष नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. अरनेठा	53	38	6	9	27	17	9	34	10	9	28	16	9
		(71.70)	(11.32)	(16.98)	(50.94)	(32.08)	(16.92)	(64.15)	(18.87)	(16.98)	(52.83)	(30.19)	(16.98)
2. भींया	39	32	4	3	26	10	3	21	15	3	26	10	3
		(82.05)	(10.26)	(7.69)	(66.67)	(25.64)	(7.69)	(53.85)	(38.46)	(7.69)	(66.67)	(25.64)	(7.69)
3. कल्याणपुरा	25	14	2	9	7	9	7	9	9	15	1	9	
		(56.00)	(8.00)	(36.00)	(36.00)	(28.00)	(36.00)	(28.00)	(36.00)	(36.00)	(60.00)	(4.00)	(36.00)
4. बमोरी	34	11	8	15	10	9	15	8	11	15	11	8	15
		(32.35)	(23.53)	(44.12)	(29.41)	(26.47)	(44.12)	(23.53)	(32.35)	(44.12)	(32.35)	(23.53)	(44.12),
5. मोरपा	42	28	4	10	19	13	10	15	17	10	28	4	10
		(66.67)	(9.52)	(23.81)	(45.24)	(30.95)	(23.81)	(35.71)	(40.48)	(23.81)	(66.67)	(9.52)	(23.81),
योग	193	123	24	46	91	56	46	85	62	6	108	29	46
		(62.12)	(12.44)	(23.84)	(47.15)	(29.01)	(23.84)	(44.04)	(32.12)	(23.84)	(55.96)	(20.21)	(23.84)

नोट : (क) नाली बनाने से पानी का दुरूपयोग कम हुआ। (ख) पानी सभी खेतों तक पहुंचता है। (ग) पानी खेतों के सभी हिस्सों तक पहुंचता है (घ)पानी का रिसाव कम हुआ।

खामी रह जाने के कारण जल स्तर इस सीमा तक वढ़ गया है कि 2-3 फुट की खुदाई करने पर ही पानी आ जाता है। उनकी धारणा है कि 70 प्रतिशत खेतों में अनेक स्थानों पर भूमि पर क्षार झलकने लग गया है।

2. भीया ग्रामवासियों के मत में इस कार्यक्रम के वाद भूमि की उत्पादकता में कमी आई है। इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की शिकायत है कि भूमि समतलीकरण की प्रक्रिया में पुराने रास्ते मिट गये हैं और खेतों तक आने-जाने के रास्ते वन्द हो गये हैं। उनकी शिकायत है कि इस कार्यक्रम के वावजूद खेत समतल नहीं हो पाये है। इसके अलावा निर्धारित 10 प्रतिशत भूमि कटौती के स्थान पर खेतों में से अधिक भूमि काट ली गई है अर्थात् उन्हें 90 प्रतिशत से कम भूमि मिली है। यहां यह शिकायत भी की गई कि जिस कृषि भूमि में ओ.एफ.डी. कार्य नहीं हुए हैं, वहा भी केचमेंट शुल्क लगा दिया गया है। इसके अलावा पानी वितरण में अव्यवस्था के कारण सिंचाई को लेकर किसानों में आपसी लड़ाई-झगड़े होने लग गये हैं जिसके कारण ग्राम के शांत सामाजिक जीवन में विश्रंखलता पैदा हो गई है। उन्हें कार्यक्रम पेटे किसानों पर लगाये गये शुल्क की राशि अधिक होने की भी शिकायत है। उनका कहना है कि इस कार्य के फलस्वरुप हुए आर्थिक लाभ को देखते हुए तुलनात्मक दृष्टि से यह शुल्क ज्यादा है।

3. कल्याणपुरा ग्रामवासियों को शिकायत है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरुप चारागाह भूमि प्रायः समाप्त हो गई जिससे पशुओं के लिए चारागाह की कठिनाई वढ़ती जा रही है। भूमि का सही ढंग से समतलीकरण नहीं किया गया। साथ ही समतलीकरण के वाद भूमि सही ढंग से आवंटित भी नहीं की गई। उनका कथन है कि कार्यक्रम के वाद उसर भूमि की मात्रा वढ़ती जा रही है। जो पुलिया वनी हैं, वे इतनी कमजोर हैं कि वर्षा में टूटती रहती है। उन्होंने वताया कि 1983-84 में कालेरेवा माइनर से केवल एक वार पानी दिया गया जिससे किसानों की फसल सूख गई। गांव वालों को यह भी शिकायत है कि किसानों से कर्ज वाली राशि पैनल्टी सहित वसूल की जा रही है जिससे उनकी परेशानी एवं कष्ट वढ़ गये हैं। उनका कथन है कि ड्रेनों के कारण पानी के रिसाव में कमी तो आई है लेकिन पानी का रिसाव पूर्णतः वन्द नहीं हो पाया है जिससे आगे चलकर जमीन के उसर होने का खतरा है।

4. बमोरी गांव वालों का कथन है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के वाद भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। इसके अलावा पानी समय पर मिलने में भी कठिनाई रहती है। खरीफ की फसल के लिए तो पानी बिल्कुल नहीं मिलता, जिससे वर्षा कम होने पर फसल सूख जाती है। नालिया कच्ची हैं। उन्हें पक्का नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि भूमि के समतलीकरण का कार्य अधूरा रह गया है। क्योंकि तथाकथित भूमि समतलीकरण के वावजूद भूमि में जगह-जगह गड्ढे रह गये हैं। इस गांव के किसानों ने यह शिकायत भी की है कि कार्य की शुरुआत के समय उन्हें बताया गया था कि उन्हें 1600 से 1800 रुपया प्रति हैक्टर शुल्क देना पड़ेगा लेकिन अब उनसे 3000 रुपये से अधिक शुल्क वसूल किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि पानी का स्तर ऊंचा आ जाने के कारण आलू की पैदावार में कमी आई है। ध्यान रहे आलू इस क्षेत्र की एक मुख्य व्यापारिक फसल है।
5. मोरपा गांव के किसानों का कथन है कि कार्यक्रम के वाद नहरों से कम मात्रा में पानी मिल रहा है।

इस कार्यक्रम के बारे में कृषकों द्वारा कई प्रकार के आलोचनात्मक मुद्दे प्रस्तुत किये गये। इन मुद्दों को निम्नलिखित रूप में गिनाया जा सकता है—

1. इनकी राय में ऐसे खेतों की संख्या काफी है जो सही ढंग से समतली नहीं हुए हैं तथा नाली के लेबल एवं भूमि के लेबल में मेल नहीं है। फलतः खेत में पानी नहीं पहुँच पाता है।
2. प्रभावशाली लोगों के खेत सही ढंग से समतल हुए एवं नाली ठीक वनी, जबकि छोटे, कमजोर किसान उपेक्षित रहे। यह वात भी देखने में आई कि छोटे एवं कमजोर किसानों को दूरस्थ क्षेत्र में टेल पर जमीन मिली। इस कारण (क) वहां तक पानी नहीं जा पाता। (ख) फसल की रक्षा की समस्या रहती है। (ग) दूर होने के कारण खेती करने में भी कठिनाई रहती है।
3. पानी निकलने की नालिया ठीक नहीं होने के कारण पानी जमा हो जाता है तथा रास्ते, पुलिया वेकार हो जाते हैं।
4. व्यवस्था एवं रख-रखाव के अभाव के कारण रास्ते, नाली, पुलिया छूट रही है तथा नालिया भर रही हैं।

5. वारावन्दी लागू नहीं होने तथा उसका पूरा पालन नहीं होने के कारण किसानों को पानी समान रूप से नहीं मिल पाता तथा पानी के प्रश्न पर विवाद, झगड़े होते रहते हैं।
6. आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को सही ढंग से ठीक समय पर विना भेदभाव के लागू किया जाय।

□

7

आय के स्त्रोत एवं कर्ज

इस अध्याय में सर्वेक्षित परिवारों को होने वाली आय के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। विभिन्न ग्राम समूहों में आय में कितना अन्तर है, इस पर भी विचार किया गया है। आय के स्त्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है (एक) कृषि से आय तथा (दूसरा) अन्य स्त्रोतों से आय। इस वात को भी देखने का पयास किया गया है कि विभिन्न जाति समूहों तथा जोत श्रेणियों में प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है। इन्हीं संदर्भों में कर्ज की स्थिति देखने का भी प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आये वे इस प्रकार हैं—

1. आय के विभिन्न स्त्रोत

सर्वेक्षित परिवारों में आय के दो प्रकार के स्त्रोत हैं (1) कृषि (2) कृषि से इतर धन्धे, जिसमें पशुपालन, नौकरी तथा मजदूरी एवं व्यापार व्यवसाय आदि शामिल हैं। तालिका संख्या 7:1 से सर्वेक्षित परिवारों को हुई कुल आय, कृषि आय एवं गैर कृषि आय की जानकारी मिल सकती है।

उक्त तालिका दर्शाती है कि जहां ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों की कुल आय में कृषि आय का अंश 61.29 प्रतिशत है, वहीं ग्राम समूह II जहां नहरी सिंचाई

तालिका सं. 7.1

सर्वेक्षित परिवारों में कृषि आय (सर्वेक्षित परिवारों के संदर्भ में)

	गांव का नाम	कृषि आय	कुल का प्रतिशत	गैर कृषि आय	कुल का प्रतिशत	योग	
1.	अरनेठा	427,970	66.01	220,,350	33.99	648,,320	(100)
2.	भींया	239,470	50.83	231,,670	49.17	471,,140	(100)
3.	कल्याणपुरा	201,270	79.60	51,,570	20.40	252,,840	(100)
4.	बमोरी	206,670	53.41	180,,308	46.50	386,,978	(100)
5.	मोरपा	290,505	61.89	178,,890	38.11	469,,295	(100)
	योग	1365,,885	61.29	362,,788	38.71	2228,,673	(100)
6.	दईखेड़ा	197,160	58.02	142,,670	41.98	339,,830	(100)
7.	कोडसुआ	116,645	61.05	74.430	38.95	191,,075	(100)
	योग	313,805	50.11	217,,100	40.89	530,,905	(100)
8.	गेंडोलीखुर्द	110,500	48.54	117,,130	51.46	227,,630	(100)
9.	भांडाहेडा	205,375	61.70	127,,480	38.30	332,,855	(100)
	योग	315,875	56.36	244,610	43.64	560,485	(100)
	महायोग	1995,565	60.11	1324,,498	30.89	3320,,063	(100)

सुविधा भी सुलभ है, कृषि आय का अंश 59.11 प्रतिशत रह गया है। ग्राम समूह III में यह अंश और भी कम केवल 56.36 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट है कि कृषि आय की दृष्टि से ओ.एफ.डी. से लाभान्वित क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि के धन्धे का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह इस वात का भी संकेत है कि ओ.एफ.डी. से लाभों के वारे में क्षेत्र के लोग भले ही पूर्णतः आस्थावान न हों लेकिन आय के आंकड़े उनकी शंकाओं को निर्मूल सिद्ध करते दिखाई देते हैं।

विभिन्न ग्राम समूहों में कृषि एवं गैर स्रोतों से विभिन्न जाति वर्ग में पड़ने वाले परिवारों को किस ढंग से आय हुई है, इसकी झलक तालिका संख्या 7:2 से मिल सकती है।

जाति श्रेणी

तालिका सं. 7:2 दर्शाती है कि ग्राम समूह I में जहां उच्च जाति श्रंखला के सर्वेक्षित परिवारों की कुल आय में कृषि आय का अंश 70.91 प्रतिशत है, वहीं मध्यम जाति श्रंखला के परिवारों में यह अंश घटकर 55.37 प्रतिशत जा ठहरा है। अनुसूचित जातियों की कुल आय में कृषि आय का अंश सवसे कम अर्थात केवल 46.70 प्रतिशत है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों में कृषि आय का अंश वढ़कर 72.67 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के अधिकतर लोग, जिसमें इस क्षेत्र में मीणा जाति के लोग अधिक हैं अपने जीवनयापन के लिए मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं। अन्य जातियों में कृषि आय का अंश 57.80 प्रतिशत है। इन आंकड़ों के विश्लेपण से यह वात भी स्पष्ट हो जाती है कि अनुसूचित जातियों के परिवार एवं परिवारों की तुलना में कृषि से इतर धन्धों में अधिक लगे हुए हैं।

ग्राम समूह II में, जहां नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है लेकिन ओ.एफ.डी. कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किये गये हैं, सर्वेक्षित उच्च जाति वर्ग के परिवारों में कृषि आय का अंश 76.14 प्रतिशत है, जो ग्राम समूह I की तुलना में 5.23 प्रतिशत अधिक है। लेकिन मध्यम वर्ग के परिवारों के संदर्भ में कृषि आय का अंश केवल 30.97 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में मध्यम जातियों के लोग कृषि भूमि की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक असुविधाजनक स्थिति में हैं। इसका एक कारण उन परिवारों का यहां वाद में आकर वसना हो सकता है जवकि कृषि भूमि की उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक मुश्किल

तालिका 7:2

जाति समूह एवं विभिन्न स्रोतों से हुई आय तुलनात्मक स्थिति

(कुल आय का प्र. श.)

गांव का नाम	उच्च जातियाँ		मध्यम जातियाँ		अ. जातियाँ		अ. ज. जा.		अन्य	
	कृ. आय	गै. कृ. आय	कृ. आय	गै. कृ. आय	कृ. आय	गै. कृ. आय	कृ. आय	गै. कृ. आय	कृ. आय	गै. कृ. आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. अरनेठा	128,100 (83.51)	25,100 (16.49)	161,270 (61.18)	102,350 (38.82)	40,300 (48.32)	43,100 (51.68)	5,000 (67.57)	2,400 (32.43), (66.41)	93,300 (33.50)	47,200
2. भींया	125,700 (55.75)	99,760 (44.25)	42,050 (43.53)	54,550 (56.47)	40,020 (55.18)	32,500 (44.82)	23,500 (73.38)	23,,100 (26.82)	8,,380 (19.08)	8,,600 (80.92),
3. कल्याणपुरा	96,050 (88.98)	11,900 (11.02)	10,650 (53.92)	9,100 (46.08)	21,325 (69.36)	9,420 (30.64)	13,,100 (91.61)	1,,200 (8.39)	60,,145 (75.09)	19,,950 (24.91),
4. बमोरी	55,300 (62.16)	33,660 (37.84)	60,470 (48.72)	63,648 (51.28)	11,100 (30.25)	25,600 (69.75)	51,500 (70.02)	22,050 (29.98)	28,300 (44.46)	35,350 (55.54),
5. मोरपा	154,900 (72.37)	50,150 (27.63)	122,615 (57.56)	90,290 (42.44)	7,250 (21.58)	26,350 (78.42)	5,,740 (65.68)	3,,000 (34.32)	–	–
योग	560,,050 (70.91)	229,770 (29.09)	397,055 (55.37)	320,038 (44.63)	119,995 (46.70)	136,970 (53.30)	98,,440 (72.67)	37,030 (27.33)	190,345 (57.80)	138,980 (42.20)

Contd...

Contd...

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	दईखेड़ा	52,140	22,025	3,400	15.500	5,600	20,200	112,850	60.145	23,470	24,500
		(70.30)	(29.70)	(19.99)	(82.01)	(21.71)	(78.29)	(65.23)	(34.77)	(48.93)	(51.07),
7.	कोदमुआ	32.500	4,500	13..825	22,900	–	12,200	41.050	6,,000	29..270	28,830
		(87.84)	(12.16)	(37.64)	(62.36)	–	(100)	(87.25)	(12.75)	(50.38)	(49.62),
	योग	84,640	26,525	17.,225	38,400	5,600	32.400	153,900	66..145	52..740	53..330
8.	मेंडोलीखुर्द	9.300	17,,400	50..900	29.700	20.550	32,480	750	7,.300	20..000	30..250
		(34.83)	(65.17)	(66.85)	(33.15)	(38.75)	(61.25)	(9.32)	(90.68)	(39.80)	(60.20)
9.	मांडाहेडा	46,365	48,650	122.,755	43,630	32,255	22.500	–	–	4..000	12,,700
		(48.80)	(51.20)	(73.78)	(26.22)	(58.91)	(41.09)	–	–	(23.95), (76.05)	
	योग	55,665	66,,050	182..655	73,.330	52..805	54..980	750	7..300	24..000	42..950
		(45.73)	(54.27)	(71.35)	(28.65)	(48.99)	(51.01)	(9.32)	(90.68)	(35.85)	(54.15)

हो गई थी। अनुसूचित जातियां इस ग्राम समूह में भी कृषि आय की दृष्टि से सबसे नीचे स्थान पर आती हैं। उनकी कुल आय में कृषि का अंश केवल मात्र 14.74 प्रतिशत है और गैर कृषि आय का 85.26 प्रतिशत। अनुसूचित जनजातियों का इस ग्राम समूह में प्राधान्य है और मध्यम जातियों की तुलना में वे अधिक महत्वपूर्ण किसान जातियां हैं। इनकी कुल आय में कृषि का अंश 69.94 प्रतिशत है। यह स्थिति ग्राम समूह I के इस जाति श्रृंखला के परिवारों की स्थिति से अधिक भिन्न नहीं है। अन्य जाति वर्ग के परिवारों के संदर्भ में कृषि आय का अंश 49.72 प्रतिशत है जो ग्राम समूह I की तुलना में 8.08 प्रतिशत कम है।

विभिन्न ग्राम समूहों में विभिन्न प्रकार के जाति समूहों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की स्थिति तालिका सं. 7:3 से जानी जा सकती है। इस तालिका से ज्ञात होता है कि ग्राम समूह I में उच्च जाति वर्ग के सर्वेक्षित परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,062 रुपये है और ग्राम समूह II में 2,365 रुपये हैं। लेकिन ग्राम समूह III में यह 1,790 रुपये है अर्थात् गैर योजना क्षेत्र में उच्च जाति वर्ग के लोगों की आय सिंचाई से लाभान्वित क्षेत्र में काफी कम है।

ग्राम समूह I में मध्यम जाति वर्ग के सर्वेक्षित परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1,497 रुपये है लेकिन ग्राम समूह II में यह 1,324 रुपये हैं। ग्राम समूह III में मध्यम जाति वर्ग के परिवार अन्य धन्धों में अधिक लगे हुए हैं जबकि वहां प्रति व्यक्ति आय उच्च वर्ग से ज्यादा है। अर्थात् जहां उच्च वर्ग में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,790 रुपये हैं वहीं मध्यम वर्ग से संबंधित परिवारों में यह 1,939 रुपये है।

अनुसूचित जातियों में प्रति व्यक्ति आय ग्राम समूह I में 972 रुपये प्रति व्यक्ति, ग्राम समूह II में 927 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्राम समूह III में 1,017 रुपये प्रति व्यक्ति है। अन्य जाति समूहों की तुलना में इस जाति समूह की आय बहुत कम है। उच्च जाति वर्ग के परिवारों की तुलना में लगभग आधी अथवा उससे भी कम।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की स्थिति इस संबंध में ग्राम समूह I एवं ग्राम समूह II में तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है। लेकिन ग्राम समूह III में, जहां उनकी संख्या कम है उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों में भी खराब है।

अन्य जाति वर्ग से संबंधित परिवारों में ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति वार्षिक

तालिका सं. 7:3

प्रति व्यक्ति कृषि भूमि एवं प्रति व्यक्ति कृषि आय

भूमि (बीघों में) एक बीघा = 0.16 हेक्टर

	गांव का नाम	सीमांत किसान		लघु किसान		मध्यम किसान		बड़े किसान	
		प्रति व्यक्ति कृषि भूमि	प्रति व्यक्ति कृषि आय	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि	प्रति व्यक्ति कृषि आय	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि	प्रति व्यक्ति कृषि आय	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि	प्रति व्यक्ति कृषि आय
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरनेटा	0.833	228	1.279	559	2.574	1076	6.266	1791
2.	भींया	0.527	250	0.946	341	1.752	480	4.685	1068
3.	कल्याणपुरा	1.666	611	1.684	549	4.615	1133	10.117	1513
4.	बमोरी	0.690	196	1.138	200	6.375	1388	8.614	1823
5.	घोरण	0.971	155	1.565	579	4.375	1395	7.069	1838
	योग	0.799	233	1.260	463	2.786	917	7.098	1583
6.	[illegible]	0.769	346	2.417	642	2.647	1016	7.050	1783
7.	कोटपुआ	0.778	276	2.714	589	4.000	380	4.437	1488
8.	[illegible]	0.636	141	1.397	353	2.400	611	9.070	1431
9.	[illegible]	0.400	57	2.231	461	4.000	894	12.976	2044
	योग	0.484	87	1.549	373	3.079	730	11.643	1835
	महायोग	0.750	230	1.423	451	2.803	911	7.568	1619

आय 1,395 रुपये, ग्राम समूह II में 1,219 रुपये और ग्राम समूह III में 1,116 रुपये है।

उक्त तालिका से यह भी संकेत मिलता है कि ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उच्च जाति वर्ग पहले स्थान पर है, अनुसूचित जनजातिया दूसरे स्थान पर, मध्यम जातियां तीसरे स्थान पर और अनुसूचित जातिया सबसे नीचे हैं।

ग्राम समूह II में आय की दृष्टि से सबसे बेहतर स्थिति उच्च जातियों की ही है, दूसरा स्थान अनुसूचित जनजातियों का है और तीसरा मध्यम जातियों का लेकिन अनुसूचित जातियां यहां भी सबसे गिरी हुई स्थिति में हैं।

ग्राम समूह III में आय की दृष्टि से मध्यम जातियां प्रथम स्थान पर हैं। दूसरा स्थान उच्च जातियों का है लेकिन सबसे नीचे अनुसूचित जनजातियों का है।

जोत श्रेणी

जोत श्रंखला को आधार मानकर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का विश्लेषण करें तो पता चलता है (देखें तालिका सं. 8:4) कि ग्राम समूह I में जहां भूमिहीन परिवारों में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है- 874 रुपये। वहीं सर्वाधिक आय बड़े किसान परिवारों में 2,127 रुपये है। ग्राम समूह II में भी यही स्थिति है- बड़े किसानों में 1,815 रुपये प्रति व्यक्ति और भूमिहीनों में 999 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन गैर योजना क्षेत्र में इस स्थिति में भारी अन्तर दिखाई देता है। वहां बड़े किसान परिवारों में प्रति व्यक्ति आय दोनों ग्राम समूहों से अपेक्षाकृत ज्यादा है- 2,598 रुपये प्रति व्यक्ति और सबसे कम सीमान्त किसानों में केवल 519 रुपये प्रति व्यक्ति है। आय में इस अन्तर का एक कारण तो गैर योजना क्षेत्र के गावों में रहने वाले बड़े किसानों के पास अधिक कृषिभूमि होना है और दूसरा कारण बड़े किसान परिवारों में रोजगार के अन्य साधन होना है। इस ग्राम समूह में सीमान्त परिवारों एवं लघु किसान परिवारों में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कृषक 519 रुपये एवं 793 रुपये भूमिहीन लोगों से भी कम है। इसका कारण भूमिहीन परिवारों की कृषि से इतर धन्धों में अधिक भागीदारी है। इससे यह भी स्पष्ट है कि गैर योजना क्षेत्र में रोजगार अन्य साधनों के अभाव में सीमान्त एवं लघु किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

प्रति व्यक्ति कृषि भूमि एवं प्रति व्यक्ति कृषि आय

विभिन्न ग्राम समूहों में किसान परिवारों की क्या स्थिति है एवं प्रति व्यक्ति कृषि आय की क्या स्थिति है, इसका दिग्दर्शन तालिका सं. 8:5 से हो सकता है।

ग्राम समूह I में सीमान्त किसान परिवारों के पास प्रति व्यक्ति कृषि भूमि सबसे अधिक है तो ग्राम समूह II में सबसे कम। लेकिन लघु किसान इस दृष्टि से ग्राम समूह II में पहले स्थान पर हैं और ग्राम समूह I में सबसे नीचे स्थान पर। मध्यम किसानों एवं बड़े किसानों का नम्बर इस दृष्टि से गैर योजना क्षेत्र के गावों में पहला है। ग्राम समूह I के मध्यम एवं बड़े किसान प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की दृष्टि से ग्राम समूह II की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

सीमान्त किसानों में प्रति व्यक्ति आय ग्राम समूह II में सर्वाधिक 318 रुपये है, ग्राम समूह I में 233 रुपये और गैर योजना क्षेत्र वाले ग्राम समूह III में केवल मात्र 87 रुपये अर्थात् सबसे कम । इससे यह संकेत भी मिलता है कि सीमान्त किसान परिवार आय की दृष्टि से सबसे अधिक दयनीय स्थिति में है।

प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से लघु किसान भी ग्राम समूह II में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यहां प्रति व्यक्ति आय 622 रुपये है तो ग्राम समूह I में 463 रुपये और गैर योजना क्षेत्र के केवल 373 रुपये। मध्यम किसानों के संदर्भ में तीनों प्रकार के समूहों में प्रति व्यक्ति कृषि आय की स्थिति प्रायः एक समान है- ग्राम समूह II में 994 रुपये, ग्राम समूह I में 917 रुपये और गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह II में 730 रुपये। लेकिन बड़े किसानों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति कृषि आय की स्थिति में भारी अन्तर दिखाई देता है- जहां गैर योजना क्षेत्र में भूमि के आधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति कृषि आय 1,835 रुपये हैं, वहीं ग्राम समूह I में यह 1,583 रुपये और ग्राम समूह II में 1,558 रुपये है। यहां एक विशेष बात और देखने में आई है वह यह कि ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 7.098 बीघा है तो ग्राम समूह II में यह उससे बहुत कम अर्थात् 5.054 बीघा है जबकि आय की दृष्टि से ग्राम समूह II बेहतर स्थिति में है।

तालिका संख्या 7:4 में सर्वेक्षित कृषक परिवारों को सम्मिलित करके प्रति व्यक्ति कृषि भूमि एवं कृषि आय का आंकलन किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि जहां ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति आय 1,085 रुपये है, वहीं ग्राम समूह II में 1,046 रुपये

तालिका 7:4

सर्वेक्षित कृषक परिवार, कुल कृषि भूमि, प्रति व्यक्ति औसत भूमि एवं प्रति व्यक्ति कृषि आय

	गांव का नाम	कुल कृषि भूमि	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि	कृषक परिवारों की कुल आबादी	कुल कृषि आय	प्रति व्यक्ति आय
	1	2	3	4	5	6
1.	अरनेठा	1303.5	3.283	356	437,970	1202
2.	भींया	954.5	2.539	357	239,470	671
3.	कल्याणपुरा	1209.0	7.556	157	201.,270	1281
4.	बगोरी	969.0	3.992	222	290,505	1309
5.	मोरपा	1062.0	3.992	222	290,,505	1309
	योग	549.0	3.813	1250	1365,,885	1085
6.	दईखेड़ा	572	2.354	199	197,160	991
7.	कोडसुआ	368	2.629	101	116,645	1155
	योग	940.0	2.454	300	313,,805	1046
8.	गेंडोलीखुर्द	584	2.935	156	110,500	708
9.	भांडाहेडा	1242	7.057	148	205,375	1388
	योग	182.0	4.869	304	315,875	1039
	महायोग	8264.0	3.756	1863	1995,565	1071

तालिका सं. 7:5

सर्वेक्षित गांवों में प्रति बीघा कृषि आय (सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर)

एक बीघा = 0.16 हेक्टर भूमि (बीघों में) / आय (रुपयों में)

	गांव का नाम	सीमांत किसान			लघु किसान			मध्यम किसान			बड़े किसान		
		कुल कृषि भूमि	कुल कृषि आय	प्रतिबीघा आय	कुल कृषि भूमि	कुल कृषि आय	प्रति बीघा कृषि भूमि	कुल कृषि भूमि	कुल कृषि आय	प्रति बीघा आय	कुल कृषि भूमि	कुल कृषि आय	प्रति बीघा आय
1.	अरनेठा	22.5	6,150	273	78	34,100	646	982	346,770	418	871	248,950	286
2.	भींया	19.5	9,600	492	53	19,100	360	212	58,020	274	670	152,750	228
3.	कल्याणपुरा	15	5,500	367	32	10,435	326	120	29,450	245	1042	155,885	150
4.	बगोरी	29	8,,250	284	19	3,,200	168	51	11,,100	218	870	184,120	212
5.	मोरपा	33	5,,270	160	48.5	17,950	370	210	66,960	319	770.5	200,,325	260
	योग	119	34,770	292	230.5	84,785	368	925	304,300	329	4223.5	942,030	223
6.	दईखेड़ा	20	9,000	450	29	7,700	266	268	141,245	384	155	39,215	253
7.	कोडगुआ	14	4,,970	355	19	4,125	217	20	1,900	95	315	105,650	335
	योग	34	13,970	411	48	11,825	246	388	143,145	369	470	144,865	308
8.	गंडोलीखुर्द	7	1,550	221	81	20,500	253	106	26,900	254	390	61,550	158
9.	भांडाखेड़ा	8	1,140	143	29	5,990	207	128	28,600	223	1077	169,645	158
	योग	15	2,690	179	110	26,,490	241	234	55,500	237	1467	231,195	158
	महायोग	168	51,430	306	388.5	123,100	317	1547	502,945	325	6160.5	1318,090	214

और गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह II में 1,039 रुपये। लेकिन जहां प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का सवाल है, स्थिति में भारी अन्तर है। गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह III में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है- 4.869 बीघा जबकि ग्राम समूह I में यह 3.813 और ग्राम समूह II में सबसे कम 2.454 बीघा प्रति व्यक्ति।

तालिका संख्या 7:7 विभिन्न ग्राम समूहों में विभिन्न प्रकार की जोत श्रृंखलाओं में आने वाले किसान परिवारों की कुल आय एवं प्रति बीघा आय की स्थिति दर्शाती है।

इससे ज्ञात होता है कि ग्राम समूह II में सीमान्त किसान वर्ग को प्रति बीघा कृषि आय 411 रुपये होती है जो ग्राम समूह I की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन ग्राम समूह III में यह केवल 179 रुपये है, सबसे कम।

लघु किसान वर्ग को ग्राम समूह I में सबसे अधिक प्रति बीघा आय होती है 368 रुपये। दूसरा स्थान ग्राम समूह II के परिवारों का है और सबसे कम आय गैर योजना क्षेत्र के लघु किसानों की है।

5. सर्वेक्षित परिवारों में कर्ज

सर्वेक्षित परिवारों में कर्ज की स्थिति तालिका सं. 7:6 से स्पष्ट हो सकती है—

तालिका सं. 7:6

सर्वेक्षित परिवारों में कर्ज की स्थिति

	गांव का नाम	सर्वेक्षित कुल परिवार	ऋणग्रस्त परिवार	कुल का प्रतिशत
	1	2	3	4
1.	अरनेठा	53	48	90.57
2.	भीया	39	39	100.00
3.	कल्याणपुरा	25	9	36.00
4.	बमोरी	34	14	41.18
5.	मोरपा	42	20	47.62
	योग	193	130	67.36

Contd...

Contd...

6.	दईखेड़ा	36	35	97.22
7.	कोडसुआ	19	10	52.63
	योग	55	45	81.82
8.	गंढोलीखुर्द	29	8	27.59
9.	भांडाहेड़ा	27	6	22.22
	योग	56	14	25.00
	महायोग	304	189	62.17

उक्त तालिका दर्शाती है कि ग्राम समूह II में सर्वाधिक संख्या में सर्वेक्षित परिवार ऋणग्रस्त हैं। 55 सर्वेक्षित परिवारों में से 45 अर्थात् 81.82 प्रतिशत ने जानकारी दी है कि उन पर कर्जा है। ग्राम समूह I में ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत 67.36 और गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह में ऐसे परिवारों का प्रतिशत केवल मात्र 25 प्रतिशत है।

उक्त तालिका से यह संकेत मिलता है कि कर्ज का आय से गहरा संबंध है। जहां ज्यादा ऋणग्रस्त परिवार हैं, वहीं प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि अधिकांश कर्जा उत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है और उससे आमदनी में वढ़ोतरी हुई है।

तालिका सं. 7:7 से यह जानकारी मिलती है कि भूमिहीन एवं विभिन्न जोत श्रेणियों में आने वाले परिवारों पर कितना ऋण भार है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ग्राम समूह I में भूमिहीन परिवारों पर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ऋणभार है। ग्राम समूह II में प्रति परिवार ऋणभार 3,778 रुपये और ग्राम समूह III में केवल मात्र 1,000 रुपये है जबकि ग्राम समूह I में यह 4,755 रुपये है।

सीमान्त किसानों के संदर्भ में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण ग्राम समूह II में 6,058 रुपये है जबकि ग्राम समूह I में 4,450 रुपये और ग्राम समूह III में 2,900 रुपये।

लघु किसान परिवारों को लें तो स्थिति बदली हुई लगती है। ग्राम समूह I में

जहां प्रति परिवार ऋण राशि 5,839 रुपये है, वहीं ग्राम समूह II में 4,800 रुपये और ग्राम समूह III में सबसे कम 3,167 रुपये। यही स्थिति मध्यम किसानों के संदर्भ में है।

तालिका संख्या 7:7

जोत श्रेणी के अनुसार प्रति परिवार कर्ज

(रुपये में)

	गांव का नाम	भूमिहीन	सीमान्त	लघु	मध्यम	बड़े किसान	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अरनेठा	5325	5640	8555	10079	22906	13210
2.	भीया	7366	1980	3580	7283	9638	6259
3.	कल्याणपुरा	–	–	–	1333	3700	2911
4.	बमोरी	2833	7650	500	–	13500	9450
5.	मोरपा	400	–	3000	11140	15950	12675
	योग	4755	4450	5833	8476	14789	9925
6.	दईखेड़ा	4125	7000	5400	9531	12000	7791
7.	कोडसुआ	1000	1350	3000	10000	47000	29735
	योग	3778	6058	4800	9559	35333	12668
8.	गेंडोलीखुर्द	1000	2900	3167	6000	2150	2963
9.	भांडाहेड़ा	–	–	–	–	39000	39000
	योग	1000	2900	3167	6000	29787	18407
	महायोग	4157	4876	5348	13432	19024	11206

बड़े किसानों पर प्रति परिवार का ऋण भार सबसे अधिक 18,407 रुपये ग्राम समूह III में है। इसका कारण इस क्षेत्र में अधिक संख्या में ट्रेक्टरों के लिए ऋण मिलना पाया गया है।

इस तालिका से यह भी जानकारी मिलती है कि प्रति परिवार कर्ज राशि ग्राम

समूह III में प्रति परिवार कर्ज राशि 12,668 रुपये और ग्राम समूह I में सबसे कम है।

इस तालिका से यह भी स्पष्ट मालूम हो सकता है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों को लेने पर बड़े किसानों के संदर्भ में जहां प्रति परिवार कर्ज भार 19,024 रुपये होता है तो भूमिहीनों के संदर्भ में यह सबसे कम 4,157 रुपये मात्र है। जोत में वृद्धि के साथ-साथ कर्ज राशि बढ़ती जाती है। सीमान्त किसान परिवारों पर जहां प्रति परिवार ऋण भार 4,376 रुपये है, लघु किसानों पर यह भार 5,348 रुपये और मध्यम किसानों पर 13,432 रुपये।

तालिका संख्या 7:8

सामाजिक श्रेणी के अनुसार प्रति परिवार कर्ज
(केवल कर्ज लेने वाले परिवार)

(रुपयों में)

	गांव का नाम	उच्च जाति	मध्यम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अरनेठा	13011	18258	7378	7000	9670	13210
2.	भीया	10036	8029	2400	3450	2400	6250
3.	कल्याणपुरा	3600	–	2000	4000	1933	2911
4.	बमोरी	8500	9125	3550	8333	16000	9450
5.	मोरपा	28600	5742	1000	12000	–	12675
	योग	13160	11972	4502	6180	7325	9925
6.	दईखेड़ा	11600	5667	6675	8028	5300	7791
7.	कोडसुआ	46500	3117	–	50000	31667	29735
	योग	21571	4392	6675	12225	15188	12668
8.	गेंडोलीखुर्द	2500	4075	2900	–	1000	2963
9.	भांडाहेड़ा	70000	24750	65000	–	–	39000
	योग	36250	14412	33950	–	1000	18407
	महायोग	15548	11524	7006	10210	9000	11206

जाति वर्ग समूह के संदर्भ में देखें तो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है। तालिका सं. 7:8 के विश्लेषण से ज्ञात हो सकता है कि ग्राम समूह I में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण भार वड़ी जाति के परिवारों पर है- 13,160 रुपये प्रति परिवार। दूसरे स्थान पर मध्यम जाति वर्ग है और तीसरे स्थान पर अन्य जातियां। अनुसूचित जाति वर्ग पर सवसे कम ऋण भार है। प्रति परिवार केवल 4,502 रुपये। इससे यह पता चल सकता है कि अनुसूचित जातियों की उतनी मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता जितनी मात्रा में उच्च जाति वर्ग वालों को मिलता है। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का यह भी एक कारण है।

ग्राम समूह II में स्थिति कुछ भिन्न है। यहां उच्च जातियों में प्रति परिवार कर्ज राशि 21,571 रुपये प्रति परिवार सब जाति वर्ग श्रंखलाओं में ज्यादा है लेकिन दूसरे स्थान पर अन्य जातियां और तीसरे स्थान पर अनुसूचित जनजातियां आती हैं। यहां मध्यम वर्ग में प्रति परिवार कर्ज भार 4,392 रुपये प्रति परिवार सवसे कम है और इसीलिए उन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय भी तुलनात्मक दृष्टि से कम है।

ग्राम समूह III में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण भार 36,250 रुपये उच्च जाति वर्ग पर है लेकिन दूसरा स्थान अनुसूचित जातियों का है। तीसरे स्थान पर मध्यम जातियां आती हैं।

उक्त विश्लेषण से सर्वेक्षित परिवारों में आय के संवंध में कई वातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं—

1. ओ.एफ.डी. कार्यक्रम से लाभांवित परिवारों की कुल आय में कृषि से आय का अंश, अन्य ग्राम समूहों की तुलना में अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यहां के लोग कृषि पर अधिक निर्भर हैं।
2. प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सभी ग्राम समूहों की स्थिति प्रायः एक ही पाई गई, इनमें खास अन्तर नहीं है।
3. मध्यम तथा वड़ी जोत श्रेणी के कृपकों की कुल आय में कृषि से आय का अंश अधिक है जवकि छोटी जोत वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को गैर कृषि कार्यों से अधिक आय होती है।
4. ओ.एफ.डी. कार्यक्रम से लाभांवित परिवारों का कर्ज भार, अन्य किसानों की तुलना में अधिक पाया गया। यह कर्ज ओ.एफ.डी. के लिये विशेष रूप से लिया गया।

5. यह कहा जा सकता है कि विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ कर्जदारी भी बड़ी है।
6. ओ.एफ.डी. तथा अन्य विकास कार्यक्रमों का लाभ बड़े किसानों को अधिक मिलता पाया गया।
7. इस बात का प्रयास करने की आवश्यकता है कि विकास (कृषि उत्पादन) की गति तेज हो ताकि कर्ज का भार घटे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि विकास के नाम पर कर्ज का भार बढ़ता जाय और उसका पारिवारिक जीवन कष्टमय हो जाय।

□

8

उपभोग का स्तर

विकास कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव जीवन के रहन-सहन, खासकर उपभोग स्तर पर पड़ता है। आय बढ़ने से उपभोग का स्तर तो बढ़ता ही है साथ ही साथ उपभोग की चीजों की संख्या एवं मात्रा में भी वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि का सीधा प्रभाव दो क्षेत्रों में देखा जा सकता है (1) कृषि साधनों की खरीद और (2) वाहनों की खरीद। इस अध्याय में विभिन्न ग्राम समूहों में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च स्तर को देखने का प्रयास किया गया है। उपभोग में भोजन, वस्त्र, मकान (चालू व्यय), शिक्षा, दवा, सामाजिक व्यय आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ वाहनों की स्थिति पर भी विचार किया गया है। उपभोग स्तर को सामाजिक श्रेणी, जोत श्रेणी तथा ग्राम समूह के संदर्भ में देखा गया है।

1. सामाजिक श्रेणी और पारिवारिक उपभोग

तालिका सं. 8:1 सामाजिक श्रेणी के संदर्भ में सर्वेक्षित परिवारों के प्रति व्यक्ति औसत उपभोग को दर्शाती है।

इस तालिका से पता लगता है कि ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति औसत व्यय 966 रुपये है लेकिन उच्च जाति वर्ग द्वारा जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय राशि 1,218 रुपये

है, वहीं अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जो सामाजिक तौर पर सबसे निचले वर्ग में आती हैं, प्रति व्यक्ति औसत व्यय केवल 670 रुपये है अर्थात् उच्च जातियों के मुकाबले उनका व्यय स्तर 81 प्रतिशत कम है। यह उनके दयनीय जीवन स्तर का परिचायक है। इस ग्राम समूह में अनुसूचित जनजातियों का व्यय स्तर के मामले में उच्च जातियों के बाद दूसरा स्थान है। इसका कारण उनकी उच्च हैसियत एवं उनमें आई जागरूकता है। तीसरा स्थान मध्यम जातियों का है जो मुख्यतः किसान जातियां हैं। अन्य जातियों का जिनमें मुसलमान, दस्तकार एवं अन्य विविध जाति वर्ग के लोग हैं, व्यय स्तर मध्यम जाति वर्ग के लोगों से भी नीचा है।

तालिका सं. 8:1

जाति श्रेणी के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च

(रुपयो में)

	गांव का नाम	उच्च जाति	मध्यम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अरनेठा	1288	980	757	860	936	980
2.	भीया	988	811	532	765	739	802
3.	कल्याणपुरा	1451	1050	874	1689	917	1116
4.	वमोरी	1223	1011	791	985	1252	1043
5.	मोरपा	1426	915	558	706	–	1016
	योग	1218	943	670	955	930	966
6.	दईखेड़ा	1972	1266	1096	1010	1038	1186
7.	कोडसुआ	2294	646	728	939	866	944
	योग	2047	926	953	993	940	1099
8.	गेंडोलीखुर्द	1030	889	682	820	939	853
9.	भांडाहेड़ा	902	893	586	–	633	803
	योग	945	891	645	820	863	825
	महायोग	1259	932	692	975	927	965

ग्राम समूह II में उपभोग का स्तर ग्राम समूह I से बेहतर है। क्योंकि ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति 966 रुपये व्यय के मुकावले इस ग्राम समूह में प्रति व्यक्ति व्यय का स्तर 1,099 रुपये है अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत अधिक। लेकिन इस ग्राम समूह में भी जहा उच्च जाति वर्गीय परिवार प्रति व्यक्ति 2,047 रुपये व्यय करते हैं। मध्यम जाति जो मुख्यत: कृषक जातियां हैं सबसे कम खर्च करती है। अनुसूचित जनजातियों का व्यय स्तर उच्च जातियों की तुलना में दूसरे स्थान पर है। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य जातियों का व्यय स्तर लगभग समान है।

ग्राम समूह III में उच्च जातियों का व्यय स्तर सबसे अधिक 945 रुपये है और अनुसूचित जातियों का सबसे कम। उच्च जातियों में जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय की मात्रा 945 रुपये है वहीं अनुसूचित जातियों में प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय की मात्रा 645 रुपये है। उनका लगभग 65 प्रतिशत। व्यय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर मध्यम जाति वर्ग है, तीसरे स्थान पर अनुसूचित जनजातिया और चौथे स्थान पर अन्य जातियां है, लेकिन समग्र दृष्टि से देखे तो ग्राम समूह I में एवं ग्राम समूह III दोनों में ही वहुसंख्यक अनुसूचित जातियों के परिवार गरीवी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और ग्राम समूह II के कोडसुआ गांवों में तो मध्यम जाति वर्ग के परिवार भी गरीवी की रेखा से नीचे आते हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों का जीवन स्तर भीया और मोरपा दोनों ही गावों में काफी गिरा हुआ है। ग्राम समूह III के भांडाहेड़ा ग्राम में अन्य जाति वर्ग के परिवारों की स्थिति भी शोचनीय है।

2. जोत श्रेणी और उपभोग

तालिका सं. 8:2 में भूमिहीनों एवं जोत श्रंखला को आधार मानकर किसान परिवार का प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय निकाला गया है। इस तालिका से पता चलता है कि ग्राम समूह I में जहां भूमिहीन परिवारों द्वारा प्रति व्यक्ति 810 रुपये वार्षिक व्यय किया जाता है, ग्राम समूह II में यह राशि 951 रुपये है। ग्राम समूह III के भूमिहीन परिवार प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में दोनों ग्राम समूहों के भूमिहीन परिवारों से नीचे हैं।

उक्त तालिका से यह भी जानकारी मिलती है कि ग्राम समूह I के अरनेठा गांव में, जहां ओ.एफ.डी. के अन्तर्गत काफी कार्य हुआ है और वार्षिक व्यय की दृष्टि से भूमिहीन परिवार सबसे निचले स्तर पर हैं और उसके वाद ग्राम समूह III के भांडाहेड़ा

का स्थान आता है।

तालिका सं. 8:2

जोत श्रेणी के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च

(रुपयों में)

	गांव का नाम	भूमिहीन	सीमांत	लघु	मध्यम किसान	वड़े किसान	कुल का औसत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अरनेठा	562	650	831	905	1300	980
2.	भीया	1142	733	563	662	999	802
3.	कल्याणपुरा	2617	846	813	1006	1180	1116
4.	वमोरी	822	838	1083	1281	1268	1042
5.	मोरपा	754	745	620	1052	1307	1018
	योग	810	759	730	855	1200	966
6.	दईखेड़ा	1119	1058	1103	1179	1826	1186
7.	कोडसुआ	762	647	804	935	1165	944
	योग	951	849	993	1130	1322	1099
8.	गेंडोलीखुर्द	912	464	684	899	1037	853
9.	भांडाहेड़ा	596	300	519	770	1051	803
	योग	787	358	654	845	1047	825
	महायोग	840	721	729	925	1191	965

ग्राम समूह I में लघु किसान वर्ग में प्रति व्यक्ति व्यय की मात्रा अन्य कृषक परिवारों में सवसे कम है। उनसे वेहतर स्थिति तो सीमान्त कृपकों की पाई गई है। इसका मुख्य कारण यह दिखाई देता है कि जहां लघु कृषक परिवार अपनी जीविका के लिए केवल मात्र कृषि पर आश्रित हैं, सीमान्त किसान खेती के अलावा मजदूरी एवं नौकरी आदि से आमदनी करके अपने जीवन स्तर को अपेक्षाकृत ऊंचा रखने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय को दृष्टि से ग्राम समूह II में सवसे दयनीय स्थिति कोडसुआ गांव के सीमान्त कृपकों की है। केवल 547 रुपये अर्थात् वहां सभी

सीमान्त कृषक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

ग्राम समूह III के भांडाहेड़ा ग्राम में बहुसंख्यक भूमिहीन परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। क्योंकि उनका प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय स्तर मात्र 596 रुपये हैं। इस ग्राम समूह में सीमान्त कृषकों की स्थिति सर्वाधिक शोचनीय है- प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय केवल मात्र 358 रुपये है और भांडाहेड़ा ग्राम में तो यह केवल मात्र 300 रुपये ही है। ग्राम समूह III के लघु कृषक वर्ग के परिवार भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने के लिए विवश हैं। उनका प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 654 रुपये है। इसमें भी भांडाहेड़ा ग्राम के लघु किसान और भी अधिक दयनीय जीवन बिता रहे हैं।

तीनों ही ग्राम समूहों में बड़े किसानों का व्यय स्तर सबसे ज्यादा है दूसरा स्थान मध्यम किसान वर्ग के परिवारों का है।

वाहन

नहरी सिंचाई के बाद उपभोग की प्रक्रिया में सुधार का एक मापदंड वाहनों का उपयोग भी हो सकता है। नीचे दी जा रही तालिका से इस स्थिति की जानकारी हो सकती है—

तालिका सं. 8:3

सर्वेक्षित परिवारों में वाहन की स्थिति

विवरण	जीपें	स्कूटर-मोटर साइकिलें	साइकिलें
1	2	3	4
ग्राम समूह I	2	4	105
ग्राम समूह II	1	2	21
ग्राम समूह III	–	3	29
योग	3	9	155

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम समूह III में, जहां चम्बल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई हैं, किसी भी सर्वेक्षित परिवार के पास जीप नहीं है। लेकिन ग्राम

तालिका सं. 8.4

सामाजिक श्रेणी के संदर्भ में वाहन

जाति वर्ग	सर्वेक्षित परिवार	जीप		मोटर सायकिल		सायकिलें	
		धारक परिवार	कुल का प्र. श.	धारक परिवार	कुल का प्र. श.	धारक परिवार	कुल का प्र. श.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अच्च जाति	60	2 (66.67)	3.33	5 (55.56)	8.33	34 (21.94)	56.67
2. मध्यम जाति	94	–	–	1	1.06	51 (32.90)	54.26
3. अनुसूचित जाति	60	–	–	–	–	30 (19.35)	50.00
4. अनुसूचित जनजाति	36	1 (33.33)	2.78	–	–	16 (10.32)	44.44
5. अन्य जातियां	54	–	–	3 (33.33)	5.56	24 (15.49)	44.44
योग	403	9 (100)	2.96	155 (100)	2.96	155 (100)	50.99

तालिका सं. 8:5

सर्वेक्षित परिवारों में वाहन

	गांव का नाम	उच्च जाति			मध्यम जाति			अ. जाति			अ. जा. जाति			अन्य जातियाँ			योग		
		जीप	मोटर सा.	साइ-किलें	जीप	मोटर सा.	साइ-किलें	जीप	मोटर सा.	साइ-किले	जीप	मोटर सा.	साइ-किलें	जीप	मोटर सा.	साइ-किलें	जीप	मोटर सा.	साइ-किलें
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अलेटा	–	–	7	–	–	10	–	–	7	–	–	1	–	–	7	–	–	32
2.	भींगा	–	–	1	–	–	3	–	–	6	–	–	4	–	–	3	–	–	17
3.	कल्याणपुरा	1	2	6	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	5	1	2	17
4.	नयोगी	1	-5	2	–	–	5	–	–	1	–	–	3	–	–	3	–	–	14
5.	मोरपा	1	2	7	–	–	15	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	2	25
	योग	2	4	23	–	–	36	–	–	19	–	–	9	–	–	18	2	4	105
6.	[illegible]	–	–	4	–	–	3	–	–	1	–	–	7	–	–	–	–	–	15
7.	[illegible]	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	-5	2	3	1	2	6
	योग –	–	5	–	–	4	–	–	2	1	–	7	–	2	3	1	2	21	–
8.	[illegible]	–	–	1	–	–	3	–	–	4	–	–	–	–	1	3	–	1	11
9.	[illegible]	–	1	5	–	1	8	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	2	18
	योग	–	1	6	–	1	11	–	–	9	–	–	–	–	1	3	–	3	29
	महायोग	2	5	34	–	1	51	–	–	30	1	–	16	–	3	24	3	9	155

समूह I एवं II में क्रमशः 2 एवं 1 जीप मौजूद हैं। साइकिलें तुलनात्मक दृष्टि से ग्राम समूह I में परिवारों के अनुपात को देखते हुए ज्यादा है। लेकिन साइकिलों के उपयोग के मामले में ग्राम समूह III की अपेक्षाकृत खराव स्थिति में नहीं है।

ग्राम समूह I में दोनों ही जीपें उच्च जाति वर्ग के परिवारों के पास हैं, जबकि ग्राम समूह II में जीप एक अनुसूचित जनजाति के परिवार के पास है। यह अनुसूचित जनजातीय परिवार एक बड़ा किसान है। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर 50.99 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिलें और 2.96 प्रतिशत के पास मोटर साइकिलें हैं। उच्च जाति वर्ग परिवारों में से 8.33 प्रतिशत के पास मोटर साइकिलें व स्कूटर हैं जबकि किसी भी अनुसूचित जातीय परिवार के पास एक भी जीप या मोटर साइकिल नहीं है।

ग्राम समूह I में 4 मोटर साइकिलें एवं स्कूटर हैं और चारों उच्च जातीय परिवारों के पास हैं। ग्राम समूह II में दो मोटर साइकिलें हैं और वे अन्य जाति वर्गीय परिवारों के पास हैं। ग्राम समूह III में एक मोटर साइकिल उच्च जाति वर्ग से संबंधित परिवार में है तो एक मध्यम जाति वर्ग से संबंधित परिवार में और एक अन्य जाति वर्ग से संबंधित परिवार में।

तालिका संख्या 8:4 समग्र दृष्टि से वाहनों के उपभोग के वारे में वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराती है।

उपभोग स्तर पर विचार करने पर यह वात सामने आती है कि तीनों ग्राम समूहों में वड़ी जोत के किसानों में व्यय का स्तर ऊंचा है। इससे स्पष्ट है कि गांवों में आज भी एक वड़ी सीमा तक कृपि अर्थात् भूमि आर्थिक जीवन का आधार है, इसी पर जीवन स्तर निर्भर करता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छोटे किसान जिनके पास अलाभकर जोत हैं। उनका जीवन स्तर गिरा हुआ है। यह पाया गया है कि सीमांत कृपक का जीवन स्तर भूमिहीन तथा अन्य कार्यों में लगे लोगों से भी निम्न स्तर का है। इसका एक वड़ा कारण यह पाया गया कि सीमांत कृपक के पास आय के अन्य स्रोत अधिक मात्रा में नहीं है। जवकि भूमिहीन तथा अन्य लोग गैर कृपि स्रोतों से नकद आय प्राप्त कर लेते हैं।

□

9

कृषि साधन एवं कृषि पद्धति

चम्बल योजना से नहरी सिंचाई का विस्तार होने के बाद इस क्षेत्र में कृषि साधनों एवं कृषि पद्धति में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, उसका मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया गया है। नहरी सिंचाई का अधिकतम लाभ संबंधित क्षेत्र को तभी मिल सकता है जब सिंचाई सुविधा का अधिकतम उपयोग किया जाय और अधिकतम सीमा तक उत्पादन बढ़ाकर रोजगार के स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाय।

आधुनिक कृषि यन्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ट्रैक्टर एवं थ्रेसर हैं। विभिन्न ग्राम समूहों में जातीय संदर्भ में सर्वेक्षित परिवारों के पास कितने ट्रैक्टर एवं थ्रेसर हैं, इसका दर्शन तालिका सं. 9:1, तालिका सं. 9:2 एवं तालिका सं. 9:3 से हो सकता है। तालिका सं. 9:1 के अनुसार ग्राम समूह I में 18, ग्राम समूह II में 3 एवं ग्राम समूह III में 6 ट्रैक्टर एवं थ्रेसर हैं। इनमें से ग्राम समूह I में किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय परिवार के पास ट्रैक्टर एवं थ्रेसर नहीं है। 8 ट्रैक्टर उच्च जाति वर्ग से संबंधित परिवारों के पास हैं तो 8 ही मध्यम जाति वर्ग से संबंधित परिवारों के पास और 2 अन्य जाति वर्ग के परिवारों के पास।

ग्राम समूह II में स्थिति भिन्न है। वहां केवल 3 ट्रैक्टर हैं जिनमें एक उच्च जाति वर्गीय परिवार के पास है, एक जनजाति से संबंधित परिवार के पास एवं 1 अन्य जाति

वर्ग के पास है।

ग्राम समूह III इस दृष्टि से अधिक वेहतर स्थिति में है यहां 6 ट्रेक्टर हैं जिनमें 1 ट्रेक्टर एक अनुसूचित जाति के परिवार के पास भी है। शेप 5 में से 2 उच्च जातीय परिवारों के पास हैं और 3 मध्यम जाति वर्ग के परिवारों के पास।

तालिका सं. 9:1

सर्वेक्षित परिवारों में ट्रेक्टर (जातीय संदर्भ)

	गांव का नाम	उच्च जातियां	मध्यम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य जातियां	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अरनेठा	1	5	–	–	1	7
2.	भोया	–	–	–	–	–	–
3.	कल्याणपुरा	2	–	–	–	–	2
4.	वमोरी	1	–	–	–	1	2
5.	मोरपा	4	3	–	–	–	7
	योग	8	8	–	–	2	18
		(44.44)	(44.44)	–	–	(11.11)	(100)
6.	दईखेड़ा	–	–	–	–	–	–
7.	कोडसुआ	1	–	–	1	1	3
	योग	1	–	–	1	1	3
		(33.33)	–	–	(33.33)	(33.33)	(100)
8.	गेंडोलीखुर्द	–	–	–	–	–	–
9.	भांडाहेड़ा	2	3	1	–	–	6
	योग	2	3	1	–	–	6
		(33.33)	(50.00)	(16.67)	–	–	–
	महायोग	11	11	1	1	3	27
		(40.74)	(40.74)	(3.70)	(3.70)	(11.11)	–

विभिन्न जाति समूह श्रृंखलाओं एवं जोत श्रृंखलाओं में ट्रेक्टर एवं थ्रेसरों की स्थिति की जानकारी तालिका सं. 9:2 एवं 9:3 से हो सकती है। कुल मिलाकर उच्च जाति वर्ग से संबंधित 18.33 प्रतिशत परिवारों के पास ट्रेक्टर हैं जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित परिवार इस दृष्टि से सबसे निचले स्थान पर हैं। केवल 1.67 प्रतिशत सर्वेक्षित अनुसूचित जाति के परिवार ही ट्रेक्टर, थ्रेसर का उपयोग करते पाये गये हैं।

तालिका सं. 9:2
सर्वेक्षित परिवारों में ट्रेक्टर धारक परिवार

	जाति वर्ग	सर्वेक्षित परिवार	ट्रेक्टर धारक परिवार	कुल परिवारों में ट्रेक्टर धारक परिवार प्रतिशत
	1	2	3	4
1.	उच्च जातियां	60	11	18.33
2.	मध्यम जातियां	94	11	11.70
3.	अनुसूचित जातियां	60	1	1.67
4.	अनुसूचित जनजातियां	36	1	2.78
5.	अन्य जातियां	54	3	5.56
	योग	304	27	8.88

तालिका सं. 9:3
जोत श्रृंखला वर्ग एवं ट्रेक्टर

1.	भूमिहीन	61	–	–
2.	सीमान्त कृषक	37	–	–
3.	लघु कृषक	40	–	–
4.	मध्यम जोत वाले कृषक	73	1	1.37
5.	बड़े किसान	93	26	27.96
	योग	304	27	8.88

किसी भी भूमिहीन, सीमान्त कृपक एवं लघु कृपक परिवार के पास ट्रेक्टर, थ्रेसर नहीं है। मध्यम जोत वाले 73 किसानों में से केवल 1 के पास ट्रेक्टर, थ्रेसर है जवकि 93 में से 26 वड़े किसान ट्रेक्टर एवं थ्रेसर रखते पाये गये हैं अर्थात् 27.96 प्रतिशत वड़े किसान ट्रेक्टर एवं थ्रेसर का उपयोग करते हैं। उन्हें अधिक आय होने एवं उनका प्रति व्यक्ति अधिक व्यय स्तर होने का यह एक मुख्य कारण है।

कृषि के विस्तार एवं कृषि से अधिकतम पैदावार लेने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को माल का उचित मूल्य उठाने के लिए नजदीक में मण्डी सुविधा उपलव्ध रहे, माल मण्डी तक पहुँचाने के लिए सड़क का साधन रहे ताकि वह अपने ट्रेक्टर, ट्राली अथवा वैलगाड़ी में अपनी कृषि उपज कम खर्चे में ढोकर कृषि उपज मण्डी तक पहुँचा सके। उसका उत्पादन उन्नत खाद, वीज एवं दवा सुविधा आदि की सहज सुलभ उपलव्धि एवं उनके सम्यक उपयोग पर भी निर्भर करता है। कृषि प्रसार सेवायें भी उसकी उत्पादन क्षमता वढ़ाने में वहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। किसान मिट्टी परीक्षण करवा कर यह जान सकता है कि उससे खेत की मिटटी किन-किन कृषि जिन्सों के उत्पादन के लिए अनुकूल है और विभिन्न फसलों के उसकी अनुकूलता वढ़ाने के लिए उसे क्या-क्या कदम उठाने चाहिये।

तालिका संख्या 9:4 दर्शाती है कि ग्राम समूह I के 41.97 प्रतिशत परिवारों को मण्डी सुविधा उपलव्ध है। यह संभवतः वड़े एवं मध्यम किसान परिवार हैं जिनके पास विक्रय योग्य कृषि जिन्सें उपलव्ध रहती हैं, साथ ही जिनके पास मण्डी तक माल पहुँचाने के साधन भी उपलव्ध है। ग्राम समूह II एवं III के किसी भी परिवार ने यह नहीं वताया है कि वे मण्डी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

ग्राम समूह I के 38.86 प्रतिशत परिवारों की मान्यता है कि उन्हें अनाज एवं अपने अन्य कृषि उत्पादनों का उचित मूल्य मिल जाता है, जवकि ग्राम समूह II के 29.09 प्रतिशत परिवार ही अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य मिलने की वात स्वीकार करते हैं। ग्राम समूह III के केवल 15.62 प्रतिशत परिवार ही अपने कृषि पदार्थों का उचित मूल्य मिलना स्वीकार करते हैं। उन्नत खाद, वीज एवं दवा की उपलव्धि के संवंध में ग्राम समूह I के 62.69 प्रतिशत परिवार संतुष्ट है लेकिन ग्राम समूह II के 50.91 प्रतिशत परिवारों का ही यह कथन है कि उन्हें उन्नत खाद, वीज एवं दवा आवश्यक परिमाण में और समय पर उपलव्ध हो जाती है। ग्राम समूह III में ऐसी धारणा रखने वाले केवल 17.86 प्रतिशत परिवार पाये गये हैं।

तालिका सं. 9:4

मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने के बारे में सर्वेक्षित परिवारों की आय

	गांव का नाम	सर्वेक्षित परिवार	क	ख	ग	घ	च	छ	ज
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असेटा	53	47	50	27	43	20	10	4
			(88.70)	(94.34)	(50.94)	(81.13)	(37.74)	(18.87)	(7.55)
2.	भींगा	39	18	5	18	24	20	1	2
			(46.15)	(12.82)	(46.15)	(61.54)	(51.28)	(2.56)	(5.13)
3.	कल्याणपुरा	25	16	17	17	17	19	–	3
			(64.00)	(68.00)	(68.00)	(68.00)	(76.00)		(12.00)
4.	थमोरी	34	–	30	9	11	3	–	1
				(88.24)	(26.47)	(32.35)	(8.82)		(2.94)
5.	गोरणा	42	–	–	4	16	12	10	14
					(9.52)	(38.10)	(28.57)	(23.81)	(33.33)
	योग	193	81	102	75	121	74	21	24
			(41.97)	(52.85)	(38.86)	(62.69)	(38.34)	(10.88)	(12.44)

Contd...

Contd...

6.	दईखेड़ा	36	–	15	6	12	4	12	11
				(41.67)	(16.67)	(33.33)	(11.11)	(33.33)	(30.56)
7.	कोडसुआ	19	–	–	10	16	13	4	8
					(52.63)	(84.42)	(68.42)	(21.05),	
	योग	55	–	15	16	28	17	16	19
				(27.27)	(29.09)	(50.91)	(30.91)	(29.09)	(34.55)
8.	गेंडोलीखुर्द	29	–	7	8	10	4	13	12
				(24.14)	(27.59)	(34.48)	(13.79)	(44.83)	(41.38),
9.	मांडाहेड़ा	27	-	-	-	-	-	-	-
	योग	56	–	7	8	10	4	13	12
				(12.50)	(15.62)	(17.86)	(7.14)	(23.21)	(21.43)
	महायोग	304	81	124	99	159	85	50	55
			(26.64)	(40.79)	(32.57)	(52.30)	(27.96)	(16.45)	(18.09)

(क) मण्डी की सुविधा (ख) सड़क (ग) अनाज एवं कृषि उत्पादनों की उचित मूल्य पर विक्री

(घ) उन्नत खाद, वीज, दवा की सुविधा (च) कृषि प्रसार सेवा (छ) पशु चिकित्सा (ज) मिट्टी परीक्षण

15.62 प्रतिशत परिवार ही अपने कृषि पदार्थों का उचित मूल्य मिलना स्वीकार करते हैं। उन्नत खाद, बीज एवं दवा की उपलब्धि के सम्बन्ध में ग्राम समूह I के 62.69 प्रतिशत परिवार संतुष्ट है लेकिन ग्राम समूह के 50.91 प्रतिशत परिवारों का ही यह कथन है कि उन्हें उन्नत खाद, बीज एवं दवा आवश्यक परिमाण में और समय पर उपलब्ध हो जाती है। ग्राम समूह में ऐसी धारणा रखने वाले केवल 17.86 प्रतिशत परिवार पाये गये हैं।

जहां तक कृषि प्रसार सेवाओं का लाभ लेने का प्रश्न है, जहां ग्राम समूह I में 38.34 प्रतिशत परिवारों का कथन है कि उन्हें ये सेवायें उपलब्ध हैं, वहीं ग्राम समूह II के केवल 30.91 प्रतिशत एवं ग्राम समूह III केवल 7.14 प्रतिशत परिवार ही यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें कृषि प्रसार सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

ग्राम समूह I में जहां नहर योजना पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय हुआ है, केवल 12.44 प्रतिशत परिवारों ने यह जाहिर किया है कि उन्हें मिट्टी निरीक्षण की सुविधा का लाभ मिला है जबकि ग्राम समूह II के 34.55 प्रतिशत तथा ग्राम समूह III के 21.43 प्रतिशत परिवार मिट्टी परीक्षण सुविधाओं का लाभ उठाते पाये गये हैं।

रासायनिक एवं कम्पोस्ट खाद का उपयोग

तालिका संख्या 9:5 दर्शाती है कि ग्राम समूह I में कम्पोस्ट खाद का उपयोग सबसे ज्यादा है। इस संदर्भ में ग्राम समूह II एवं III का स्थान क्रमशः दूसरा एवं तीसरा है।

कम्पोस्ट खाद के उपयोग में कुछ गिरावट आई है। ग्राम समूह I के 27.98 प्रतिशत परिवारों का कथन है कि उनके क्षेत्र में कम्पोस्ट खाद का उपयोग पूर्वापेक्षा घटा है जबकि ग्राम समूह II के 69.09 प्रतिशत परिवारों ने बताया है कि उनके क्षेत्र में कम्पोस्ट खाद का पूर्वापेक्षा कम उपयोग हो रहा है और यह खाद आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। इस तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या कम नहीं है जो इस बारे में स्पष्ट हो कि उनके यहां कम्पोस्ट खाद का उपयोग बढ़ा है, घटा है या पूर्ववत है। इसलिए उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने में असमर्थता व्यक्त की है। पशुओं की संख्या में कमी होते जाना इसका मुख्य कारण है जो ट्रेक्टरों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण आई प्रतीत होती है।

तालिका सं. 9:5

कम्पोस्ट एवं रासायनिक खाद का उपयोग

(संख्या एवं प्रतिशत)

गांव का नाम	सर्वेक्षित परिवार संख्या	कम्पोस्ट खाद का उपयोग				रासायनिक खाद का उपयोग			
		यढ़ा है	घटा है	पूर्ववत	उत्तर नहीं	बढ़ा है	घटा है	पूर्ववत	उत्तर नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अरलेठा	53	32	6	5	10	30	7	–	7
		(60.38)	(11.32)	(9.43)	(18.87)	(73.58)	(13.21)		(13.21)
2. भींया	39	25	5	4	5	28	8	–	3
		(64.10)	(12.82)	(10.26)	(12.82)	(71.80)	(20.51)		(7.69)
3. कल्याणपुरा	25	12	16	1	6	13	2	6	4
		(8.00)	(64.00)	(4.00)	(24.00)	(52.00)	(8.00)	(24.00)	(16.00)
4. बमोरी		34	4	8	–	22	13	2	1
		(11.76)	(23.53)		(64.71)	(38.24)	(5.88)	(2.94)	(52.94)
5. मोरपा	42	5	19	8	10	25	4	9	4
		(11.90)	(45.24)	(19.05)	(23.81)	(59.53)	(9.52)	(21.43)	(9.52)
योग	193	68	54	18	53	118	23	16	36
		(35.23)	(27.98)	(9.33)	(27.41)	(61.14)	(11.92)	(8.29)	(18.65)

Contd...

Contd...

6.	दईखेड़ा	36	4	25	–	7	30	–	1	5
			(11.11)	(69.44)		(19.45)	(83.33)		(2.78)	(13.89)
7.	कोदमुआ	19	–	13	1	5	9	2	3	5
				(68.42)	(5.26)	(26.32)	(47.37)	(10.53)	(15.79)	(26.31)
	योग	55	4	38	1	12	39	2	4	10
			(7.27)	(69.09)	(1.32)	(21.82)	(70.91)	(3.64)	(7.27)	(18.18)
8.	गोंदोलीखुर्द	29	1	14	5	9	10	–	10	9
			(3.45)	(48.28)	(17.24)	(31.03)	(34.48)		(34.48)	(31.03)
9.	भांजाडेरा	27	–	19	3	9	1	3	14	
				(70.37)	(11.11)	(18.52)	(33.33)	(3.71)	(11.11)	(51.85)
	योग	56	1	33	8	14	19	1	13	23
			(1.79)	(58.93)	(14.28)	(25.00)	(33.93)	(1.79)	(23.21)	(41.07)
	महायोग	304	73	125	27	79	176	26	33	69
			(24.01)	(41.12)	(8.88)	(25.99)	(57.89)	(8.55)	(10.86)	(22.70)

जहां तक रासायनिक खाद के उपयोग का प्रश्न है, ग्राम समूह I के 61.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट शब्दों में वताया है कि उनके यहां रासायनिक खाद का उपयोग वढ़ा है। ग्राम समूह II के भी 70.91 प्रतिशत उत्तरदाता यही राय रखते हैं, लेकिन ग्राम समूह III में केवल 33.93 प्रतिशत साक्षात्कर्ताओं ने रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ने की वात स्वीकार की है।

ऐसे उत्तरदाता भी मिले जिनकी दृष्टि में रासायनिक खाद का उपयोग पिछले दशक में घटा है। ग्राम समूह I में ऐसे उत्तरदाताओं का प्रतिशत 11.92 है तो ग्राम समूह II में 3.64 और ग्राम समूह III में 1.79।

ग्राम समूह I के 18.65 प्रतिशत उत्तरदाता यह नहीं वता पाये कि उनके क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग की क्या स्थिति है। ग्राम समूह II के 18.18 प्रतिशत उत्तरदाता इस वारे में मौन रहे हैं तो ग्राम समूह III के 41.07 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी राय प्रकट नहीं कर पाये हैं। लेकिन उक्त तालिका से यह तो स्पष्ट है कि नहरी सिंचाई सुविधा मिलने के वाद इस क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग वढ़ा है। तुलनात्मक दृष्टि से गैर योजना क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग में उतनी वढ़ोतरी नहीं हो पाई है। उत्पादन वृद्धि का एवं रासायनिक खाद के उपयोग में वढ़ोतरी का पूरक संवंध है। कम्पोस्ट खाद के उपयोग में कमी चिन्ता का विषय है। इस स्थिति में परिवर्तन लाने के हर संभव प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

रासायनिक खाद एवं कम्पोस्ट खाद के उपयोग के संवंध में कृषकों से खुली चर्चा की गई। उनकी राय रहा कि (क) रासायनिक खाद का उपयोग अधिक से अधिक किया जाय, इसका प्रयास सरकारी एवं प्रचार साधनों द्वारा किया जाता है। (ख) सरकारी प्रयास एवं प्रचार का किसानों के मानस पर प्रभाव पड़ता है और समाचार कीमतें वढ़ने के वावजूद उसका लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। (ग) तात्कालिक लाभ की दृष्टि से यह आकर्षक है। उत्पादन वढ़ता है। (घ) लेकिन कालांतर में इसकी हानि एवं कठिनाई सामने आने लगती है जैसे- (1) हर वर्ष 10 से 20 प्रतिशत मात्रा वढ़ानी पड़ती है तभी उत्पादन वृद्धि कायम रहती है। (2) 5-6 वर्षों वाद खाद की मात्रा वढ़ाने के वावजूद उत्पादन तुलनात्मक दृष्टि से कम वढ़ता है। उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। (3) भूमि कड़ी होने लगती है आर उत्पादकता घटने लगती है। किसानों ने वताया कि करीव 10 वर्ष वाद भूमि संरचना में परिवर्तन देखा ज़ा सकता है। (4) एक वार रासायनिक खाद डालना प्रारंभ करने पर हर वर्ष देना पड़ता है। (च) समय पर पानी

नहीं मिलने के कारण फसल को नुकसान होता है क्योंकि रासायनिक खाद देने पर यथा समय पूरा पानी मिलना आवश्यक होता है। (छ) रासायनिक खाद की कठिनाई एवं सीमाओं को जानते हुए भी किसान उसके उपयोग का लोभ संवरण नहीं कर पाते, इसका मुख्य कारण सरकारी सुविधा एवं प्रचार है।

प्राकृतिक एवं कम्पोस्ट खाद के बारे में भी राय जानने का प्रयास किया गया । यह बात सामने आई कि (1) रासायनिक खाद के प्रचलन के पूर्व गोबर की खाद तथा कम्पोस्ट की खाद का प्रचलन था। परन्तु अब इसका प्रचलन घटा है। (2) कम्पोस्ट खाद बनाने की विधि की जानकारी नहीं होने के कारण भी इसके उपयोग में वृद्धि नहीं हुई है। (3) कम्पोस्ट खाद एवं प्राकृतिक खाद के प्रचार का संगठित प्रयास नहीं किया जाता है। (4) कम्पोस्ट खाद के उपयोग से भूमि संरचना ठीक रहती है तथा मौसम का प्रभाव भी कम पड़ता है। (5) इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कम्पोस्ट खाद तैयार करने तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले।

□

10

विविध

अध्ययन के दौरान विकास के कुछ ऐसे मुद्दों पर भी जानकारी एकत्र की गई है जिसके बारे में ऊपर उल्लेख नहीं किया जा सका है। इस अध्ययन में विकास कार्यक्रमों के जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की गई है। विकास कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव आवास की सुविधा, रोजगार, पशुपालन पर पड़ते देखा जा सकता है।

निम्नलिखित मुद्दों पर संक्षिप्त जानकारी की जा रही है—

1. पशुपालन
2. रोजगार
3. आवास
4. कृषि भूमि की खरीद-बिक्री
5. बटाई पर कृषि

पशुपालन

ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों के पास 224, ग्राम समूह II में 54 और ग्राम समूह

III में 96 गायें हैं और क्रमशः 212, 57 और 36 भैसें। वछड़े-वछड़ियों की संख्या क्रमशः 203, 55 और 62 है तथा पाड़े-पाड़ियों की 144, 56 तथा 25। इससे ज्ञात होता है कि ग्राम समूह III में संख्यात्मक दृष्टि से प्रति परिवार अधिक मात्रा में पशु हैं और ग्राम समूह II में कम। नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने एवं ट्रेक्टरों के प्रचलन के वावजूद सर्वेक्षित परिवारों के पास वैल काफी संख्या में हैं। जैसे ग्राम समूह I के 193 सर्वेक्षित परिवारों के पास 272 वैल हैं, ग्राम समूह II के 55 सर्वेक्षित परिवारों के पास 74 और ग्राम समूह III के सर्वेक्षित 56 परिवारों के पास 79। अन्य पशुओं में भेड़-वकरिया मुख्य हैं। ग्राम समूह III के 56 परिवारों के पास 255 वकरियां हैं, वहीं ओ.एफ.डी. वाले ग्राम समूह I के 193 परिवारों के पास केवल 35 भेड़-वकरियां हैं। इससे स्पष्ट हैं कि ओ.एफ.डी. के बाद चारागाह क्षेत्र में जो कमी आई है, उसका भेड़-वकरियों की संख्या पर भी असर पड़ा है।

विभिन्न ग्रामों में सर्वेक्षित परिवारों की पशुधन के संवंध में क्या स्थिति है, उसका दर्शन तालिका सं. 10:1 से हो सकता है। इस स्थिति को अधिक स्पष्ट ढंग से समझने के लिए तालिका संख्या 10:2 उपयोगी रहेगी।

इस तालिका से पता चलता है कि पशु सम्पत्ति का रुपयों में मूल्यांकन करने पर प्रति परिवार सर्वाधिक पशु सम्पत्ति 6,154 रुपये ग्राम समूह III में और सवसे कम 5,661 रुपये, ग्राम समूह I में है, लेकिन प्रति व्यक्ति पशु सम्पत्ति ग्राम समूह II में सवसे ज्यादा है। ग्राम समूह I में इस दृष्टि से सवसे प्रतिकूल परिस्थिति विद्यमान है जहां प्रति व्यक्ति पशुधन केवल 758 रुपये है। समग्र दृष्टि से देखें तो सवसे अधिक प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति पशु सम्पत्ति कोडसुआ में है जो क्रमशः 7,489 रुपये और 1,016 रुपये है तथा सवसे कम ओ.एफ.डी. प्रभावित ग्राम वमोरी में जहां यह क्रमशः 4,137 रुपये और 579 रुपये है।

परिवार सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि प्रायः सभी गांवों में पशुधन की समान स्थिति है। विकास कार्यक्रमों से प्रभावित तथा गैर प्रभावित गांवों में पशु संपदा की दृष्टि से खास अन्तर नहीं देखने में आया। कृषि में काम आने वाले पशुओं की संख्या की दृष्टि से थोड़ा अन्तर पाते हैं। यह देखा गया कि ओ.एफ.डी. के गांव तथा सिंचित क्षेत्र के गांवों में गैर योजनागत गांवों की तुलना में वैलों की संख्या अधिक है। स्पष्ट है इन गांवों (ओ.एफ.डी.) में कृषि का विस्तार हुआ है और इस कारण पशु

तालिका सं. 10:1

सर्वेक्षित परिवार एवं पशुधन

	गांव का नाम	गाय		बछड़े-बछड़ी		भैंस		पाड़े-पाड़ी		बैल		अन्य पशु		योग
		संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	कीमत	कीमत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अलोठा	57	20300	42	2785	73	176300	60	13430	60	121400	19	4900	339115
2.	भींगा	52	17100	61	6300	35	79500	25	2950	72	139500	13	3800	249150
3.	कल्याणपुरा	27	13050	21	3275	13	29000	11	3700	45	87500	22	3200	139725
4.	नगोरी	26	16775	15	1535	23	51500	4	900	45	67000	11	2950	140660
5.	मोरणा	64	30625	64	8020	48	82550	44	13670	50	84100	20	4900	223865
	योग	224	97850	203	21915	212	418850	144	34650	272	499500	85	19750	1092515
6.	दईखेड़ा	29	9400	38	3250	31	62800	26	7300	47	91000	69	12400	186150
7.	कोडगुआ	25	11550	17	2850	26	56000	30	6300	27	57000	35	8000	132300
	योग	54	20950	55	6100	57	118800	56	13600	74	148000	104	21000	328450
8.	गिरोलीखुर्द	55	26200	42	6975	16	35500	14	4500	29	59000	227	47600	179775
9.	भानाहेड़ा	41	20800	20	3810	20	38000	11	3900	50	93500	28	4850	164860
	योग	96	47000	62	10785	36	73500	25	8400	79	152500	255	52450	344635

शक्ति का उपयोग भी वढ़ा है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि ट्रेक्टर जैसे कृषि यन्त्रों के उपयोग के वावजूद वैल का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है।

तालिका संख्या 10:2

सर्वेक्षित परिवार एवं पशुधन

(रुपयों में)

	गांव का नाम	प्रति परिवार पशु	प्रति व्यक्ति पशुधन
	1	2	3
1.	अरनेठा	6398	854
2.	भींया	6388	663
3.	कल्याणपुरा	5589	873
4.	वमोरी	4137	579
5.	मोरपा	5330	842
	योग	5661	758
6.	दईखेड़ा	5171	766
7.	कोडसुआ	7489	1016
	योग	5972	858
8.	गेंडोलीखुर्द	6199	903
9.	भांडाहेड़ा	6106	937
	योग	6154	919
	महायोग	5808	803

पशुपालन के विस्तार एवं विकास की संभावनाएँ

नहरी क्षेत्र में चारागाह क्षेत्र में आई कमी के वावजूद इस क्षेत्र में पशु पालन कार्य के विस्तार एवं विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं यदि फसलों में हुई वढ़ोतरी के कारण

अधिक मात्रा में पैदा किये जाने वाले चारे का उपयोग दुधारु पशुओं के लिए किया जाय और यहां से दिल्ली की ओर किया जाने वाला खाकले का निर्यात बन्द किया जाये।

ग्राम समूह 1 के अरनेठा गांव वालों ने चारागाह की कमी की शिकायत की है लेकिन हमारी सर्वेक्षण टोली ने देखा कि गेहूँ की भूसी के कई ट्रक भरकर दिल्ली की ओर वाहर भेजे जा रहे थे। इस गांव में दूध विपणन की नई व्यवस्था कायम हुई है। दूध सहकारी समिति स्थापित हुई है जो दूध एकत्रित करके वाहर भेजती है। हमारे सर्वेक्षण के समय लगभग 60 किलो दूध रोजाना वाहर भेजा जा रहा था, लेकिन पशु पालन प्रसार अधिकारियों द्वारा अपने कार्य में तत्परता वरतने पर यहां से 200 किलो दूध आसानी से वाहर भेजा जा सकता है।

पक्की सड़क से जुड़ा हुआ न होने के कारण भींया ग्राम में दूध एकत्रीकरण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण पशु पालन में ग्रामवासियों की दिलचस्पी कम है। इस गांव में भी पशुपालन से संवंधित प्रसार अधिकारी पशुपालन कार्य का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए यह सर्व सामान्य ज्ञात तथ्य है कि हरे चारे की कुट्टी करके खिलाने से पशु अधिक दूध देता है लेकिन इस इलाके में हमें कुट्टी काटने की मशीनें तक नहीं दिखाई दीं।

कल्याणपुरा गांव में भी दो किसानों की इस शिकायत के वावजूद कि ओ.एफ.डी. के वाद चारागाह भूमि प्रायः समाप्त कर दी गई है। पशुधन के विकास की प्रचुर संभावनायें दिखाई दी हैं। क्योंकि यह गांव मुख्य सड़क से नहरी सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है और पक्की सड़क से अधिक दूरी पर नहीं है। पक्की सड़क पर स्थित सीमल्या गांव से दूध कोटा तक पहुँचाने के साधन उपलब्ध हैं। इसके लिए समुचित मार्गदर्शन अपेक्षित है।

बमोरी गांव में दूध बिक्री के लिए सरकारी डेयरी की सुविधा उपलब्ध है। पूरे गांव में 400 के लगभग गायें और लगभग इतनी ही भैंसे हैं। औसतन 2 क्विंटल दूध यहां से कोटा भेजा जाता है। यदि पशु पालन से संवंधित प्रसार अधिकारी एवं डेयरी अधिकारी अधिक दिलचस्पी लें और दूध खरीद की व्यवस्था में सुधार करके दूध की नियमित खरीद संभव बनाई जा सके तो यहां से औसतन 5 क्विंटल दूध प्रतिदिन कोटा भेजा जा सकता है। पक्की सड़क से जुड़ा हुआ होने के कारण यहां

दूध विपणन की पर्याप्त गुंजाइश है। वातचीत से यह तथ्य सामने आया है कि दूध डेयरी की स्थापना के वाद लोगों में पशुपालन की ओर रुचि वढ़ी है और वे पशुओं से होने वाली नकद आय का महत्त्व समझने लग गये हैं।

दईखेड़ा भी पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां भी पशुपालन के विस्तार की गुंजाइश है। यहां का दूध एकत्रित करके लाखेरी अथवा कोटा भेजा जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जव इस क्षेत्र को दूध डेयरी से जोड़ा जाय।

ग्राम समूह III का गेंडोलीखुर्द गांव भी पशु पालन के विस्तार की दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति में है। पहाड़ की तलहटी, तालावों के वाहुल्य एवं वन क्षेत्र की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में दुधारु पशु पाले जा सकते हैं। दूध पहुँचाने के लिए इस मार्ग पर ट्रक भी मिलते हैं। दूध डेयरी से इस गांव को जोड़ने पर दूध के एकत्रीकरण एवं विपणन की व्यवस्था ठीक हो सकती है।

रोजगार विस्तार

कृषि में रोजगार कार्यों में वृद्धि

ग्राम समूह I में सर्वेक्षित परिवारों की कुल आवादी 1442 हैं जिसमें 548 अर्थात् 37.66 प्रतिशत कार्यशील व्यक्ति हैं। इस समूह में कार्यशील का अनुपात 45.25 प्रतिशत एवं महिलाओं में 29.50 प्रतिशत है। ग्राम समूह II में सर्वेक्षित परिवारों की कुल 383 जनसंख्या में 44.13 प्रतिशत लोग कार्यशील हैं। कार्यशील पुरुषों का अनुपात 44.28 प्रतिशत और महिलाओं का 43.96 प्रतिशत है। ग्राम समूह III में कार्यशील आवादी 48.27 प्रतिशत है, पुरुष 50.52 प्रतिशत एवं महिलाएँ 45.86 प्रतिशत। इससे संकेत मिलता है कि ओ.एफ.डी. से प्रभावित गावों में कार्यशील लोगों का प्रतिशत केवल मात्र नहर से लाभान्वित गांवों की अपेक्षा कम है और चम्वल कमांड क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की तुलना में गैर योजना क्षेत्र के गांवों में अधिक प्रतिशत लोगों को कार्यशील रहना पड़ता है।

कृषि रोजगार कार्यों में कितनी वढ़ोतरी हुई, इसकी झलक निम्न तालिका से हो सकती है—

तालिका संख्या 10:3
कृषि रोजगार में वृद्धि

विवरण	सर्वेक्षित परिवार	औसत बढ़ोतरी	रोजगार बढ़ोतरी			
			25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. ग्राम समूह I	193	58 प्र.श	48	54	57	34
			(25 प्रतिशत)	(28 प्रतिशत)	(29 प्रतिशत)	(१८ प्रतिशत)
2. ग्राम समूह II	55	62 प्रश	13	14	19	9
			(24.प्रतिशत)	(25प्रतिशत)	(25 प्रतिशत)	(16 प्रतिशत)
3. ग्राम समूह III	56	34 प्रश	42	8	6	-
			(75 प्रतिशत)	(14 प्रतिशत)	(11 प्रतिशत)	-
योग	304	53 प्रश	103	76	82	43
			(34 प्रतिशत)	(25 प्रतिशत)	(27 प्रश)	14 प्र.श)

उक्त तालिका दर्शाती है कि नहरी क्षेत्र में रोजगार में लगभग 60 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है अर्थात् नहरी सिंचाई के बाद 60 प्रतिशत लोगों को अधिक रोजगार मिला है, लेकिन गैर योजना वाले गावों में भी 36 प्रतिशत रोजगार बढ़ा है। इसका एक कारण तो सिंचाई में इंजिन पम्पों के उपयोग में हुई वृद्धि के फलस्वरुप कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होना है और दूसरा कारण उन्नत खाद, बीज एवं पोध रोग निरोधक दवाइयों का उपयोग हो सकता है। तीसरा कारण सड़कों के विस्तार के कारण मंडियों तक कृषि उपज पहुँचाने की प्रक्रिया में कृषि में लगे हुए लोगों का अनुपात बढ़ जाना भी हो सकता है।

कृषि तकनीक ट्रेक्टर सिंचाई साधन

चम्बल क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के बाद कृषि तकनीक में परिवर्तन हुआ है। सर्वेक्षित ग्राम समूह I में 193 परिवारों में से 18 के पास ट्रेक्टर हैं। प्रति ट्रेक्टर औसतन 2 व्यक्तियों को ट्रेक्टर ड्राइवर, सहायक एवं मरम्मतकर्ता के रूप में अतिरिक्त रोजगार

देता है। यह मानने पर इन ट्रेक्टरों से 36 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलता है ऐसा माना जा सकता है। 36 व्यक्ति कुल कार्यशील 338 पुरुषों का लगभग 10 प्रतिशत होता है। इस प्रकार अकेले ट्रेक्टर 10 प्रतिशत कार्यशील पुरुषों अथवा 6.63 प्रतिशत कार्यशील लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

सिंचाई साधनों के फलस्वरुप उत्पादन में हुई वढ़ोतरी के कारण रोजगार में जो वृद्धि हुई है वह पैरा सं. 1 में समाविष्ट की जा चुकी है। लेकिन उन्नत कृषि यन्त्रों, थ्रेसरों, इंजिनों, मोटर, पम्पों आदि की मरम्मत संवंधी कार्यों में तालिका संख्या 7:2 में दर्शित निम्न प्रकार रोजगार में हुई वृद्धि इसके अलावा है—

तालिका सं. 10:4

यन्त्र एवं अन्य कार्यों में रोजगार

विवरण	यन्त्र मरम्मत की दुकानें	अतिरिक्त रोजगार सं.
1	2	3
1. ग्राम समूह I	4	12
2. ग्राम समूह II	1	3
3. ग्राम समूह III	1	3
योग	6	18

इस प्रकार ग्राम समूह I में कृषि मरम्मत के रोजगार में लगे हुए लोग कुछ कार्यशील लोगों का 3.31 प्रतिशत जाता है।

सहायक कार्य

कृषि उत्पादन वाजार में ले जाने एवं शहरों से उपयोग की वस्तुएँ गांवों में लाने एवं चाय तथा परचूनी और अन्य उपभोक्ता पदार्थ वेचने के कार्य में भी अतिरिक्त रोजगार मिला है। वैलगाड़ियों की संख्या में वढ़ोतरी से भी विभिन्न ग्राम समूहों में निम्न प्रकार रोजगार वढ़ा है—

तालिका संख्या 10:5
रोजगार के विविध स्रोत

कुल परिवार (2426)

	विवरण	अतिरिक्त रोजगार परिवार संख्या	कुल परिवारों का प्रतिशत
	1	2	3
1.	बैलगाड़िया	50	2.06
2.	चाय की दुकानें	16	0.66
3.	परचूनी की दुकानें	56	2.31
4.	साइकिल मरम्मत	8	0.33
5.	भवन निर्माण कार्य	40	1.65
6.	आरा मशीन	6	0.24
7.	आटा चक्कियां	16	0.66
8.	नौकरी	106	4.37
	योग	298	12.28

उक्त तालिका दर्शाती है कि चम्बल नहरी क्षेत्र में पिछले पच्चीस साल में पुराने रोजगारों के अलावा नये रोजगार से 12.28 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं। रोजगार विस्तार की यह स्थिति विशेष संतोषजनक न भी मानी जाय तब भी नगण्य नहीं गिनी जा सकती है।

आवास

नहरी सुविधा उपलब्ध होने के बाद आवास व्यवस्था में सुधार आया है। ओ.एफ.डी. के अरनेठा गांव में नहर जाने के पहले पक्के मकानों की संख्या नगण्य थी। अब 24 परिवार पक्के मकानों में रहते हैं।

भीया में पिछले 20 साल की अवधि में 40 के लगभग पक्के मकान बने हैं। इनमें अधिकांश मकान उच्च जातियों के हैं। घाट के बाराना स्टेशन पर, जहा दईखेड़ा के लिए उतरना पड़ता है, सरकार की मदद से मेघवालों (अनुसूचित जाति वर्ग) के

पक्के मकान वने हैं। अन्य वर्गों में कलाल, मुसलमान आदि जाति के परिवारों ने भी पक्के मकान वनाये हैं।

कल्याणपुरा में नहरी सिंचाई प्रारंभ होने के वाद 5-6 पक्के मकान वने हैं। कुछ पुराने पक्के मकानों की मरम्मत भी हुई है।

वमोरी के लोग पूर्वापेक्षा अधिक संख्या में पक्के मकानों में रहते हैं। उच्च जाति वर्ग के सभी परिवार पक्के मकानों में रहते हैं। मध्यम जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 40 से 50 प्रतिशत तक परिवार पक्के मकानों में रहते हैं लेकिन अनुसूचित जातियों के अधिकांश परिवार अभी कच्चे मकानों में ही रहते हैं। क्योंकि नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के वाद कृषि भूमि की कमी एवं उनसे संवंधित रोजगारों में वढ़ोतरी न होने के कारण उनका रहन-सहन का स्तर नहीं सुधर पाया है।

मोरपा में गत 20 साल में पक्के मकानों का निर्माण व्यापक स्तर पर हुआ है। 1960 के पहले केवल 8 परिवार पक्के मकानों में रहते थे। अव पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या वढ़कर 150 के लगभग हो गई है।

दईखेड़ा एवं कोडसुआ में भी पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक वढ़ोतरी हुई है।

कृषि भूमि की खरीद-बिक्री

पिछले अध्यायों में जानकारी दी गई थी कि विभिन्न जाति वर्ग के कितने एवं कितने प्रतिशत परिवार भूमिहीन थे और कितने विभिन्न जोत श्रृंखलाओं में आते थे। यहां नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के वाद जिन परिवारों ने जमीन वेची एवं खरीदी है, उसकी जानकारी दी जा रही है।

गत 10 साल में अरनेठा गाव के 5 वड़े किसानों ने सीमांत एवं लघु किसानों से भूमि खरीदी है। ये सभी खरीददार माली जाति (मध्यम जाति वर्ग) के हैं। लेकिन इसी अर्से में सामान्य हैसियत के लोगों ने भी वड़े किसानों से जमीन की खरीद की है। यह आशाजनक स्थिति है।

भीया गांव में गत 10 साल की अवधि में चार छोटे किसानों ने वड़े किसानों से जमीन खरीदी है। जमीन खरीदने वालो में एक अनुसूचित जनजाति का, एक अनुसूचित

जनजाति का एवं दो मध्यम जाति वर्ग के परिवार हैं। इनके अलावा 3 बड़ी जोत वाले किसानों ने भी लघु एवं सीमान्त कृषकों की जमीनें खरीदी हैं। इनमें दो परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो तीसरा मध्यम जाति वर्ग का 1 एक उच्च जाति के परिवार ने तो, जो बड़े किसान वर्ग में आता था, अपनी पूरी की पूरी 8 हेक्टर भूमि वेच दी।

कल्याणपुरा गांव में एक वड़ी जोत वाले किसान ने, जो व्यापार भी करता है, अपनी कुछ कृषि भूमि वेची है।

वमोरी में भी वड़ी जोत वाले किसानों ने अपनी जमीनें वेची हैं लेकिन वे सभी जोत वाले किसानों ने ही खरीदी है।

मोरपा में भी वड़ी जोत वाले किसानों द्वारा कुछ भूमि वेची गई है। लेकिन खरीदने वाले सभी वड़ी जोत वाले हैं। यहां कोई भी सामान्य परिवार भूमि खरीदने में विफल रहा है।

वटाई पर कृषि

इस क्षेत्र में आधी वटाई या निश्चित मुनाफे पर जोतने वोने के लिए जमीन देने का रिवाज है। मुनाफे की निश्चित रकम भूमिपति को देने के वाद उसमें कृषि करने वाला खेत से प्राप्त होने वाली शेष कृषि आय का अधिकारी हो जाता है। आधे वांटे पर जमीन देने पर जुताई, वुआई, वीज, खाद का आधा खर्चा खेत जोतने-वोने वाले को देना पड़ता है और आधा खर्चा भूमिपति किसान उठाता है लेकिन जोतने वाले किसान को श्रम शक्ति लगानी होती है। वदले में दोनों कृषि उपज को आधी-आधी वांट लेते हैं।

ओ.एफ.डी. क्षेत्र के गांव अरनेठा में कंडारा जाति के अधिकांश परिवार आवूणी (आधा हिस्सा) में खेती करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ परिवार भी आधी वटाई पर खेती करते हैं।

कल्याणपुरा में तीन व्यापारियों एवं एक इंजीनियर ने गरीव परिवारों को मुनाफे पर जमीन दे रखी है। इन 6 परिवारों में चार परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

मोरपा में भी अनुसूचित जाति के अनेक परिवार वंटाई पर खेती करते हैं। अन्य जाति वर्ग के कुछ परिवारों के पास भी वंटाई की भूमि है।

तालिका संख्या 10:6
सर्वेक्षित परिवारों द्वारा वंटाई पर कृषि भूमि लेने की स्थिति

(हैक्टर में)

	गांव का नाम	कुल कृषि भूमि	वंटाई पर ली गई भूमि	कुल का प्रतिशत
	1	2	3	4
ग्राम समूह I				
1.	अरनेठा	215.80	23.20	10.75
2.	भी या	152.80	5.28	3.46
3.	कल्याणपुरा	193.44	8.16	4.22
4.	वमोरी	217.92	18.56	8.52
5.	मोरपा	154.24	11.20	7.26
	योग	934.20	66.40	7.11
ग्राम समूह II				
6.	दईखेड़ा	93.76	3.20	3.41
7.	कोडसुआ	91.68	–	–
	योग	185.44	3.20	1.73
ग्राम समूह III				
8.	गेंडोलीखुर्द	93.44	3.20	3.42
9.	भांडाहेड़ा	292.72	8.48	4.27
	योग	292.16	11.68	4.00
	महायोग	1411.80	81.28	5.73

वटाई के लिए उपलब्ध भूमि के वारे में वस्तुपरक जानकारी तालिका संख्या 10:6 में हो सकती है। आ.एफ.डी. क्षेत्र के ग्राम समूह I के सर्वेक्षित परिवारों द्वारा दी गई

जानकारी के अनुसार उनके कुल कृषि क्षेत्र का 7.11 प्रतिशत अंश ऐसा है जो उन्होंने बटाई पर प्राप्त किया है। ग्राम समूह II में बटाई पर उपलब्ध भूमि कुल कृषि क्षेत्र का 1.73 प्रतिशत और गैर योजना क्षेत्र के ग्राम समूह III में 4 प्रतिशत है। बटाई पर सबसे अधिक भूमि (10.75 प्रतिशत) अरनेठा में है। इस दृष्टि से दूसरा स्थान बमोरी एवं मोरपा का है। कोडसुआ में एक भी सर्वेक्षित परिवार ने बंटाई पर खेती करने की बात नहीं बताई है।

जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में 3 से 10 प्रतिशत भूमि बटाई पर ली जाती पाई गई। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी से यह पाया गया कि वे ही व्यक्ति बटाई पर जमीन देते हैं जो स्वयं खेती करने की स्थिति में नहीं हैं अर्थात् नौकरी, व्यवसाय या अन्य कार्यों में लगे होते हैं। बटाई पर जमीन लेने वालों में सीमान्त एवं लघु कृषक होते हैं जिनके पास कम भूमि है तथा परिवार में श्रम शक्ति है। जाति विशेष भी इस कार्य में खास रुचि लेता पाया गया। यह भी देखा गया कि अनुसूचित जाति की रुचि खेती में बढ़ी है और वे बटाई पर खेती करने लगे हैं।

□

11

सारांश एवं सुझाव

पृष्ठभूमि

कृषि के लिए सिंचाई की उपादेयता को देखते हुए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में सिंचाई परियोजनाओं को उचित महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ होने के साथ-साथ सिंचाई के स्रोतों को विकसित करने के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये। योजना आयोग ने सिंचाई कार्यक्रमों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया है (1) बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ, (2) छोटी सिंचाई योजनायें, (3) कमांड एरिया विकास एवं जल संसाधन परियोजना और (4) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम।

देशभर में नदी पानी के उपयोग के लिए अनेक बड़ी सिंचाई बांध परियोजनायें प्रारंभ की गई और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई गई। नहरों से हुई सिंचाई सुविधाओं के मूल्यांकन के बाद यह महसूस किया गया कि केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। यह भी आवश्यक लगा कि नहरी सिंचाई के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान के साथ-साथ कृषि संसाधनों (Inputs) तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कमांड एरिया डेवलपमेंट (C A D)

परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना में कृषि विकास की समग्र दृष्टि को सामने रखा गया। इसमें संसाधनों (Inputs) की आपूर्ति एवं मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्यक्रम भी शामिल किया गया। कमांड परियोजना में मुख्यतः ये कार्य माने गये (1) सिंचाई सुविधा की दृष्टि से नालियों का निर्माण (2) खेतों में नालियों का निर्माण (3) भूमि समतल करना (4) भूजल का अधिकतम उपयोग (5) उपयुक्त फसल चक्र का प्रसार (6) सबको पानी देने के लिए वारावन्दी (7) कृषि संसाधनों को उपलब्ध कराना (8) संसाधनों को शीघ्र एवं समय पर उपलब्ध कराना (9) किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन (10) जल के रिसाव को रोकना आदि। पंचवर्षीय योजना में देशभर में कुल 19 कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए कुल 856.27 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में यह राशि 94.26 करोड़ रु. है।

राजस्थान में चम्वल परियोजना पर कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ और 1960 में नहर से सिंचाई प्रारंभ हुई। इस परियोजना में चार वांध है—

1. गांधी सागर वांध—सिंचाई एवं 120 मे.वा. विद्युत उत्पादन के लिए।
2. राणाप्रताप वांध—172 मे.वा. एवं अणु विद्युत उत्पादन हेतु जिसकी क्षमता 420 मे.वा. मानी गई है।
3. जवाहर सागर वांध—100 मे.वा. विद्युत उत्पादन।
4. कोटा वांध—सिंचाई के लिए।

इस परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ हो रहा है। इससे निकली मुख्य नहर राजस्थान में 130 कि.मी. तथा आगे मध्य प्रदेश में 242 कि.मी. तक गई है। राजस्थान में उससे 2.29 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई होती है। यह क्षेत्र कोटा जिले की 4 तथा वूंदी जिले की 2 तहसीलों में है। कोटा में 4 क्षेत्र है (1) लाडपुरा (2) दीगोद (3) अन्ता (4) इटावा तथा वूंदी में तालेड़ा एवं केशोरायपाटन। चम्वल कमांड एरिया डेवलपमेंट का कार्य 1974 में प्रारंभ हुआ और इसका प्रथम चरण 1982 में पूरा हुआ। इस दौरान सिंचाई विकास के साथ-साथ इसकी कठिनाइयों को पूरा करने, भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम लागू करना, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, कृषि प्रसार सेवा आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये।

उद्देश्य एवं पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में इन कार्यक्रमों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को देखा गया है। इस क्षेत्र में विभिन्न जोत श्रेणियों के किसानों एवं सामाजिक श्रेणियों पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा इसे देखने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य माने गये हैं—

1. परियोजना, खासकर ओ.एफ.डी. कार्यक्रम के प्रभावों को देखना।
2. परियोजना द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ किस वर्ग को कितना मिल रहा है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करना।
3. कमांड एवं गैर कमांड क्षेत्र में कृषि सुविधायें तथा जीवन स्तर के अन्तर को स्पष्ट करना।
4. कार्यक्रम की कठिनाइयों को स्पष्ट करना।
5. कृषि पद्धति में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना एवं आगे के लिए सुझाव देना।

अध्ययन के लिए कोटा तथा बूंदी की एक-एक पंचायत समिति के कुछ गांवों को चुना गया है। प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक गांव गैर योजना के भी इस अध्ययन में शामिल किये गये हैं। सर्वेक्षित ग्रामों को तीन ग्राम समूहों में विभाजित किया गया है। (1) ग्राम समूह एक में ओ.एफ.डी. से प्रभावित गांव हैं (2) ग्राम समूह दो में केवल सिंचाई सुविधा प्राप्त गांव हैं तथा (3) ग्राम समूह तीन में गैर योजना के गांव हैं। सर्वेक्षण के लिए कोटा की दीगोद तहसील (सुल्तानपुर पंचायत समिति) और बूंदी की केशोरायपाटन पंचायत समिति को चुना गया है।

सर्वेक्षित गांवों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है—

ग्रामों का चयन कमांड कार्यालय में उपलब्ध कार्यक्रमों से प्रभावित गांवों की सूची को सामने रखकर जनसंख्या श्रेणी के अनुसार किया गया है। परिवारों का चयन जोत श्रेणी के अनुसार आनुपातिक पद्धति से किया गया है। तथ्यों के संग्रह के लिए निम्नलिखित अनुसूची–प्रश्नावली का उपयोग किया गया (क) परिवार गणना अनुसूची (ख) परिवार सर्वेक्षण अनुसूची (ग) ग्राम अनुसूची (घ) संस्था अनुसूची। सर्वेक्षण अवधि वर्ष 1983-84 है जो वर्षा की दृष्टि से सामान्य माना जा सकता है। [illegible]

से कुछ कम हुई है।

ग्राम समूह एवं गांव		कुल परिवार	सर्वेक्षित परिवार	सर्वेक्षित परिवार का प्र.श.
1		2	3	4
ग्राम समूह-1				
1.	अरनेठा	452	53	11.73
2.	भींया	280	39	13.93
3.	कल्याणपुरा	131	25	19.08
4.	बमोरी	277	34	12.27
5.	मोरपा	258	42	16.28
	योग	1398	193	13.81
ग्राम समूह-2				
6.	देईखेड़ा	364	36	9.89
7.	कोडसुआ	204	19	9.45
	योग	569	55	9.73
ग्राम समूह-3				
8.	गेंडोलीखुर्द	242	29	11.98
9.	भांडाहेड़ा	218	27	12.39
	योग	460	56	12.17
	महायोग	2426	304	12.55

कार्य विस्तार

कमांड परियोजना से प्रभावित पूरे क्षेत्र में परियोजना के कार्य एवं प्रभाव क्षेत्र क्या है, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी उपयोगी होगी। कमांड क्षेत्र में गांवों की कुल संख्या 1148 हैं जिनमें से 745 गांव कमांड कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें लाभांवित परिवारों की कुल संख्या 68715 है। यहां जोत का क्षेत्र सामान्यतः 2 हैक्टर प्रति किसान पाया जाता है। लाभान्वित कृषकों के विश्लेषण से जो तथ्य सामने आये हैं

उससे स्पष्ट होता है कि बड़े कृषकों को अधिक लभ हुआ है और उन्हें प्रति हेक्टर अधिक आय हुई है। पूरे कमांड क्षेत्र में बड़े किसान अर्थात 4 हेक्टर से अधिक भूमि वाले कृषकों को 70.75 प्रतिशत भूमि सिंचित है। मध्यम एवं लघु कृषकों की क्रमशः 22.63 तथा 5.58 प्रतिशत भूमि सिंचित है। सिंचाई कार्यक्रम में यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिसके पास भूमि है उसी को सिंचाई का लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयास यह किया जाना चाहिए कि छोटे किसानों की पूरी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओ.एफ.डी. (आन फार्म डेवलपमेंट) कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समितियों की कुल जनसंख्या 6.69 लाख है। इसमें बूंदी जिले की 2 पंचायत समितियों की जनसंख्या 2.65 लाख तथा कोटा की 4 पंचायत समितियों की जनसंख्या 4.04 लाख पाई गई। कुल प्रभावित पंचायत समितियें में अनुसूचित जाति के लोग 20.79 तथा अ.ज.जा. के 22.26 प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में साक्षरता की दृष्टि से लाड़पुरा पंचायत समिति की स्थिति अच्छी है जहां साक्षरता 25.22 प्रतिशत है। सबसे कम तालेड़ा में साक्षरता 15.54 प्रतिशत है। महिला साक्षरता 4.63 से 9.33 प्रतिशत तक पाई गई।

उत्पादन की दृष्टि से यहां की मुख्य फसलें–गेहूँ, चना, ज्वार, धान, गन्ना है। गेहूँ का उत्पादन प्रति हेक्टर 20 से 25 क्विंटल, चना 7-10 तथा धान 30-40 क्विंटल होता पाया गया। नई फसलों में सोयाबीन एवं सरसों महत्वपूर्ण हैं।

उत्पादन एवं फसल चक्र

सर्वेक्षित गांवों में उत्पादन एवं फसल चक्र में परिवर्तन होता पाया गया। नहर आने के पूर्व की तथा वर्तमान स्थिति का अंदाज लगाने का प्रयास किया गया। जिससे यह जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में प्रति हैक्टर उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि होने के साथ-साथ नई फसलों की खेती भी प्रारम्भ की गई है। ओ.एफ.डी. से प्रभावित गांवों (अरनेठा, भींया) में गन्ना, धान, सोयाबीन की नई फसलें बोई जाने लगी हैं। बमोरी में सोयाबीन के साथ मसूर एवं आलू की खेती भी की जाने लगी है। गेहूँ इस क्षेत्र की पुरानी फसल है। लेकिन पहले लाल गेहूँ की खेती की जाती थी अब उसके स्थान पर गेहूँ की नई किस्में बोई जाने लगी हैं। अब शरबती एवं फार्मी गेहूँ अधिक मात्रा

में पैदा होता है जो लाल गेहूँ की तुलना में सवाये भाव पर विकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षित गांवों में सरसों को छोड़कर अन्य तिलहनों की खेती पूर्ववत् है वल्कि उसमें थोड़ी वहुत कमी ही आई है। नहर एवं ओ.एफ.डी. कार्यक्रम के बाद जिन फसलों की खेती वड़ी है उनमें धान एवं गन्ने की खेती के वारे में किसानों की राय प्रतिकूल देखने में आई। गन्ना खरीद में गड़वड़ी तथा न खरीदने के कारण इसकी खेती कम हुई तथा पानी कम मिलने अथवा समय पर नहीं मिलने के कारण धान की खेती भी कम हुई है तथा इनकी खेती के प्रति रुझान घटा है।

नहर आने के वाद प्रति हैक्टर उत्पादन वड़ा है। गेहूँ का उत्पादन दूना से अधिक हुआ है। (12 से वढ़कर 25-30 क्विंटल प्र.है.) लेकिन चने का उत्पादन पूर्ववत् (8-10 क्विंटल प्र.है.) है। गन्ने का उत्पादन प्र.है. 300 क्विंटल पाया गया, जवकि धान का उत्पादन 30-40 क्विंटल है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पहले यहां कपास की खेती होती थी लेकिन अव उसका उत्पादन नहीं होता है। प्रति वीघा आय को देखने पर पाते हैं ग्राम समूह I एवं II में क्रमशः 248 तथा 334 रु. प्र. वीघा आय पायी गयी, जवकि ग्राम समूह III में केवल 173/- रुपये हैं। स्पष्ट है योजना से लाभान्वित गांवों में प्र. वीघा आय अधिक है।

गेहूँ की खेती में प्रति हैक्टर शुद्ध आय में नहर के आने के पूर्व की स्थिति से तुलना करने पर 115 प्रतिशत की वृद्धि होती पाई गई। आज के मूल्य पर वह प्रति हैक्टर 480 से वढ़कर 1035 रुपये होता पाया गया। यदि विभिन्न ग्राम समूहों में प्रति हैक्टर शुद्ध कृषि आय को देखे तो पायेंगे कि ग्राम समूह I एवं II में 1,373/- तथा 1,341/- रु. है तथा तीसरे समूह में 1,012/- रु. है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नहर से प्रभावित एवं ओ.एफ.डी. के गावों में प्रति हैक्टर आय तथा शुद्ध आय गैर योजना के गांवों की तुलना में अधिक है। ग्राम समूह के अनुसार देखें तो ओ.एफ.डी. तथा केवल सिंचाई से प्रभावित गावों में खास अन्तर नहीं है। स्पष्ट है इस दौरान ओ.एफ.डी. का उत्पादन पर खास प्रभाव नहीं पड़ता देखा गया। इसके कारणों की खोज करने पर यह मालूम हुआ कि भूमि के समतलीकरण तथा पुनर्निधारण की प्रक्रिया से हुई भूसंरचना में परिवर्तन आने के कारण प्रारंभ के 3-4 वर्षों तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है।

सिंचाई

सिंचाई के साधन तथा उससे लाभांवितों का विश्लेषण करने पर कई तथ्य सामने आते हैं। इस विश्लेषण से कमांड क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित समस्याएँ भी सामने आई हैं। ग्राम समूह I में 87.36 प्रतिशत भूमि सिंचित है जबकि ग्राम समूह II में यह प्रतिशत 94.39 पाया गया। गैर योजना गत गांव में सिंचित भूमि केवल 42.50 प्रतिशत पाई गई। यह उल्लेखनीय है कि ओ.एफ.डी. के गांवों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। इसके कारणों की तलाश में यह बात सामने आई कि (क) ओ.एफ.डी. में भूमि समतलीकरण एवं नालियों का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ। (ख) नालियों की मरम्मत की कमी (ग) बारावन्दी कार्य पूरा नहीं हुआ। तथा (घ) कार्यक्रम को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। जहां केवल सिंचाई के कार्यक्रम चलते हैं वहां किसान व्यक्तिगत स्तर पर खेतों में पानी ले जाने का प्रयास करते हैं और एक सीमा तक सफल भी होते हैं। इससे स्पष्ट है कि ओ.एफ.डी. कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी खेतों में पानी पहुंच सके।

सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी से मालूम हुआ कि ग्राम समूह I में 94.25 प्रतिशत सिंचाई नहरों से तथा 3.39 प्रतिशत तालाब एवं 2.36 प्रतिशत कुओं से होती है। ग्राम समूह II में 98.35 प्रतिशत नहर से तथा 1.65 प्रतिशत कुओं से सिंचाई होती है। गैर योजनागत क्षेत्र ग्राम समूह III में नहर से मात्र 4.51 प्रतिशत सिंचाई होती है जबकि तालाब से 33.50 प्रतिशत एवं कुओं से करीब 62 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। गैर योजनागत गांवों में आज भी परम्परागत साधनों से सिंचाई होती हैं।

सर्वेक्षित ग्राम समूह I के 62.12 प्रतिशत लोगों की राय में नालियों के बनने से पानी का दुरुपयोग कम हुआ है। इसी प्रकार 55.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि इससे पानी का रिसाव कम हुआ है।

सिंचाई सुविधाओं के बारे में किसानों ने कई कठिनाइयां बताई उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

1. नालियां बनी लेकिन उसमें पाईप नहीं लगने के कारण नाली का उपयोग नहीं हो पाता।

2. नाली सही नहीं वनने के कारण पानी नहीं आता।
3. नाली ऊंचाई पर वनने के कारण पानी नहीं आता।
4. पानी निकास की सही व्यवस्था के अभाव में रास्तों में कीचड़ हो जाता है।
5. पानी निकलने वाली ड्रेन सही नहीं वनी है।
6. पुलिया ठीक से नहीं बनी-वर्षा में टूट जाती है।
6. ओ.एफ.डी. (आन फार्म डेवलपमेंट) कार्यक्रम—

ओ.एफ.डी. कार्यक्रम की सफलता एवं कठिनाइयों के वारे में कई तथ्य सामने आये। इस कार्यक्रम के कई पक्ष माने गये हैं, जैसे–जल का अधिकतम उपयोग, जल निकासी की सुविधा देना, जल का रिसावं रोकना, खेतों की सीमाओं का पुनः निर्धारण एवं समतलीकरण, खेतों में जाने के लिए रास्तों का निर्माण और फसलचक्र में परिवर्तन। इस कार्यक्रम के लिए प्रति हैक्टर 3280 रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। यह राशि वैंक के माध्यम.से कर्ज के रूप में प्राप्त हो रही है जिसका भुगतान 15 वर्षों में किसान करेंगे। छोटे किसानों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अनुदान भी दिया जाता है।

सर्वेक्षण के दौरान ओ.एफ.डी. कार्यक्रम के बारे में अनुकूल धारणा नहीं पाई गई। कई गांवों में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और कहा गया कि इस कार्यक्रम से किसान परेशान एवं कर्जदान हो रहे हैं। इस प्रतिक्रिया के पीछे कर्जदारी मुख्य मुद्दा लगा तथा उनका मानस कर्ज वापस करने के लिए अनुकूल नहीं लगा। विस्तार से चर्चा करने पर किसानों ने इससे हुए लाभों को तो एक सीमा तक स्वीकार किया, साथ ही यह भी कहा कि यदि यह कार्यक्रम सही ढंग से लागू किया जाय तो लाभ हो सकते हैं।

उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार रही—

1. नहरी जल का रिसाव रुका है जिससे भूमि का खारा होना या पानी भरना कम हुआ।
2. पानी का उपयोग पहले से अच्छा हो सकता है क्योंकि शेप जल की निकासी की व्यवस्था है।
3. नालियों पर पुलिया वनने से खेतों में जाने का रास्ता वना है जिससे आवागमन मे सुविधा हुई है।

4. जमीन समतल होने से पूरे खेत में पानी जाने की संभावना वड़ी हैं।
5. सभी किसानों के खेतों में पानी जा सकता है।
6. एक किसान की जमीन एक स्थान पर होने से खेती में सुविधा होती है।

लेकिन इन लाभों के लिए एक ही मुख्य शर्त हैं कि कार्य सही ढंग से किया जाय तथा नालियों के रख रखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था ठीक रहे। कृषकों की राय में इन कमियों के कारण ओ.एफ.डी. का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है और कर्ज बोझ बनकर रह जाता है।

ओ.एफ.डी. के बारे में जो राय सामने आई है उससे स्पष्ट होता है कि किसानों में इस कार्य के प्रति असंतोष है। इसी असंतोष को देखते हुए अव यह नीति अपनाई जा रही है कि जिस गांव के लोग स्वेच्छा से ओ.एफ.डी. कार्यक्रम में शामिल होना चाहेंगे उसी गांव में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जायगा। इस कार्यक्रम से प्रभावित उत्तरदाताओं में से 62.12 प्रतिशत की राय में नालियों के बनने से पानी का दुरुपयोग घटा है, जबकि 12.44 प्रतिशत की राय में नहीं घटा है तथा 23.84 प्रतिशत की राय में स्थिति में परिवर्तन तो हुआ है पर विशेष नहीं। सभी खेतों में पानी पहुंचने के बारे में 47.15 प्रतिशत की राय है कि पानी पहुंचता है जबकि 29.01 प्रतिशत की राय में सभी खेतों में पानी नहीं जा पाता है तथा 23.84 प्रतिशत की राय में एक सीमा तक ही सभी खेतों में पानी जा पाता है–पूरा नहीं पहुंचता। पानी रिसाव रोकने के वारे में 55.96 प्रतिशत की राय में रिसाव रुका है, 20.21 की राय में नहीं रुका है तथा 23.84 प्रतिशत की राय में एक सीमा तक ही रिसाव रुका है।

सर्वेक्षण के दौरान इस संबंध में कई तथ्य सामने आये उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

1. ओ.एफ.डी. कार्य का मुख्य मुद्दा भूमि समतलीकरण का है जबकि कृषकों की राय में ऐसे खेतों की संख्या काफी है जो समतल नहीं हुए हैं तथा नाली भूमि के समतलीकरण से मेल नहीं वैठता। फलतः पूरे खेत में पानी नहीं जाता।
2. प्रभावशाली लोगों का खेत सही ढंग से समतल हुआ एवं नाली भी ठीक वनी जबकि कमजोर किसान उपेक्षित रहा।
3. पानी निकलने वाली नालियों के ठीक नहीं बनने के कारण पानी नहीं निकलता है।

4. व्यवस्था एवं रख रखाव की गड़वड़ी के कारण नालियां, पुलिया, रास्ते आदि ठीक नहीं रह पाते हैं।
5. वाराबन्दी लागू नहीं होने के कारण सभी किसानों को समान रूप से पानी नहीं मिलता। पानी के प्रश्न पर विवाद, झगड़े, मनमुटाव होता है।
6. आवश्यकता इस वात की है कि ओ.एफ.डी. कार्यक्रम सही ढंग से विना भेदभाव के लागू किया जाय ताकि सवको पूरा लाभ मिले।
7. आय

सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति की जानकारी की दृष्टि से आय एवं कर्ज के संवंध में जो तथ्य सामने आये हैं उनसे परियोजना के प्रभाव की झलक मिलती है। पारिवारिक आय को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया गया है। (क) कृषि से आय (ख) अन्य स्त्रोतों से आय। जहां तक कुल पारिवारिक आय में कृषि आय के अंश का प्रश्न है ग्राम समूह I में कृषि आय का अंश 61.29 प्रतिशत पाया गया। जवकि ग्राम समूह II में 59.11 तथा III में 56.36 प्रतिशत। स्पष्ट है ओ.एफ.डी. के गावों में कुल आय में कृषि आय का अंश अधिक है। गैर योजनागत गांवों में कृषि से इतर स्त्रोतों से आय का अंश अधिक पाया गया। गैर कृषि स्त्रोतों से आय का अंश ग्राम समूह I एवं II में क्रमशः 38.71 तथा 40.89 प्रतिशत पाया गया जवकि गैर योजनागत ग्राम समूह III में इसका प्रतिशत 43.64 पाया गया। इसे जाति श्रेणी की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि ग्राम समूह I में उच्च जाति (70.91 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (72.67 प्रतिशत) में कृषि से आय का अंश सर्वाधिक है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के लोग गैर कृषि आय का अंश केवल 46.70 प्रतिशत पाया गया। अनुसूचित जनजातियां (मीणा) मुख्यतः खेती में ही लगती पायी गयी। मध्यम एवं अन्य जातियों में कुल आय मे कृषि आय का अनुपात 55 से 57 प्रतिशत तक पाया गया। कमोवेश यही स्थिति ग्राम समूह II में भी पाई गई। प्रति व्यक्ति आय को देखने पर यह पाते हैं कि उच्च जाति में प्रति व्यक्ति आय ग्राम समूह I में 2062, ग्राम समूह II में 2365 तथा ग्राम समूह III में 1790 रुपये हैं। मध्यम जाति वर्ग में प्रति व्यक्ति औसत आय तीनों ग्राम समूहों को शामिल करने पर 1575 रुपये पाई गई। जोत श्रेणी के अनुसार ग्राम समूह I में मध्यम एवं वड़े किसानों की आय ग्राम समूह II की तुलना में अधिक है। जवकि भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषकों की ग्राम समूह II में आय कुछ अधिक पाई गई। यह अन्तर प्रति व्यक्ति 100 से 200

रुपये तक पाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम समूह III में भी प्रति व्यक्ति आय कम नहीं है–करीव-करीव ग्राम समूह I के समान है। इस स्थिति का एक कारण यह सामने आया कि गैर योजनागत गांवों के लोग गांव से वाहर काम करते हैं तथा गैर कृषि कार्यों में भी अधिक संख्या में लगते हैं जिसके कारण इन्हें नकद आय प्राप्त होती है।

उक्त विश्लेषण से आय के संवंध में कुछ वातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं (1) ओ.एफ.डी. के गांवों में प्रति हैक्टर उत्पादन अन्य गांवों की तुलना में अधिक होने के कारण कुल आय में कृषि आय का अंश, अन्य ग्राम समूहों की तुलना में अधिक है। (2) प्रति व्यक्ति आय (कृषि एवं अन्य आय को मिलाकर) की दृष्टि से सभी ग्राम समूहों की स्थिति प्रायः समान है। जहां योजनायें नहीं है वहां के लोग गैर कृषि कार्यों से आय प्राप्त करते हैं। (3) मध्यम एवं वड़ी जाति के किसानों की प्रति व्यक्ति आय तथा कुल आय में कृषि आय का अंश अधिक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के किसानों में भी कृषि से आय का अंश अधिक है। (4) स्पष्ट है कि कृषि विकास कार्यक्रमों का लाभ वड़े किसानों तथा उच्च जाति के लोगों को अधिक मिला है। (5) कर्जदारी के संवंध में प्राप्त तथ्यों से यह वात सामने आई कि ओ.एफ.डी. के गावों में कर्जदारी अधिक है–यहा औसत 67.36 प्रतिशत परिवारों ने कर्जदारी वताई। अरनेठा एवं भींया में तो क्रमशः 90.57 तथा 100 प्रतिशत परिवार कर्जदार पाये गये। कर्जदारी की मुख्य मद ओ.एफ.डी. के कर्ज पाये गये। ग्राम समूह II में कुल 81.82 प्रतिशत परिवार कर्जदार पाये गये। जवकि गैर योजनागत ग्राम समूह III में कर्जदारी 25 प्रतिशत परिवारों में पाई गई। (6) स्पष्ट है विकास कार्यक्रमों ने कर्जदारी वढ़ाई है–भले ही यह कर्ज विकास के लिए ही क्यों न लिया गया हो। (7) यहां यह उल्लेखनीय है कि विकास कार्यक्रम से प्रभावित गावों में कर्ज तो वड़े हैं लेकिन पारिवारिक आय में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। इससे यह शंका होना स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा न हो कि विकास के नाम पर कर्ज वढ़ता जाय और विकास न हो पाये। इस स्थिति में दीर्घकाल में विकास के वजाय गरीवी वढ़ेगी–आर्थिक स्थिति कमजोर होती जायगी।

उपभोग तथा व्यय

ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं उपभोग का अन्योन्याश्रमिक संवंध पाया जाता है। नित्य की आवश्यकता की पूर्ति (भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास आदि) के साथ-साथ

कृषि कार्यों में व्यय तथा वाहन पर व्यय होता पाया गया। इस संवंध में हम पाते हैं कि ग्राम समूह I में उच्च जाति के किसानों का प्रति व्यक्ति व्यय सर्वाधिक 1,218 रुपये हैं जवकि अनुसूचित जाति का सवसे कम 670 रुपये पाया गया। अन्य जातियों में प्रति व्यक्ति व्यय 938 से 955 के वीच पाया गया। ग्राम समूह II में उच्च जाति के परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय सर्वाधिक (2,047 रु.) पाया गया। लेकिन अन्य जातियों की स्थिति प्रायः ग्राम समूह एक की तरह पाई गई। ग्राम समूह III में भी व्यय की स्थिति ग्राम समूह I जैसी ही है। अनुसूचित जाति की स्थिति तीनों ग्राम समूहों में सवसे कमजोर हैं। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति को छोड़कर शेष सभी सामाजिक समुदायों में व्यय की स्तर प्रायः एक जैसा है।

जोत श्रेणी के अनुसार देखने पर पायेंगे कि तीनों ग्राम समूहों में वड़ी जोत के किसानों में व्यय राशि अधिक है। ग्राम समूह I, II और III के वड़ी जोत के किसानों की प्रति व्यक्ति व्यय राशि क्रमशः 1200, 1322 और 1047 पाई गई। ग्राम समूह I में मध्यम एवं लघु कृषकों की प्रति व्यक्ति व्यय राशि क्रमशः 855 एवं 730 तथा सीमांत एवं भूमिहीन की क्रमशः 759 तथा 810 पाई गई। कमोवेश यही स्थिति ग्राम समूह II तथा III की भी पाई गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि सीमांत कृषक की व्यय क्षमता की स्थिति सवसे कमजोर-भूमिहीनों से भी कमजोर पाई गई। इससे यह वात सामने आती है कि भूमिहीन दैनिक मजदूरी एवं गांव के वाहर कार्यों में लगने के कारण व्यय क्षमता वढ़ाने में सक्षम होता है। सीमांत कृषक के पास अलाभकार जोत है तथा आय के अन्य स्रोत भी नहीं होने के कारण वह अपनी स्थिति नहीं सुधार पाता है। अतः सीमांत कृषकों को अतिरिक्त आय के स्रोत उपलव्ध कराने के वारे में सोचने की आवश्यकता है।

वाहन सुविधा की दृष्टि से हम पाते हैं कि ग्राम समूह I एवं II में जीप (3) तथा मोटर साइकिलें (6) तथा साइकिलें (126) पाई गई। जवकि ग्राम समूह III में केवल 3 मोटर साइकिल एवं 29 साइकिलें हैं।

कृषि साधन एवं कृषि पद्धति

विकास कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव कृषि साधनों पर पड़ता है। देखा जा सकता है कि इसके साथ-साथ कृषि पद्धति एवं खाद के उपयोग में भी अन्तर आना स्वाभाविक है।

सर्वेक्षित परिवारों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार अधिक जोत वाले किसानों के पास ट्रेक्टर एवं थ्रेसर अधिक संख्या में हैं। इसका उपयोग वे स्वयं की खेती में तो करते ही हैं साथ में किराये पर भी देते हैं। यहां वड़े किसान एवं उच्च एवं मध्यम जाति परस्पर पूरक हैं। ट्रेक्टर इन्हीं दो श्रेणियों के पास हैं। सर्वेक्षित परिवारों में कुल 27 ट्रेक्टर-थ्रेसर हैं जो कि 8.88 प्रतिशत परिवारों में पाया गया। जोत श्रेणी के अनुसार देखें तो 26 ट्रेक्टर तो वड़े किसानों तथा एक मध्यम श्रेणी के किसान के पास है। जातीय दृष्टि से देखे तो 22 ट्रेक्टर उच्च एवं मध्यम जाति के पास, 3 अन्य जातियों तथा एक-एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पास है। ट्रेक्टर सभी ग्राम समूहों में पाये गये। I ग्राम समूह में 18, II में 3 तथा III ग्राम समूह में 6 ट्रेक्टर पाये गये। स्पष्ट है ट्रेक्टर ने कृषि कार्यों में प्रमुख स्थान ले लिया है। जुताई एवं दाना निकालने में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है।

खाद का उपयोग

सिंचाई वाले क्षेत्र में रासायनिक खाद का उपयोग वड़ा है तथा कम्पोस्ट खाद का उपयोग घटा है। ग्राम समूह I, II एवं III में क्रमशः 61.14, 70.91 तथा 33.93 प्रतिशत किसानों की राय में रासायनिक खाद का उपयोग वढ़ा है। स्पष्ट है गैर योजनागत गांवों में रासायनिक खाद का प्रसार कम हुआ है। जहां नहरें गई वहां यह खूव वढ़ा है। सामान्य रूप से यह मान्य किया गया कि कम्पोस्ट खाद का उपयोग घटा है। रासायनिक खाद के वारे में इस प्रकार की राय सामने आई-(1) सरकारी प्रयास एवं प्रचार विज्ञापन के कारणवश रासायनिक खाद का उपयोग वढ़ा है। दूसरी ओर कम्पोस्ट एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को इस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण इनका उपयोग घटा है। (2) रासायनिक खाद की कई दिक्कतें हैं, जैसे-हर वर्ष 10 से 20 प्रतिशत मात्रा वढ़ानी पड़ती है। 5-6 वर्ष वाद उत्पादन दर में वृद्धि दर कम हो जाती या स्थिर हो जाती है। खाद देने पर भी पैदावार नहीं वढ़ती तथा नहीं देने पर घट जाती है। अतः मजवूरी में खाद देना पड़ता है। स्थिति यह है कि एक वार रासायनिक खाद देना प्रारम्भ करने पर हमेशा देनी पड़ती है। यह भी देखा गया कि 8-10 वर्षों वाद भूसंरचना वदलने लगती है-जमीन कठोर हो जाती है। (3) रासायनिक खाद के लिए समय पर पर्याप्त पानी मिलना जरुरी है। पानी नहीं

मिलने पर फसल वर्वाद होती है। (4) प्राकृतिक कम्पोस्ट खाद से जमीन ठीक रहती है एवं पानी की कम जरुरत होती है लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। तात्कालिक लाभ का लोभ किया जा रहा है। (5) आवश्यकता इस वात की है कि कम्पोस्ट खाद के उपयोग की व्यापक योजना तैयार की जाय और इसके व्यापक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाय तथा प्रचार किया जाय।

पशुधन

सर्वेक्षित परिवारों में पशुधन की दृष्टि से गाय, वैल, भैंस, वकरी तथा भेड़-पाये गये। किसान खेती के लिए वैल रखते हैं। दुधारु पशु के रूप में गाय एवं भैंस दोनों ही पाये गये। कृषि में पशुधन का उपयोग आज भी व्यापक रूप से किया जाता है। ट्रेक्टर के उपयोग के वावजूद किसान खेती के लिए वैल रखता पाया गया। ग्राम समूह I के 193 सर्वेक्षित परिवारों के पास कुल 272 वैंल हैं । ग्राम समूह II के 55 परिवारों के पास 74 तथा ग्राम समूह III के 56 परिवारों के पास 79 वैल पाये गये। पशुधन को कीमत के रूप में देखें तो पाते हैं कि ग्राम समूह I में प्रति व्यक्ति पशुधन 758 रुपये तथा समूह II एवं III में क्रमशः 858 एवं 919 रुपये है। स्पष्ट है कि सभी ग्राम समूहों में पशु सम्पत्ति की स्थिति करीव-करीव एकसी है। इस संवंध में यह उल्लेखनीय है कि योजना के दौरान दुधारु पशुपालन पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। फलस्वरुप आज भी यहां कम दूध देने वाले दुधारु पशु पालने की परम्परा कायम है। कई गांवों में चारागाह की कठिनाई भी सामने आई। कृषि विस्तार को देखते हुए घर पर रखकर पशु पालने की व्यवस्था विकसित करना उपयुक्त होगा। दुधारु पशुपालन को विकसित करने की जरुरत है ताकि संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के साथ नकद आय में भी वृद्धि हो। सीमांत कृषकों को इस काम में लगाया जा सकता है।

रोजगार

विकास कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्रोत विकसित हुए हैं। सड़कों के विस्तार के कारण रोजगार वड़ा है। सर्वेक्षित परिवारों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार ग्राम समूह I एवं II में करीव 60 प्रतिशत रोजगार वड़ा तथा III ग्राम समूह में यह

प्रतिशत 36 प्रतिशत है। यह रोजगार कृषि के साथ-साथ, दुकान, यन्त्र-मरम्मत तथा अन्य कार्यों में मिला है। सर्वेक्षित गावों में 6 मशीन मरम्मत की दुकानें हैं जिसमें 18 लोगों को काम मिला। सहायक कार्यों का भी विस्तार हुआ है। वैलगाड़ी चाय की दुकान, साइकिल मरम्मत, भवन निर्माण, आरा मशीनें तथा नौकरी में कुल 298 व्यक्तियों को काम मिल।

आवास

नहर एवं ओ.एफ.डी. से प्रभावित गांवों में कुछ पक्के मकान भी वने हैं। अरनेठा गांव में पहले पक्के मकान प्रायः नहीं थे जवकि पिछले 20 वर्षों में 24 परिवारों ने पक्के मकान वनाये। इसी अवधि में भींया में 40 तथा कल्याणपुरा में 6 पक्के मकान वने। वमोरी गांव में अधिक तेजी से पक्के मकान वने। यहां करीव 40 प्रतिशत मकान ईट के हैं। यहा के मध्यम जाति के लोगों के पास भी ईट के मकान है जिसे अर्ध-पक्का कह सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के पास आज भी कच्चे मकान ही हैं। कहा जा सकता है कि गावों में पक्के मकान वनाने की ओर रुचि वड़ी है। लेकिन आर्थिक सीमा के कारण उच्च जातिया, वड़े किसान, मध्यम किसान ही इस वारे में सोच सकते हैं।

सर्वेक्षित गावों में भूमि की खरीद-विक्री तथा वटाई पर खेती की परम्परा कम पाई गई। गत 10 वर्षों में इस प्रकार के कार्य गिने चुने परिवारों ने किया है। अरनेठा के 5 वड़ी जोत का किसानों ने सीमांत कृषक से भूमि खरीदी। लेकिन भींया ने 4 छोटे किसानों ने वड़ी जोत के किसानों से भूमि खरीदी। एक वड़े किसान ने संभाल न कर पाने के कारण जमीन वेची। इसी प्रकार कुछ किसानों ने वंटाई पर जमीन दी तथा कुछ ने वंटाई पर ली। अरनेठा गांव में कंडारा जाति के अधिकांश परिवार वंटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं जो किसान किन्हीं कारणों से स्वयं खेती नहीं कर पाते हैं वे वंटाई पर दे देते हैं। इसी प्रकार जिनके पास कम भूमि है तथा शरीर श्रम अधिक है वे वंटाई पर लेकर खेती करते हैं। सर्नेक्षित परिवारों द्वारा कुल कृषि क्षेत्र का कुल मिलाकर 3 से 10 प्रतिशत कृषि भूमि वंटाई पर ली गई। स्पष्ट है वंटाई पर खेती की खास परम्परा इस क्षेत्र में नहीं है। सामान्यतः किसान स्वयं खेती करते हैं। वड़े किसान भी मजदूर रखकर खेती कराते पाये गये।

नीति सम्बन्धी घोषणा एवं सुझाव

(1) राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभांवित करने वाली चम्वल कमांड परियोजना का लाभ राजस्थान के कोटा एवं वूंदी जिलों की 6 पंचायत समितियों के 745 गांवों के किसानों को मिलता है। मूलतः सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन की इस परियोजना को अधिक प्रभावी वनाने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम को आगे वढ़ाया गया। इसे स्थानीय वोलचाल की भाषा में केचमेंट (ओ.एफ.डी.) नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षा रखी गई कि इस कार्यक्रम से पानी का अधिकतम उपयोग होगा तथा जल रिसाव की समस्या दूर होगी। इस कार्यक्रम को विविध आयामी वनाया गया। इसी दृष्टि से भूमि समतलीकरण, पानी निकासी, फसलचक्र में परिवर्तन, कृषि प्रसार सेवा आदि कार्यक्रम हाथ में लिये गये। इन कार्यक्रमों का लाभ कृषक परिवारों को मिला तथा प्रति हैक्टर उत्पादन भी वढ़ा। ओ.एफ.डी. कार्यक्रम के वाद, रासायनिक खाद तथा अन्य मदों पर व्यय वढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर प्रति हैक्टर शुद्ध लाभ भी वढ़ा है। इस वात को स्वीकार करना चाहिए कि सिंचाई सुविधा तथा ओ.एफ.डी. का लाभ अधिकांश किसानों को मिला है। इसका एक परिणाम यह भी आया कि इन गांवों के कृषक परिवारों को होने वाली आय में कृषि से आय का अंश गैर योजनागत गांवों की तुलना में अधिक है। सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस कार्यक्रम के कई लाभ सामने आये जैसे–जल का रिसाव कम हुआ, ऊसर एवं दलदल होने का क्रम घटा है, पानी का निकास वना जिस कारण अतिरिक्त पानी निकल जाता है, भूमि समतल करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस कार्य में वहुत खामिया रह गई है। फसलचक्र में परिवर्तन हुआ है, रोजगार के स्रोत विकसित हुए हैं। कृषि तकनीक एवं पद्धति में परिवर्तन आया है तथा रासायनिक खाद का उपयोग वढ़ा है। उपरोक्त लाभों के होते हुए भी इस परियोजना की क्रियान्विति में कई प्रकार की कमियां रह गई है। इस कार्यक्रम को अधिक सक्षम एवं प्रभावी वनाने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से इस अध्ययन का व्यावहारिक महत्व है। कुछ सुझाव इस प्रकार है—

सुझाव

1. ओ.एफ.डी. कार्यक्रम जैसे संवेदनशील कार्यक्रम के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया पाई गई।

अतः विभाग को निर्णय लेना पड़ा कि ओ.एफ.डी. कार्यक्रम उन्हीं गांवों में प्रारम्भ किया जायेगा जहां के किसान स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के लिए तैयार हो। अव, आवश्यकता इस वात की है कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता एवं लाभों को असरकारी ढंग से समझाया जाय और इसके लागू करने में जो अपूर्णताएँ और गलतियां होती हैं उन्हें सुधारा जाय ताकि लोगों में इसके प्रति विश्वास और उत्साह जागृत हो सके।

2. साथ ही जिन कारणों से इस कार्यक्रम के संदर्भ में प्रतिकूल वातावरण वना है, उन कारणों के वारे में स्पष्टीकरण दिया जाय और विश्वास दिलाया जाय कि आगे इस प्रकार की गड़वड़ी नहीं होगी। इस कार्य के लिए स्थानीय कमेटियों का गठन किया जाये जो कार्य की क्रियान्विति को देखे और संवंधित लोगों को समझाकर सरकारी ऋणों का भुगतान करवाये।
3. ओ.एफ.डी. कार्य की लागत के वारे में भी किसानों में ऐतराज देखा गया। इस वात का प्रयास किया जाय कि कम से कम लागत पड़े। ठेकेदारों से पूरा काम लिया जावे और काम पूरा एवं सही होने पर ही ठेकेदारों को भुगतान दिया जाये।
4. कार्य प्रारम्भ होने तथा पूरा होने की अवधि कम हों, इसका प्रयास किया जाय ताकि खेती में वाधा नहीं आये।
5. किसानों की अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए, जैसे (क) समय पर पूरा पानी दिया ताकि फसल खराव नहीं हो। (ख) अतिरिक्त पानी निकलने के लिए वनी नालियों को ठीक रखा जाय। रास्तें, नाली, पुलिया के रख रखाव पर नियमित ध्यान रखा जाय। (ग) जिन खेतों में तथा खेत के जिस भाग में पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। (घ) भूमि का समतलीकरण ठीक ढंग से किया जाय ताकि जमीन का स्तर तथा नाली का हाल ठीक हो सके। (च) नाली की सफ़ाई-खर-पतवार निकालना, मरम्मत करने आदि कार्य नियमित रूप से किये जायं।
6. हमारा मानना है कि यदि उपरोक्त कमियों को पूरा किया जा सके तो किसानों में कार्यक्रम के प्रति रुझान वढ़ेगा, विश्वास जमेगा तथा लोग स्वेच्छा से इस दिशा में प्रयास करने को तैयार होंगे।
7. कर्ज वसूली की व्यवस्था को अधिक सरल एवं संतुलित वनाया जाय ताकि

किसान समय पर कर्ज वापस कर सकें। उन्हें यह समझाया जाय के कर्ज वापसी क्यों जरुरी है ?. इस कार्य में वड़े अधिकारियों एवं सरपंच, प्रधान और स्थानीय एम.एल.ए. का सक्रिय सहयोग उपयोगी हो सकता है।

8. रासायनिक खाद की हानियों तथा उसके कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी जाय। इसी के साथ-साथ कम्पोस्ट खाद के निर्माण तथा प्राकृतिक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिए कम्पोस्ट खाद का प्रचार किया जाय। उसके निर्माण की पद्धति सिखाई जाय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

9. कृषि के साथ पशुपालन के विकास का कार्यक्रम भी तेजी से हाथ में लिया जाय। इस दृष्टि से स्थानीय दुधारु पशुओं की नस्ल सुधारी जाय तथा वाजार आदि की सुविधा प्रदान की जाय। इस क्षेत्र के पशुपालन की व्यापक संभावनायें हैं। खासकर सीमांत एवं लघु किसानों को इस ओर आकृष्ट करने के लिए प्रयत्न किये जाय ताकि उनकी आमदनी वड़े और जीवन-स्तर में सुधार आये।

10. सिंचाई का पानी सवको समय पर मिले इसके लिए वारावन्दी लागू की जाय। गांव के लोग इस राय के पाये गये हैं कि वारावन्दी सख्ती से लागू की जाय। लेकिन हमारी राय में वारावन्दी की व्यवस्था गांव स्तर पर या पंचायत के मारफत गांव के लोगों के द्वारा लागू करने की व्यवस्था विकसित की जाय। इसके लिए युवकों तथा सामान्य नागरिकों की समिति वनाई जा सकती है ताकि इसका पालन व्यापक रूप से हो सके। इस कार्य में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

11. कृषि प्रसार सेवा को अधिक सक्रिय वनाया जाय ताकि उन्नत कृषि पद्धति, अनुकूल फसलचक्र आदि की जानकारी हो सके। इसके लिए प्रगतिशील किसानों को आगे लाने तथा उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक वनाने का प्रयास किया जा सकता है।

12. कमांड एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम अधिक तेजी से आगे वढ़े, इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर सक्रिय क्रियान्वयन समिति वनाई जाय जो कि कार्यक्रम की क्रियान्विति के साथ-साथ किसानों की समस्याओं को सुने तथा उसका समाधान करवाने का भी काम करे।

13. केशोरायपाटन स्थित सहकारी शक्कर मिल की व्यवस्था सुधारी जाय ताकि किसानों को गन्ने की विक्री का पैसा समय पर मिलता रहे और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन वढ़े जिससे किसानों की नकद आय वढ़े और उनके रहन-सहन में सुधार आ सके।

14. भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के माध्यम से सोयावीन का औद्योगिक उपयोग करने के लिए कारखाने स्थापित करने की दिशा में भी प्रयत्न अपेक्षित है ताकि किसानों को सोयावीन का उचित मूल्य मिल सके और सोयावीन की खेती के प्रति उनकी जो अभिरूचि जागृत हुई है, वह कायम रह सके।

    इस वात का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे सोयावीन का उपयोग वढ़े। इससे भोजन में पौष्टिकता आयेगी जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। सोयावीन के तैयार खाद्य पदार्थ के वजाय उसके सीधे उपभोग में रूचि जगाना उचित होगा। इसके लिए ऐसे प्रयोग किये जाये जिससे सोयावीन का सीधी या घर में तैयार किये गये रूप में उपभोग किया जा सके, जैसे सव्जी, दाल, आटे के साथ आदि रूप में भोजन के साथ लेना। अतः सोयावीन का उत्पादन मात्र वाजार के लिए नहीं करके उपभोग के लिए करने की प्रवृत्ति को वढ़ावा देना चाहिए।

15. अध्याय के दौरान प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ विपयों पर गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। भावी अध्ययन के कुछ मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं—

(क) रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रभाव, समस्याएँ एवं उनका हल।

(ख) कृषि एवं अन्य सेवाओं तथा उद्योगों का अध्ययन ताकि कृषि तथा इतर कार्यो के विकास की योजना वनाई जा सकें और अधिक रोजगार की संभावनायें खोजी जा सकें।

(ग) गांव से शहर की ओर स्थानान्तरण की दिशा का अध्ययन।

कोटा में व्यापक औद्योगिकरण के कारण इस प्रकार का अध्ययन महत्व का होगा। इस अध्ययन में ग्रामीण उद्योग, पशु एवं दुग्ध विकास आदि मुद्दों को शामिल किया जायेगा और स्थानान्तरण से गांव की सामाजिक – आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को आंका जा सकेगा।

संदर्भ साहित्य

1. All India Report on Agricultural Census 1970-71, Govt. of India, New Delhi.
2. Report on Agriculture census 1970-71 in Rajasthan, Govt. of Rajasthan.
3. Basic Statistics 1979. Govt. of Rajasthan 1980.
4. Statistical Abstract 1978, Govt. of Rajasthan 1980.
5. India: A Statistical Outline 1981, Oxford, New Delhi.
6. Census of India, 1981 Paper 1 of 1981 Supplement-Rajasthan, Director Census Operations, Rajasthan.
7. Official reports of CAD; Kota and Dept. of Agriculture, Govt. of Rajasthan Jaipur.
8. R.G. Patil, An Investigation into the Socio-Economic Conditions in GHOD Command Area, Maharastra 1980; M. Phull Krishi Vidyapeeth, Rehuri (Maharastra) 1980.
9. District Census Handbook, Kota and Bundi 1981; Govt. of Rajasthan.
10. Ground Water Survey Report, Kota district, Govt. of Rajasthan.
11. District Handbook, Kota and Bundi, Govt. of Rajasthan 1980.
12. Report on Agricultural Census 1976-77, Govt. of Rajasthan.

13. Command Area Development, Chambal Project Phase II, Govt. of Rajasthan 1981.
14. Sixth Five Year Plan 1980-85, Planning Commission; Govt. of India, New Delhi.
15. Agro-Economic Survey of Pro and Post Development Catchments C.A.D. Govt. of Rajasthan 1983.
16. Crop Estimation Study C.A.D. Kota, Govt. of Rajasthan 1983.
17. Census Report; District Handbook Kota and Bundi, Govt of India, Jaipur.
18. Social Inputs in Area Development, Kumarappa Institute of Gram Swaraj, Jaipur 1984.
19. World Development Report 1984, The World Bank; Oxford 1984.
20. Singh Surendra; Technological Transformation in Agriculture; (A Case Study of Rajasthan); 1984.
21. Report of the National Commission on Agriculture 1976 part v; Govt. of India, New Delhi.

□